हथकरघा उद्योग में बुनकरों की आर्थिक स्थिति का आलोचनात्मक अध्ययन

(उत्तर प्रदेश में झाँसी मण्डल के विशेष संदर्भ में)

STUDY OF THE ECONOMIC CONDITION OF WEAVERS IN HANDLOOM INDUSTRY

(With Special Reference to Jhansi Division of U.P.)

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी

के

वाणिज्य संकाय

के अन्तर्गत

डॉक्टर ऑफ फिलोस्फी की

उपाधि हेतु प्रस्तुत

शोध प्रबन्ध

निर्देशक
डॉ० डी० सी० अग्रवाल
रीडर – वाणिज्य विभाग
बुन्देलखण्ड महाविद्यालय, झाँसी
पूर्व कन्वीनर – बोर्ड ऑफ स्टडीज
पूर्व डीन – वाणिज्य संकाय
बुन्देलखण्ड विष्वविद्यालय, झाँसी

शोध कर्ता
श्रवण कुमार अग्रवाल

डॉ० डी० सी० अग्रवाल
रीडर वाणिज्य विभाग
बुन्देलखण्ड महाविद्यालय झाँसी
पूर्व कन्वीनर बोर्ड ऑफ स्टडीज
पूर्व डीन, वाणिज्य संकाय
बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय झाँसी
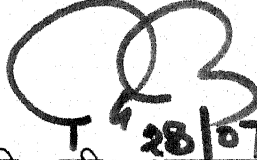
फोन : (निवास) ४४२६७५
(कॉलेज) ४४०५६२
निवास :
''कंचन कुटीर''
२७/२ पचकुइंया झाँसी
२८४००२ (उ०प्र०)

निर्देशक का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि ''हथकरघा उद्योग में बुनकरों की आर्थिक स्थिति का आलोचनात्मक अध्ययन (उत्तर प्रदेश में झाँसी मंडल के विशेष सन्दर्भ में)'' शीर्षक के अन्तर्गत किया गया कार्य श्री श्रवण कुमार अग्रवाल द्वारा मेरे मार्गदर्शन व निरीक्षण में बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय झाँसी में शोध उपाधि के लिये किया गया शोध कार्य है। शोधार्थी ने मेरे पास 250 दिवस से अधिक की उपस्थिति दर्ज कराई है।

मेरी पूर्ण जानकारी और विश्वास में यह शोधार्थी का स्वंय का कार्य है जिसका इसने स्बयं पूर्ण किया है , जो विश्वविद्यालय की शोध उपाधि से सम्बन्धित अध्यादेश की आवश्यकताओं को पूर्ण करता है । विषय वस्तु तथा भाषा दोनों ही दृष्टि से परीक्षकों के सम्मुख प्रस्तुत करने के स्तर का है।

28/07/02
(डी0 सी0 अग्रवाल)

शोधकर्त्ता का घोषणा पत्र

मैं श्रवण कुमार अग्रवाल घोषणा करता हूं कि "हथकरघा उद्योग में बुनकरों की आर्थिक स्थिति का आलोचनात्मक अध्ययन (उत्तर प्रदेश में झाँसी मंडल के विशेष सन्दर्भ में)" शीर्षक के अन्तर्गत किया गया कार्य डॉ0 डी0सी0 अग्रवाल के पर्यवेक्षण व मार्गदर्शन में किया गया , शोध समिति द्वारा स्वीकृत मेरा स्वंय का शोध कार्य है। मैने निर्देशक के पास 250 दिवसों से अधिक की उपस्थिति दर्ज कराई है।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मेरी पूर्ण जानकारी के अनुसार शोध प्रबन्ध में कार्य का कोई भाग ऐसा नहीं है जो उपाधि प्रदान करने हेतु इस विश्वविद्यालय या किसी अन्य विश्वविद्यालय/सह विश्वविद्यालय से बिना उचित सन्दर्भ दृष्टांत के प्रस्तुत किया गया है।

शोधकर्ता

श्रवण कुमार अग्रवाल

पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर

श्रवण कुमार अग्रवाल

अनुक्रमणिका

अध्याय	विवरण	पृष्ठ संख्या
प्रथम	प्रस्तावना	1
द्वितीय	अध्ययन का उद्देश्य, अनुसंधान समस्या तथा अनुसंधान	9
तृतीय	झाँसी मण्डल की भौगोलिक एवं आर्थिक स्थिति :	30
चतुर्थ	हथकरघा उद्योग के बुनकरों की सामान्य विशेषतायें	63
पंचम	बुनकरों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति :–	81
षष्ठम	बुनकरों की निर्धनता की समस्या :–	101
सप्तम	बुनकरों की कार्य दशाऐं :–	106
अष्ठम	औद्योगिक सम्बन्धों की स्थिति :–	121
नवम	श्रम कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा :–	140
दशम	बुनकरों के उत्थान हेतु संगठित एवं समूहगत प्रयास	153
एकादश	निष्कर्ष एवं सुझाव :–	157

	प्रश्नतालिका (सेवायोजकों के लिये)	170
	प्रश्नतालिका (बुनकर श्रमिकों के लिये)	180
	BIBLIOGRAPHY (सन्दर्भ ग्रन्थ सूची)	188
	समाचार पत्र	189
	जर्नल तथा मैगजीन	190

तालिका अनुक्रमणिका

क्रम सं0	तालिका क्रमांक	विवरण	पृष्ठ संख्या
1-	1	झाँसी मण्डल में समितियां, हथकरघों बुनकरों पावरलूमों का विवरण	8
2-	2-1	वस्त्र एवं ताने बाने का विवरण	23
3-	3-1	मण्डल की जनपदों की कुछ सामान्य सूचनायें वर्ष 97–98	36
4-	3-2	मण्डल की जनपदवार क्षेत्रफल	37
5-	3-3	मण्डल में तीन दशक का क्षेत्रफल	37
6-	3-4	मण्डल की जनपदवार मिश्रित जनसंख्या एवं दशक बृद्धि प्रतिशत 1971	40
7-	3-5	मण्डल की जनपदवार मिश्रित जनसंख्या एवं दशक बृद्धि प्रतिशत 1981	40
8-	3-6	मण्डल की जनपदवार मिश्रित जनसंख्या एवं दशक बृद्धि प्रतिशत 1991	40
9-	3-7	मण्डल में मातृभाषा के अनुसार जनसंख्या 1981	41
10-	3-8	मण्डल में जनसंख्या के अनुसार प्रति दशक आबाद ग्रामों की संख्या तथा प्रतिशत अन्तर (1901–1991)	43
11-	3-9	मण्डल में जनपद आवासीय मकान एवं परिवार जनसंख्या तथा अनु0 जाति/ जनजाति की जनसंख्या	44

12-	3-10	झाँसी मण्डल में हथकरघा बुनकर एवं करघों की संख्या	48
13-	3-11	झाँसी मण्डल में बुनकर परिवार एवं करधो तथा पावरलूमों की संख्या	48
14-	3-12	झाँसी मण्डल में बुनकर समितियां की स्थिति वर्ष 1986–87	51
15-	4-0	उत्तर प्रदेश हथकरघा उद्योग में कार्यानुसार श्रमिकों का विभाजन	67-68
16-	4-1	विभिन्न प्रक्रियाओं के प्रशिक्षण की अवधि का विवरण	74
17-	5-0	श्रमिकों की कताई का परिश्रमिक	91
18-	5-1	श्रमिकों को सूत की रंगाई कार्य के लिये दिया जाने वाला पारिश्रमिक	92
19-	5-2	बुनकर के परिवार की मासिक आय व व्यय की विभिन्न मदें	96
20-	5-3	उत्तर प्रदेश में बुनकर समितियों की स्थिति (31.3.91 तक)	100
21-	7-1	अन्य मदें की संख्या एवं प्रतिशत	114
22-	7-2	आवास स्थिति	117
23-	8-1	भारत में औद्योगिक संघर्षो के कारण	122

ग्राफ अनुक्रमणिका

ग्राफ क्रमांक	तालिका क्रमांक	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	2 (i)	वस्त एवं ताने बाने प्रति इंच	24
2.	3 (iii)	मण्डल में तीन दशक का क्षेत्रफल	38
3.	3 (vii)	मण्डल में मातृभाषा के अनुसार कुल जनसंख्या में प्रतिशत 1981	42
4.	3 (x)	झाँसी मण्डल में बुनकर परिवारों एवं करघों की संख्या 1986–87	49
5.	3 (xi)	झाँसी मण्डल में बुनकर परिवारों एवं करघों तथा पावरलूमों की संख्या 1996–97	50
6.	5 (i)	श्रमिकों का आकार एवं उनकी मासिक आय	93
7.	7 (i)	अन्य मदें की संख्या	115
8.	7 (ii)	आवास स्थिति	118

:: विषय सूची ::

अध्याय	विवरण	पृष्ठ सं0
प्रथम	**प्रस्तावना**	1—8
1.	हथकरधा उद्योग का उद्भव एवं विकास :— हथकरधा उद्योग का उद्भव भारत में हथकरधा उद्योग का इतिहास प्राचीनकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल	
2.	**अर्थ व्यवस्था में हथकरधा उद्योग की स्थिति एवं महत्वः—** भारतीय अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में झाँसी मण्डल की अर्थ व्यवस्था में	
द्वितीय	**अध्ययन का उद्देश्य, अनुसंधान समस्या तथा अनुसंधान :—** विधि अध्ययन का उद्देश्य अनुसंधान समस्या का स्वरुप अनुसंधान विधि — अनुसंधान की प्रकृति समग्र का आकार एवं स्वरुप नमूने का आकार एवं स्वरुप नमूने की ईकाइयों के चयन की विधि, समंकों के संकलन की विधि — प्रयुक्त किये जाने वाले सांख्यिकीय टूल (यन्त्र)	9—29
तृतीय	**झाँसी मण्डल की भौगोलिक एवं आर्थिक स्थिति :—** झाँसी मण्डल की प्रशासनिक ईकाईयां , क्षेत्रफल जनसंख्या झाँसी मंडल में हथकरधा बुनकर श्रमिकों की संख्या उनकी स्थिति—संगठित क्षेत्र असंगठित क्षेत्र	30—62

चतुर्थ	**हथकरघा उद्योग के बुनकरों की सामान्य विशेषतायें:–** उत्पादक घाटक के रुप में श्रम का महत्व , उद्योग में संलग्न श्रम का आकार , श्रेणीकरण श्रमपूर्ति के साधन श्रम भर्ती की पद्धतियां प्रशिक्षण की सुविधाएं	63–80
पंचम	**बुनकरों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति :–** लिंग मूलक संरचना आयु वगार्गनुसार विवरण परिवार का आकार आवास का आकर एवं प्रकार पेयजल, क्षेत्र, शैक्षिक क्षेत्र तकनीकी ज्ञान एवं कौशल रोजगार का प्रकार विशिष्ट अथवा मिश्रित आय के क्षेत्र–मुख्य एवं गौण व्यय की मदें, भोजन आवास, वस्त्रादि शिक्षा, मनोरंजन, ध्रूमपान एवं मंदिरापान अन्य ऋण ग्रस्तता की स्थिति ऋण प्राप्त करने में श्रोत ऋण की राशि व्याज की दर, पूर्व भुगतान की अवधि	81–100
षष्ठम	**बुनकरों की निर्धनता की समस्या :–** निर्धनता की अवधारणा निर्धनता के घटक, झाँसी मण्डल में बुनकरों में निर्धनता निर्धनतम्, अत्यधिक निर्धन , निर्धन निर्धनता रेखा से ठीक नीचे निर्धनता के कारण विगत वर्षो में निर्धनता की स्थिति में परिवर्तन	101–105
सप्तम	**बुनकरों की कार्य दशाऐं :–** संगठित क्षेत्र:परिसर का आकार प्रति बुनकर स्थान उपलब्धता विकास की व्यवस्था	106–120

	शौचालय, स्नानागार, कैन्टीन आरामघर मनोरंजन कक्ष की उपलब्धता कार्य करने के घण्टे सवेतन अवकाश मशीनो आदि से सुरक्षा असंगठित क्षेत्रः—कार्यस्थल कच्चा / पक्का / झोपड़ी / कार्यस्थल स्वायित्व, कार्य के घन्टे प्रकाश वायु आदि की उपलब्धता	
अष्टम	**हथकरधा क्षेत्र में औद्योगिक सम्बन्ध :—** संगठित क्षेत्र में श्रम विवाद और उनके कारण, श्रम विवादों की अवधि तथा निपटारा बुनकरों के संगठन—अदभुत विकास वर्तमान स्थिति	121—139
नवम्	**श्रम कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा :—** हथकरधा उद्योग में विभिन्न श्रम अधिनियम कारखाना अधि0 1948, मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 उद्योग में किए गये श्रम कल्याण सामाजिक सुरक्षा से सम्बन्धित अधिनियमों का प्रतिवादन, श्रम कल्याण तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यो का श्रमिकों पर प्रभाव	140—152
दशम्	**बुनकरों के उत्थान हेतु संगठित एवं समूहगत प्रयास :—** बुनकरों की सहकारी समितियां, बुनकरों को केन्द्र सरकार से सहायता बुनकरों को राज्य सरकार से सहायता	153—156
एकादश	**निष्कर्ष एवं सुझाव :—**	157—169

प्रश्न तालिका	(सेवायोजकों के लिये)	170—179
प्रश्न तालिका	(बुनकर श्रमिकों के लिये)	180—187
	BIBLIOGRAPHY सन्दर्भ ग्रन्थ सूची	188
	समाचार पत्र	189
	जर्नल तथा मैगजीन	190

:: अपनी बात ::

भारत के विभिन्न प्रदेशों में उत्तर प्रदेश आर्थिक दृष्टि से अत्यनत पिछड़ा प्रदेश माना जाता है। जिसमें हथकरघा उद्योग की अनेकों समस्यायें हैं। इस प्रदेश में क्षेत्रीय असन्तुलन की स्थिति अत्यन्त गम्भीर है तथा झाँसी मण्डल के जिले जैसे - ललितपुर, झाँसी तथा जालौन अत्यन्त पिछड़े हुये जिले हैं। आज हथकरघा उद्योग सरकारी सहायता के कारण विकसित हो रहा है परन्तु उसमें काम करने वाले श्रमिक की आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। बुनकरों के समक्ष वस्तुओं के विपणन की समस्यायें तथा साथ ही साथ उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों में शिक्षा का पूर्णतया अभाव है।

हथकरघा उद्योग में आज श्रमिकों की भर्ती, उनके कार्य की दशायें , उनकी शिक्षा की व्यवस्था , मजदूरी की पद्धति तथा उनके लिये श्रम कल्याण तथा सामाजिक सुरक्षा इत्यादि की अत्यन्त दयनीय स्थिति है। प्रदेश में हथकरघा उद्योग में लगे हुये श्रमिकों की आर्थिक स्थिति का अध्ययन आवश्यक हो गया है क्योंकि श्रमिकों की आर्थिक स्थिति उनकी कार्यक्षमता को प्रत्यक्ष रुप से प्रभावित करती है।

प्रस्तुत शोध में हथकरधा उद्योग में लगे हुये श्रमिकों की उपरोक्त परिस्थिति का पूर्णतया अध्ययन किया गया हैं। यह अध्ययन जहां एक ओर उद्योग निदेशालय तथा सरकार के द्वारा उपलब्ध आंकड़ों के माध्यम से किया गया वही साथ ही साथ मण्डल में विभिनन जिलों में हथकरधा उद्योग के बुनकरों की आर्थिक स्थिति का व्यक्तिगत आधार पर भी अध्ययन किया गया तथा इस क्षेत्र में सरकार द्वारा किये गये कार्यो की आलोचनात्मक समीक्षा की गयी। अध्ययन के निष्कर्ष के रुप में विभिन्न प्रकार के बुनकरों की समस्यायें तथा उन्हे दूर करने के लिये सुझाव भी प्रस्तुत किये गये हैं।

इस अध्ययन को पूरा करने में अपने शोध निर्देशक डॉ० डी०सी० अग्रवाल का अत्यन्त आभारी और आजन्म ऋणी रहूंगा। जिन्होने हर एक कदम पर अपना वहुमूल्य समय देकर मेरी हिम्मत बढ़ाई और शोध प्रबन्ध में मेरे द्वारा की गयी त्रुटियों को दूर

किया। यदि उनका आर्शीवाद व सहयोग प्राप्त न होता तो यह प्रबन्ध आज किसी भी हालत में प्रस्तुत न हो पाता। साथ ही साथ इस प्रबन्ध को पूरा करने में मुझे बहुत से सरकारी एवं गैर सरकारी अधिकारियों से बहुमूल्य शोध सामग्री व सुझाव प्राप्त हुये। विशिष्ठ रुप से निदेशक डायरेक्टर ऑफ कामर्शियल पब्लिसिटी उद्योग भवन, नई दिल्ली तथा निदेशक उद्योग निदेशालय कानपुर, निदेशक हथकरघा निगम कानपुर, निर्देशक यूपिका सर्वोदय नगर कानपुर, जिला उद्योग अधिकरी झाँसी, सहायक निदेशक (हथकरधा) झाँसी परिक्षेत्र , झाँसी आदि को धन्यवाद देना शोधकर्ता अपना कर्तव्य समझता हैं जिनकी कृपा एवं सहायता से मुझे महत्वपूर्ण तथ्यों के संकलन में सहायता मिली है।

मैं अपने कर्तव्य मैं पूरी तरह से असफल रहता। यदि इन तीन जिलों के बुनकर श्रमिकों ने हमारे प्रश्नों का उत्तर न दिया होता मुझे कहने में बिल्कुल संकोच नहीं है। कि उनके बीच में बैठकर उनकी दयनीय , आर्थिक , सामाजिक स्थिति का स्वयं दृश्य देखा और उसी परिप्रेक्ष्य में मैने कुछ सुझाव प्रस्तुत किये हैं। गरीबी की रेखा से नीचे जीने वाले लोगों के चेहरों में कुछ मुस्कान दिखायी पड़ी। जब उन्हे पता लगा कि शायद उनकी समस्याओं को सरकार के सामने रखा जायेगा व निराकरण किया जायेगा।

अन्त मैं , मैं अपने पिता जी श्री भोलानाथ अग्रवाल (अवकाश प्राप्त) अर्थशास्त्र प्रवक्ता , एल०डी०डी० इण्टर कॉलेज , मऊरानीपुर एवं मैं अपनी माता जी श्रीमती अवधेश अग्रवाल समाजशास्त्र प्रवक्ता , राजकीय बालिका इण्टर कॉलेज मऊरानीपुर का विशेष आभारी हूं। जिन्होने जगह जगह पर मुझे सहायता व मार्ग दर्शन दिया।

भारतीय कला कौशल के गौरव , भारत की अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति एवं प्रतिष्ठा दिलवाने वाले, हथकरधा उद्योग के श्रमजीवियों को यह शोध प्रबन्ध सादर समर्पित करते हुये शोधकर्ता परम सन्तोष का अनुभव करता है।

शोधकर्ता

दिनांक :-

श्रवण कुमार अग्रवाल

:: दो शब्द ::

भारत एक विशाल देश है। जिसमें से उ०प्र० राज्य भारत का सबसे विशाल राज्य है। उ०प्र० में बुन्देलखण्ड् क्षेत्र ने भी अपने आप में एक स्थान बनाया हैं जिसमें झाँसी मण्डल में झाँसी जिला अत्याधिक बड़ा एवं विशाल हैं उसमें एक स्थान है, वह स्थान है रानीपुर ।

आज रानीपुर हथकरधा उद्योग ने वस्त्रोद्योग में अपना एक स्थान बनाया है, जो गरीब एवं मध्यम वर्गीय लोगों के लिये काफी सस्ता एवं उपयोगी सिद्ध हुआ है बड़ी-बड़ी मिलों ने बड़े लोगों के लिये जहां कपड़ा निर्मित किया वहीं रानीपुर के बुनकर ने गरीब एवं मध्यम वर्गीय लोगों के लिये उसी गुणवता का कपड़ा काफी सस्ती दर पर उपलब्ध कराया और प्रसिद्धि भी चरम सीमा पर पहुँचाई लेकिन आज के फैशन परस्त लोगों और बड़े बड़े मिलों की नई नई डिजायनों के समक्ष यह कपड़ा उद्योग आज लड़खड़ाने लगा है। सरकार के असहयोग एवं पावर सप्लाई के कारण भी यह उद्योग अपने दायरे में सिमटा जा रहा है गांधी जी के बताये हुये रास्ते पर चलने वाले हस्तकला के कारीगर परेशान होकर भुखमरी के कगार पर पहुंचते जा रहे हैं और अगर सरकार ने शीघ्र ही कोई कारगर कदम न उठाया तो यहां के बुनकर यहां से पलायन कर जायेगें और गरीबों के लिये उपयोगी वस्त्रोद्योग पूँजी पतियों और बड़े बड़े मिलों के मुँह में समा जायेगा।

रानीपुर वस्त्रोधोग का प्रारम्भ ओरछा नरेश श्रीमन्त सुजान सिंह की माता जी ने पांच जुलाहा परिवारों को शरण देकर सम्बत १६५३ ई० में उन्होने रानीपुर में एक देवी माता का मन्दिर एवं एक गढ़ी का निर्माण कराया जो बाई साहब की गढ़ी के नाम से आज जीर्णशीर्ण हालत में विद्यमान हैं । बाई साहब ने जुलाहा परिवारों के भरण पोषण की व्यवस्था अपने खजाने से कराई एवं कपड़ा बुनाई का कार्य उनसे कराने लगी।

(अरुण कुमार शिवहरे- सागर विश्वविद्यालय के शोध निबन्ध सन् १९७७ के अनुसार) शैनः शैनः यह उद्योग अपनी मन्थर गति से आगे बढ़ता रहा और सन १७५० के आते आते यह उद्योग अपना विशाल रुप धारणकर चुका था आस पास की रियासतों में रानीपुर के कपड़े की काफी मांग आने लगी और रीवा रियासत के छीपा लाग भी यहां कपड़ा खरीदनें आने लगे और कुछ छीपा परिवार तो इसी उद्योग से जुड़कर यहीं आसपास बस गए और तभी इस उद्योग में एक नई क्रान्ति आई। हस्तकरघे के कपड़े की रंगाई का काम प्रारभ हुआ और इसका बाजार काफी वड़ा होता गयां पुस्तकों को जिल्द पर चढ़ाने के लिये भी कपड़े का उत्पादन होने लगा जिसे खारुआ के नाम से जाना जाने लगा।और इसी कपड़े को छीपा बन्धुओं ने ईस्टइण्डिया कम्पनी के हाथों बेचकर काफी पैसा कमाया। पर धीरे - धीरे कागज के अच्छे उत्पादन से यह कारोबार ठप्प हो गया। बुनकर समाज काफी बड़ा हो चुका था। कारोबार में मंदी आने से बुनकर समाज में एक भय व्याप्त हो गया था। जीविका चलाने का तब कुछ साहसी नौजवान बुनकरो ने राज्यस्थान में पहने जाने वाले चौडी किनारी के धाघरों के लिए कपड़ा तैयार करना प्रारम्भ किया जो बांड के नाम से प्रसिद्ध हुआ और इस उत्पादन की भरवाड़ राजघरानों में घूम मचने लगी और अभावग्रस्त बुनकरों के भरण - पोषण में इस उत्पादन ने संजीवनी का कार्य किया और हस्तकरधा उद्योग अपने उत्कर्ष पर पहुँचने लगा।

हस्तकरधा उद्योग २५० वर्ष की यात्रा पूरी कर सन् १८५० में अपने योवनकाल में प्रवेश कर चुका था। सफेद कपड़े पर छपाई का कार्य भी प्रारम्भ हो गया था और परदे के रूप मे कई रजवाड़ों की शोभा बनने लगा और हस्तकरघे के कई उत्पादन बाजार में जो [illegible] कई नामों से जाने लगे। इसी समय आड़त एवं दलाली का एक धुन भी पैदा हुआ और इस उद्योग से चिपककर रह गया और पूरा व्यापार इन्हीं के हाथों से गुजरने लगा , बुनकरों का शोषण काल यही से प्रारम्भ हुआ । सन् १९६० क आते - आते कपड़ा उद्योग का मशीनीकरण होना प्रारम्भ हो चुका था। विदेशी वस्त्रों का आयात भी प्रारम्भ हो

गया था और रानीपुर के कपड़ा उद्योग पर काली घटाओं के बादल मड़राने लगे थे और १६४२ के द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद विश्वव्यापी मन्दा होने के कारण रानीपुर का वस्त्रोद्योग भी मन्दी का शिकार हो गया और इसी समय आई भयकर बाढ़ ने अनेक परिवारों को तवाह कर दिया और बाढ के बाद फैली महामारियों के प्रकोप से काफी बुनकर परिवार नष्ट हो गये और काफी लोग यहां से पलायन कर गए। व्यापार अस्तव्यस्त हो चुका था। कुछ साहसी बुनकरों ने इस व्यवसाय को पुनः संजाने सम्हालने का कार्य किया।

आजादी के दीवानों की गूंज चारो दिशाओं में फैल चुकी थी और हस्त निर्मित वस्त्रों का प्रचार भी जोरों पर था और पुनः रानीपुर का नया उत्पादन गाड़ा के नाम से बाजार में आया और गाड़ा की बाजार में शाख खादी के रुप मे जम गई। विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार ने इसे काफी सम्बल प्रदान किया। १५ अगस्त १६४७ में भारत आजाद हो गया और आजादी के बाद गाँधी जी ने स्वदेशी कारण का नारा दिया । जिसके तहत कई नए उत्पादन रानीपुर हस्तकरघा बुनकरों ने बाजार में डाले। जो जनाना साड़ी, मर्दानाधोती, जोड़ा, रजाई आदि आदि थे। लेकिन इन वस्त्रों के लिए प्रसाधन की व्यवस्था न होने के कारण इन उत्पादनों ने बड़ा बाजार पैदा नहीं कर पाया। इन उत्पादनों ने बड़ा बाजार पैदा नहीं कर पाया और गरीब एवं मध्यम वर्गीय लोगों के पहनने का वस्त्र होकर रह गया। कपड़ों के मशीनी उत्पादन और प्रसोधित वस्त्रो के समक्ष इस उद्योग ने अपने घुटने टेक दिये। १६६० के आते-आते यह उद्योग पंगु और असहाय हो चुका था। बुनकर भुखमरी के शिकार हो रहे थे और काफी परिवार यहां से पलायन करके कहीं और बस गए।

सिन्थेटिक वस्त्रों ने खादी को दर किनार कर दिया था। खादी केवल नेताओं के पहिनने का वस्त्र बन चुका था। १६७० के दसक में रानीपुर वस्त्रोधोग लगभग मरणासन्न स्थिति में पहुंच गया था।

इसी समय कुछ साहसी लोगों ने एक साहसिक एवं क्रान्तिकारी योजना बनाई। इस हथकरघे पर सिथेंटिक वस्त्रों का उत्पादन और सन १६७१ में इस योजना का

क्रियान्वयन भी हो गया और पुनः मेहनतकर बुनकर अपने बाजार को सम्हालने में लग गए और १९८०के आते आते रानीपुर हथकरघा टेरीकॉट का काफी बड़ा बाजार बन चुका था। जो रानीपुर टेरीकॉट के नाम से प्रसिद्ध हो गया था। इसमें शर्टिंग, सूटिंग, कुर्ता का कपड़ा, लेडीज शूट सभी प्रकार के कपड़े तैयार होने लगे।

रानीपुर बाजार का वार्षिक टर्नओवर करीब ६० करोड़ से ८० करोड़ रुपये तक हो गया और अधिकांश लोग सम्पनन होने लगे। लेकिन प्रसोधन इकाइयां न होने के कारण कपड़ा परिष्कृत नहीं हो पा रहा था। इसी कारण इस कपड़े ने कभी भी बड़े लोगों के पहिनने के वस्त्रों के रुप में स्वीकृति अर्जित नहीं कर पाई और हमेशा गरीबों और मध्यम वर्गियों के वस्त्रों के रुप में नहीं बिका।

यहां के बुनकरों ने भी अपने उद्योगका मशीनीकरण किया। लेकिन प्रशोधित न होन के कारण मिलों के कपड़े के सामने नहीं टिक सका। सरकार ने बुनकरों के हित में कई योजनायें बनाई गई सहकारी संगठन भी बनाए। वस्त्र निगम का गठन भी किया लेकिन यहां के बुनकरों को इसका आंशिक लाभ ही मिल सका। यहां के बुनकरों ने कई बार प्रशोधन ईकाई की मांग की , लेकिन सरकार ने इस ओर कभी भी ध्यान नहीं दिया।

सन् १९८३ में से थोड़ी दूर यहीं छोटी से प्रशोधन ईकाई की स्थापना हुई लेकिन यह ईकाई काफी छोटी एवं अपूर्ण थी फिर भी बुनकरों में एक आशा की किरण जगी और अर्ध प्रशोधित कपड़े की मांग भी पड़ने लगी अब बुनकरों ने सरकार की ओर ताकना बन्द कर दिया था, और अपने व्यापार में ही प्राणपण में जुट गए। सरकार अगर चाहती तो बुनकरों के हित में काफी कुछ करके इस उद्योग को काफी बुलन्दियों पर पहुंचा सकती थी। इन वस्त्रों को अपने स्तर पर प्रचरित कर काफी सहयोग कर सकती थी। लेकिन बुनकरों को सरकार ने इस तरह का सहयोग कभी नहीं मिला ।

सन १९९६ के आते आते यहां के कपड़े की बिक्री में काफी गिरावट आ गई और १९९६के अन्तिम महीनों में बिक्री का ग्राम ६० प्रतिशत गिर चुका था। पुनः

बुनकरों में और इनसे जुड़े व्यापारियों में भय व्याप्त होने लगा तब यहां के बुनकरों ने एक नया उत्पादनबाजार में डाला जो सिन्थेटिक तौलिया गमछा के नाम से बिकने लगा लेकिन इस उत्पादन की बाजार की दशा काफी विगड़ चुकी है और बुनकरों का पलायन प्रारंभ हो गया।

उत्तर प्रदेश शासन ने बुनकरों को राहत पहुंचाने का कोई उपयोगी कार्य अभी तक नहीं किया है। यदि समय रहते बुनकरों की आर्थिक स्थिति सुधारने का शीघ्र प्रयास न किया गया तो रानीपुर वस्त्रोद्योग का वास्तविक स्वरुप नष्ट हो जायेगा।

अतः शासन से अनुरोध है कि बुनकरों के हित में शीघ्र ही प्रभावी कदम उठाये जावे। वस्त्र निगम को बुनकरों के हित में क्रियाशील बनाया जाये जो बुनकरों का कपड़ा खरीद कर बुनकरों का हित चिनतन कर सके। इस शोध प्रबन्ध को ग्यारह अध्यायों में विभक्त किया गया है।

प्रथम अध्याय **''प्रस्तावना''** के अन्तर्गत औद्योगीकरण से आशय, भारत में हथकरघा उद्योग का उद्भव एवं विकास एव हथकरघा उद्योग का इतिहास का उल्लेख किया है।

द्वितीय अध्याय में **''अर्थ व्यवस्था में औद्योगीकरण की भूमिका, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में झाँसी मण्डल की अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति का उल्लेख किया गया है।''** अध्ययन का उद्देश्य, अनुसंधान समस्या तथा अनुसंधान विधि में अनुसंधान की प्रकृति, समग्र का आकार एवं स्वरुप तथा नमूने का आकार एवं स्वरुप तथा ईकाइयाँ एवं प्रयुक्त किये जाने वाली टूल (यंत्रों) से स्पष्ट किया गया है ।

तृतीय अध्याय में **''झाँसी मण्डल की भौगोलिक एवं आर्थिक स्थिति''** पर प्रकाश डाला गया है। झाँसी मण्डल में हथकरघा बुनकर श्रमिकों की संख्या उनकी स्थिति संगठित क्षेत्र एवं असंगठित क्षेत्र का विस्तृत अध्ययन किया गया है।

चतुर्थ अध्याय में **''हथकरघा उद्योग के बुनकरों की सामान्य विशेषतायें''** पर गहन अध्ययन किया गया है। साथ ही साथ श्रम का महत्व, आकार एवं श्रम की पूर्ति के साधन का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है।

पंचम अध्याय में **''बुनकरों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति''** का विस्तृत रुप से अध्ययन किया गया है।

षष्ठम अध्याय में **''बुनकरों में निर्धनता की समस्या''** का अध्ययन किया गया है। निर्धनता की अवधारणा व घटक पर विस्तृत रुप से प्रकाश डाला गया है।

सप्तम् अध्याय में **''बुनकरों की कार्य दशायें''** को विस्तृत रुप से समझाया गया है। संगठित क्षेत्र एवं असंगठित क्षेत्र को मूल्यांकन किया गया है।

अष्टम अध्याय में **''हथकरघा क्षेत्र में औद्योगिक सम्बन्धों का विकास''** जिसमें औद्योगिक सम्बन्ध के कारण, श्रम विवादों की अवधि तथा निपटारा, बुनकरों के संगठन-उद्‌भव विकास वर्तमान स्थिति का विस्तृत अध्ययन किया गया है।

नवम अध्याय के अन्तर्गत **''श्रम कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा''** जिसमें कारखाना अधिनियम १९४८, मजदूरी भुगतान अधिनियम १९३२, उद्योग में किए गये श्रम कल्याण तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यो का श्रमिकों पर प्रभाव डाला गया है।

दशम अध्याय में **''बुनकरों के उत्थान हेतु संगठित एवं समूहगत प्रयास''** जिसमें इसका आशय बनकरों की सहकारी समितियों, केन्द्र सरकार से सहायता, राज्य सरकार से सहायता का प्रयास किया गया है।

एकादश अध्याय **''निष्कर्ष एवं सुझाव''** के अन्तर्गत शोधार्थी ने प्रमुख निष्कर्ष , सुझाव एवं भावी शोध सम्भावनायें शोध प्रबन्ध में प्रस्तुत किये हैं।

इस शोध कार्य के माध्यम से उत्तर प्रदेश के प्रमुख निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में औद्योगिक सम्बन्धों का आलोचनात्मक अध्ययन किया जायेगा जिससे हथकरघा उद्योग में औद्योगिक सम्बन्धो में सुधार की दिशा में प्रबन्धकों को आवश्यक सुझाव मिल सके।

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम के उत्पादन केन्द्र
सघन क्षेत्र
उत्पादन केन्द्र
उप उत्पादन केन्द्र

प्रथम अध्याय

प्रस्तावना

१. हथकरघा उद्योग का उद्भव एवं विकास

1- हथकरघा उद्योग का उद्भव
2- भारत में हथकरघा उद्योग का इतिहास
  क. प्राचीन काल
  ख. मध्यकाल
  ग. आधुनिक काल

२. अर्थव्यवस्था में हथकरघा उद्योग की स्थिति एवं महत्व

1- भारतीय अर्थव्यवस्था
2- उ०प्र० की अर्थव्यवस्था
3- झाँसी मण्डल की अर्थव्यवस्था

प्रस्तावना

1. हथकरघा उद्योग का उद्भव –

लघु उद्योग राष्ट्र की आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। भारत एक विकासशील देश है और इसके सामने बेरोजगारी की विकट समस्या है । इसे हल करने में ग्रामीण और लघु उद्योगों का विकास निश्चय ही महत्वपूर्ण योगदान कर सकता है। देश के कुटीर उद्योगों में हथकरघा उद्योग का महत्वपूर्ण स्थान है। हथकरघा उद्योग सम्पूर्ण भारत में फैला हुआ है। ग्रामीण रोजगार एवं आय पर पड़ने वाले आर्थिक प्रभाव की दृष्टि से कृषि के पश्चात् इस उद्योग को जीविका मिलती है। वही दूसरी ओर कपड़ों जैसी आवश्यक वस्तु की पूर्ति होती है।

भारत के बने वस्त्र दो हजार पूर्व से ही विश्व विख्यात है। अति प्राचीनकाल से अपनी अनुपम कला एवं परम्परागत दस्तकारी के कारण ही विश्व के बाजारों की शोभा बना रहा है। हथकरघा के बने वस्त्रों की सज्जा में प्राचीन कला का अपना महत्व है। यहीं कारण है कि काफी समय से चली आ रही इस प्राचीन कला को वही लोकप्रियता आज भी प्राप्त है।

देश के हथकरघा उत्पादन राज्यों में उत्तर प्रदेश का स्थान तमिलनाडु तथा आन्ध्रप्रदेश के बाद है। यह हमारे प्रदेश का महत्वपूर्ण विकेन्द्रित उद्योग है जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देने के साथ ही साथ प्रदेश के 15 लाख बुनकरों को जीवकोपार्जन का प्रमुख साधन है। इस उद्योग की विशेषता यह है कि इसके माध्यम से अल्पसंख्यकों तथा अनुसूचित जाति के लोगों को जो निर्यात तथा कमजोर वर्ग की श्रेणी में आते हैं , जीवन स्तर उठाने में सहायता मिल रही है और दूसरी ओर प्रदेश की गरीब जनता की भी वस्त्र जैसी आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है।

2. भारत में हथकरघा उद्योग का इतिहास –

(क) प्राचीन काल (ख) मध्यकाल (ग) आधुनिक काल

प्रदेश में हथकरघा उद्योग को ग्रामीण पिछड़ेपन को दूर करने, आय की असमानता को कम करने तथा बेरोजगारी की बर्तमान जटिल समस्या के निराकरण के रुप में स्वीकार किया गया है। इस उद्योग को बहुत की संकट पूर्ण परिस्थितियों से गुजरना पड़ा। सुदूर भूतकाल में इस उद्योग को योजनात्मक रुप से समाप्त करने का प्रयास एक विदेशी शासक द्वारा किया जाता रहां इंग्लैण्ड के सूत और सिल्क वस्त्र उद्योग को छाया प्रदान करने के 19वी शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षो में भारतीय हस्तकरघों के उत्पादन पर 70–80 प्रतिशत डयूटी लगाना आवश्यक हो गया था, और भारतीय उत्पादन को दबाकर ही पैसली और मैनचेस्टर की मिलों के उत्पदित समाज को यहां पर लाया जा सका। उल्लेखनीय है कि 1813 में कलकत्ते में 20लाख पाउन्ड का सूती वस्त्र लन्दन को निर्यात किया गया परन्तु 1830 में कलकत्ता में इंग्लैण्ड से 20 लाख का सामान आयात किया गया।

वर्ष 1947 के पश्चात् ही सभी राज्यों में जनता की सरकारें बनी। सरकार ने हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने के लिये कई योजनाओं बनायी। उत्तर प्रदेश में हथकरघा उद्योग 6 वर्गो में संगठित है –

1. एक लूम वाले बुनकर
2. पारिश्रमिक पर कार्यरत बुनकर
3. बहुकरघे वाले बुनकर
4. मास्टर बीवर (कारखाने दार)
5. हथकरघा फैक्ट्री
6. सहकारी समितियाँ

आयोग का अनुमान है कि लगभग 80 प्रतिशत हथकरघा बुनकर या तो एक लूम रखने वाले बुनकर हैं या बगैर लूम के परिश्रमिक पर काम करने वाले बुनकर की कोटि में आते हैं। सहकारिता के आधार पर इन बुनकरों का संगठन इनके हितों की रक्षा के लिये प्रभावकारी माना गया हैं इस समबन्ध में राज्य में 2069 हस्तकरघा उत्पादन सरकारी समितियाँ और उनके पास 1.49 लाख हस्तकरघे हैं। राज्य के 36 जिलों में 45 केन्द्रीय सहकारी समितियाँ पंजीकृत है। इसमें से 748 प्राथमिक सहकारी समितियाँ बन्द है। बची संस्था में से अधिकांश बुरी दशा में हैं। केन्द्रीय समितियाँ बहुत कम कार्य कर रही है।

बुनकर को शोषण से बचाने के लिये सहकारी समितियों के रुप में संगठित कर उन्हे सस्ती दर पर पूँजी उपलब्ध कराने के लिये सरकार प्रयत्नशील है। अप्रैल 1952 में रिजर्व बैंक आफ इण्डिया एक्ट की धारा 17 (2) (1) के अन्तर्गत रिजर्व बैंक को हैण्डलूम उद्योग को राज्य सहकारी बैंक के माध्यम से बैंक रेट पर ऋण देने के लिये अधिकृत किया गया। सहकारी समितियों को यह ऋण 90 दिन के लिये प्राप्त था जो सूत खरीदनें व बेचने के लिये उपयोग किया जा सकता था। 1953 में उक्त एक्ट के सेक्शन 17(2) में उपधारा (बी–बी) जोड़ी गयी। जिसके अन्तर्गत उत्पादन या विक्रय के लिये वित्तीय सहायता देना भी सम्भव हो गया और अधिकतम समय एक वर्ष का कर दिया गया। इस ऋण के लिये राज्य सरकार की गारन्टी आवश्यक थी।

वर्ष 1956 भारत सरकार के आदेश द्वारा राज्य के हस्तकरघों का पंजीकरण किया गया था और उनकी संख्या उत्तर प्रदेश में 288431 निकाली थी।

उत्तर प्रदेश शासन ने हथकरघा उद्योग में लगे बुनकरों की ओर सदैव विशेष ध्यान दिया गया हैं बुनकरों को पूर्णकालिक रोजगार प्रदान किया जाये तथा उनके करघे बन्द न हों ऐसा प्रयास किया जाता है। साथ ही उन्हे अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके और उनका पिछड़ापन दूर हो सके। बेरोजगारी को वर्तमान जटिल समस्या के निराकरण में इस उद्योग की एक महत्वपूर्ण भूमिका है।

२. अर्थ व्यवस्था में हथकरघा उद्योग की स्थिति एवं महत्व :-

1. <u>भारतीय अर्थ व्यवस्था</u> –

हथकरघा उद्योग का हमारे राज्य की अर्थ व्यवस्था में विशिष्टि स्थान है। कषि के बाद ग्रामीण रोजगार उपलब्ध कराने में हथकरघा उद्योग सबसे बड़ा होता है। अतः इस उद्योग का लाभदायक और संगठित विकास करना अत्यनत महत्वपूर्ण है। शासन द्वारा इस उद्योग का लाभदायक और संगठित विशेष ध्यान दिया गया है। वर्ष 1972 में एक सदस्यीय राम सहाय आयोग की संस्तुति पर सितम्बर 1972 को हथकरघा एवं वस्त्रोघाग निर्देशालय की पृथक स्थापना हुयी तथा जनवरी 1973 में हथकरघा निगम की स्थापना की गयी। दोनों नये विभाग इस उद्योग की प्रगति के लिये हर सम्भव प्रयास कर रहे हैं और इसके फलस्वरुप अब प्रदेश का बुनकर प्रगति के पथ पर बढ़ रहा है।

हथकरघा क्षेत्र की कुछ एसी गम्भीर समस्यायें निम्नांकित है ?

1. वित्त की समस्या :– वित्त की समस्या हथकरघा उधोग के लिये एक वास्तविक कठिनाई हैं। बुनकार को कच्चा माल खरीदने, उसके भण्डार बनाने, यन्त्र खरीदने तथा निर्मित माल को रखने के लियें वित्त की आवश्यकता होती है। उसके लिए बैंक अथवा

सहकारी समितियों से धन प्राप्त करना मुश्किल होता है, क्योंकि साधन नगण्य होने के करण व पर्याप्त प्रतिभूति प्रदान नहीं कर सकता है। परिणाम यह होता है कि वह मध्यस्थ जो कि उसको समय–समय पर धन प्रदान करता रहता है उसकी वस्तु को भी खरीद लेता है । इस प्रकार बुनकर उसका ही श्रमिक बनकर रहा जाता है वित्त के क्षेत्र में सरकार की सहमती अपर्याप्त रही है।

2. कच्चे माल की कमी :– हथकरघा उधोग को आवश्यकतानुसार कच्चा माल न तो पयाप्ति मात्रा में मिल पाता है , न उसका गुण प्रमणित होता है और प ही उसका गुण प्रमणित होता है और न ही उसका मूल्य ही उचित होता है। अधिकाश कच्चे माल को संगठित उधोग ही खरीद लेते है । साधारण बुनकर शिकायत करते है कि उनको अच्छा सूत नहीं मिल पाता । इस समस्या के समाधान हेतु हथकरघा उधोग के लिये सहकारी समितियों का गठन और करना चहिये। इस उधोग के लिये कच्चे माल की पूर्ति सरकार को स्वंय करनी चहिये साथ इनकी निर्यात लाइसेन्स भी उदारपूर्वक देने चाहिये।

3. प्रशिक्षण की सुविधाऑ का अभाव :– हथकरघा उधोग में कार्य करने वाले बुनकर अधिकाशतः ग्रामीण क्षेत्र के है। इन्हें उत्पादन कार्य की बारीकियों औार मशीन आदि का ज्ञान नहीं होता है। वर्तमान समय मे राज्य सरकार द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन विभिन्न स्थानो पर समय –समय पर किया जाता है।

4. तकनीकी सुविधाऑ का अभाव :– हथकरधा उधोग के निर्माण की तकनीक घटिया एंव प्राचीन है। योजना आयोग ने भी स्वीकार किया कि हथकरधा उधोग का विकास, तकनीकी की निम्न दर और प्रतिशत तथा अनुभवी प्रशिक्षकों की कमी के कारण पिछड़ा हुआ है सरकार द्वारा प्रदान की जारही सुविधाओं में विस्तार किया जाना चाहिये । इसके अतिरिक्त बुनकरकी तकनीक में आवश्यक सुधार किया जाना चाहिये। केवल सुधरे हुये यन्त्र आदि उपलब्ध कराना ही पर्याप्त नहीं हैं। अपितु उसको भी सिखाया जाना चाहिये। इस सबका आयोजन बुनकर बाहुल्य क्षेत्रो में किया जाना चाहिये।

5. वस्तुओं के विनणन की कठिनायें :– हथकरधा उधोग के लिये विपणन की भी एक जटिल समस्या है। इन उधोगों बाजार बहुत सीमित है और प्रायः स्थानीय या प्रादेशिक है । हथकरधा उधोग के बुनकरो के समक्ष अपनी वस्तुओ के विपणन की भी भावी समस्या है, क्योकि आधुनिक समय में जनता की रूचि भी परिवर्तित होती जा रही है। हथकरधा द्वारा निर्मित वस्त्र की कीमत मशीन द्वारा निर्मित वस्त्रो से अधिक होती है। इसके अतिरिक्त अशिक्षा के कारण वे बाजार के विस्तृत क्षेत्र से अपरिचित्र रहते है।

भारत सरकार द्वारा संचलित जनता वस्त्र उत्पादन योजना :–

भारत सरकार द्वारा वर्ष 1976 से जनता वस्त्र उत्पादन योजना पूरें देश में आरम्भ की गयी । इस योजना को चलाने जाने का प्रमुख उद्देश्य हथकरधा

बुनकरों को रोजगार के अवसर उनलब्ध कराने के साथ –साथ ग्रामीण व गरीब जनता को सुलभ सस्ता वस्त्र उपलब्ध कराना भी है ।

प्रदेश सराकार द्वारा जनता वस्त्र योजना हथकरघा वस्त्र उत्पादन का एक महत्वपुर्ण कार्यक्रम है तथा उत्तर प्रदेश जनता वस्त्र उत्पादन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है।

प्रदेश जनता वस्त्र उत्पादन का कार्य उ0 प्र0 हथकरघा निगम तथा इण्डस्ट्रियल कोआपरेटिव एसोसियेशन (यूरिका)के माध्यम से बुनकरों एंव सहकारी समितियों द्वारा कराया जाता है। प्रदेश में जनता वस्त्र विभिन्न श्रेणियो मै यू0 पी0 –1 यू0 पी0 12 व यू0 पी0 13 तक किया जा रहा है । जिसके अन्तर्गत मर्दानी होती, लेंड्रीज साड़ी, छपे हुये वस्त्र, शर्टिंग जैसे विभिन्न श्रेणीयो में जनता वस्त्र का उत्पादन हो रहा है।

2. उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था –

पिछली जनगणना तथा 1972 में एक सदस्यीय राम सहाय आयोग द्वारा किये गये सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ है कि उत्तर प्रदेश में हथकरघा उद्योग के माध्यम से कपड़े जैसी आवश्यक वस्तु का उत्पादन विकेन्द्रित आधार पर 5 लाख से अधिक करघों पर किया जाता हैं वर्तमान उत्पादन स्तर 360 मिलियन मीटर कपड़ा प्रतिवर्षहै और इसके माध्यम से 15 लाख से अधिक बुनकरों को जीवका प्राप्त हो रही है।

हथकरघा क्षेत्र को , वस्त्र निर्माण से उस शक्तिशाली मिल क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है जिसे अपेक्षाकृत कम कीमत पर सूत की प्राप्ति, अधिकतम उत्पादन तथा सुसंगठित विक्रय की सुविधा प्राप्त है। साथ ही हथकरघा बुनकरों के सतत् शोषण के लिये विचौलियें सूत्र के व्यापारी तथा आढ़तियों की एक बड़ी श्रंखला विद्यमान है। इस प्रकार एक ओर जहां इस उद्योग को ऊंची उत्पादन लागत अपेक्षित उत्पादकता की कमी तथा उत्पादन में गुणात्मक सुधार की आवश्यकता एवं तेयार माल की निकासी जैसी

समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है वहीं दूसरी ओर बुनकरों की आर्थिक स्थिति के सुधार के मार्ग में बाधक तत्वों के निराकरण की भी आवश्यकता बहुत दिनों से अनुभव की जा रही है।

3. झाँसी मण्डल की अर्थ व्यवस्था :-

हथकरघा उद्योग सर्वाधिक महत्वपूर्ण कुटीर उद्योग है। जिसका ग्रामीण अर्थव्यवस्था में विशेष योगदान है तथा अधिकाधिक रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं। भारतवर्ष में हथकरघा के कलात्मक धरोहर को जीवित एवं झाँसी मण्डल को साकार रुप प्रदान करने में जिस श्रम शक्ति एवं हाथों का योगदान है, वह बुनकर का है जो इस प्रदेश में लगभग 7 लाख है। वे बुनकर हथकरघा को अपनी जीविका का साधन बनायें है। झाँसी मण्डल में लगभग 18 बुनकर है। उत्तर प्रदेश सरकार इन्ही बुनकरों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास एवं उनके जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार लाने के लिये विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों को संचालित कर रही हैं जो योजनायें निम्नांकित है –

1. हथकरघा विकास केन्द्र
2. प्रोजेक्ट पैकेज योजना
3. आवासयुक्त कार्यशाला
4. साख सीमा ऋण

हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निर्देशालय द्वारा पंजीकृत बुनकर सहकारी समितियां एवं उनके सदस्यों को सहायतायें प्रदान की जाती है। वर्ष 1996 के हथकरघों सर्वेक्षण के आधार पर झाँसी मण्डल मे हथकरघा बुनकरों एवं पंजीकृत समितियों की स्थिति निम्न प्रकार है।

तालिका -१

झाँसी मण्डल में समितियाँ, हथकरघों, बुनकरों पावरलूमों का विवरण-

सन् - १९९६ तक की स्थिति

	झाँसी	जालौन	ललितपुर	योग
पंजीकृत समितियों की संख्या	148	33	08	189
हथकरघों की संख्या	2458	712	307	3477
बुनकरों की संख्या	12253	1545	642	14430
पावरलूमों की संख्या	1293	193	28	1514

स्त्रोत :— हथकरघा कार्यालय, झाँसी

हथकरघा एवं वस्त्रोंउद्योग निर्देशालय द्वारा बुनकरों को सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण हेतु अनेक कार्यक्रम चलायें जा रहें हैं। इनके द्वारा बुनकरों को दी जाने वाली सहायताओं का विवरण निम्न प्रकार है

1. शिफ्ट फण्ड योजना
2. सामूहिक बीमा योजना
3. हैल्थ पैकेज योजना

इन सभी योजनाओं के बाद भी कुछ और अनेक योजनाओं पर विचार चल रहा हैं।

अध्ययन का उद्देश्य, अनुसंधान समस्या तथा अनुसंधान विधि

१. अध्ययन का उद्देश्य

२. अनुसंधान समस्या का स्वरुप

३. अनुसंधान विधि

क. अनुसंधान की प्रगति

ख. समग्र का आकार एवं स्वरुप

ग. नमूने का आकार एवं स्वरुप

घ. नमूने की ईकाइयों के चयन की विधि

ड़ समंको के संकलन की विधि

च. प्रयुक्त किये जाने वाले सांख्यकीय टूल (यंत्र)

अध्ययन के उद्देश्य, अनुसंधान समस्या तथा अनुसंधान विधि

मनुष्य सदैव से एक जिज्ञासु प्राणी है। अपनी ज्ञान पिपासा और जिज्ञासु प्रकृति के कारण अपने चारो ओर छिपे हुए विभिन्न रहस्यो को याथार्थ रूप में परिवर्तित करने के लिये युगों –युगों से मानव प्रयासरत रहा है । यधपि मानव ने प्रकृति के बहुत कुछ रहस्यों का पर्दाफास कर लिया है। किन्तु जिस प्रकार ज्ञान विज्ञान का कोई अन्त नहीं होता। ठीक उसी प्रकार मानव की जिज्ञासु प्रकृति का भी कभी कोई अंत नहीं होता । मानव सदैव समाज की सच्चाइयॉ एंव रहस्यों का पता लगाने के लिये प्रयत्नशील रहता है । मानव एक खोज मूलक प्राणी भी है जो अपने चारो विधमान सभी प्रकार की घटनाओं का करण व परिणाम जानने का प्रयास करता है । **अग्रवाल एंव पाण्डेय के अनुसार** "मानव की जिज्ञासा का आधार चाहे प्राकृतिक हो या समाजिक कठिनतायें, इनसें संबधित ज्ञान का स्पष्टीकरण करना ही शोध है। यह प्रक्रिया जब सामाजिक घटनाओं से सम्बद्व हो जाती है तब इसी को हम सामाजिक अनुसंधान अथवा सामाजिक शोध कहते है ।"[1]

सामाजिक शोध एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम किसी घटना से संबंधित मूलभूत तत्वों का अवलोकन करके उसकी प्रकृति को समझने का प्रयास करते है।और इसके बाद उन नियमों का निर्माण करने का प्रयास करते है और इसके बाद उन नियमों का विशेष घटना से कार्य –परिणाम संबधो को ज्ञात कर सके सामजिक शोध एक ऐसी पद्वति है जिसमें किसी विशेष लक्ष्य को सामने रखकर नवीन सिद्वान्तों का अनुसंधान किया जाता है अथवा विधमान परिस्थितियों के अन्तर्गत परम्परागत सिद्वान्तों की सत्यता की जाँच का कार्य किया जाता है ।

ओगाईस के शब्दो में:– "एक साथ रहने वाले लोगों के जीवन में कियाशील अन्तर्निहित प्रकियाओं की खोज ही समाजिक शोध है।"[2] इस प्रकार ओगाईस ने व्यकितगत जीवन और क्रियाओं के बजाय सामूहिक जीवन और व्यवहार पर बल दिया है। फिशर के अनुसार !"किसी समस्या को हल करना अथवा एक परिकल्पना की परीक्षा करने अथवा नयी घटना या नये संबधो को खोजने के उद्देश्य परस्थितियों में उपयुक्त कार्यविधि का प्रयोगकरना ही सामाजिक शोध है।"[3]

स्त्रोत 1 अग्रवाल एंव पाण्डेय – सामजिक शोध पृष्ठ 1

स्त्रोत –2 ओगाईस, इ0 एस0 – सोसियोलॉजी, पृष्ठ 543

स्त्रोत –3फिशर, जी0 एम0 – डिक्शनरी ऑफ सोसियोलौजी पृष्ठ 178

मोजर के शब्दों में :"सामजिक घटनाइयो तथा समस्याओं के बारे में नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिये व्यवस्थित अनुसंधान कार्य को हम सामाजिक शोध कहते है ।"[4]

उपयुक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट होता है कि शोध तात्पर्य केवल नवीन सिद्वान्तों का निर्माण करना ही नही होता बस पुराने तथ्यो की प्राःथमिकता को जानने और विभिन्न घटनाओं के संचालिंत करने वाले नियमों को जानना भी होता है।

1. सामाजिक अनुसंधान का तात्पर्य वैज्ञानिक अनुसंधान पद्वति प्रयोग करके मानव व्यवहारो एंव सामाजिक घटनाओं का सूक्ष्म एंव व्यापक अध्ययन करना होता है।

2. सामजिक शोध द्वारा किसी परिकल्पना की उपयुक्ता की जांच की जा सकती है।

3. सामाजिक शोध का संबध नवीन प्रविधियां के समुचित विकास से है ।

4. सामाजिक शोध एक ऐसी वैज्ञानिक पद्वति है जिसके द्वारा प्राप्त निष्कर्षो को सिद्वान्तो का रूप प्रदान किया जाता है।

5. सामाजिक शोध का उद्देश्य विधमान परिस्थितियॉ का अध्ययन करके नवीन ज्ञान का सृजन करना है।

6. सामाजिक शोध की आधारभूत मान्यता यह है कि कोई भी सामजिक घटना कुछ अन्य घटनाओं से समबन्ध होती है।

7. सामजिक शोध में न केवल नवीन तथ्यों की खोज की जाती है वरन् पूर्व स्थापित सिद्वान्तों का पुनः परीक्षण भी किया जाता है।

इस प्रकार सामजिक शोध एक जटिल प्रकिया है । शोध कार्य की सफलता के लिए यह आवश्यकता है कि एक शोधकर्त्ता व्यवस्थित रूप से शोध के प्रमुख चरणों को ध्यान में रखतें हुये अपना शोध कार्य प्रारम्भ करें। सामाजिक शोध चाहे किसी भी प्रकार का क्यों न ही उसके लिये वैज्ञानिक प्रविधियॉ का उपयोग करना परम आवश्यक है। सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक द्वष्टिकोण से जब तक परीक्षण नहीं हो जाता, तब तक उसे शोध का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। शोध कार्य की सफलता तभी सम्भव है जबकि शोधार्थी व्यक्तिगत रूप से शोध के प्रमुख चरणों को ध्यान में रखतें हुए अपना कार्य करना प्रारम्भ है ।

स्त्रोत : 4 मोजर, सी0 ए0 – सर्व मेथडल इन सोशल इन्वेस्टीगेशन्स पृष्ठ 3

सामाजिक शोध का प्रथम किन्तु महत्वपूर्ण चरण सम्बन्धित शोध विषय चयन करना होता है। यही चरण हमारे लक्ष्यो को निर्धारित करता है। एक अनुसंधान कर्ता चाहे कितना भी योग्य क्यो न हो, यदि आरम्भ से ही शोध कर्ता किसी भी प्रकार अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकता। यदि शोधर्थी अपनी मस्तिक में उत्पन्न बिचारों को स्पष्ट एवं निश्चित शब्दो में अभिव्यक्त नही करता तब ये विचार मात्र कल्पना रह जाती। अतः ऐसे विचार वैज्ञानिक शोध का आधार नहीं बन सकते।

1. अध्ययन का उद्देश्य :-

निश्चित उद्देश्य के अभाव में बहुत सा परिश्रम, धन और समय ऐसे शोध कार्य में लग सकता हैं जिसका मुख्य विषय से कोई संबंध नही है। सामाजिक शोध क्यो आयोजित किये जाते है ? यह प्रश्न सामाजिक शोध के उद्देश्यों का निर्धारण करता है। सामाजिक धरनाओं की प्रकृति विविधापूर्ण होती है। इसलिये सभी सामाजिक शोधों का उद्देश्य ज्ञान का अर्जन करना होता है। तो कोई शोध कार्य संबन्धित कारणों को ज्ञात करने के लिये किया जाता है कुछ सामाजिक शोध किसी विशिष्ट समस्या को हल ढूढ़ने के लिये किये जाते है तो किसी शोध का उद्देश्य प्रचलित कल्याण कार्यक्रमों को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए किया जाता है। इससे स्पष्ट है कि उद्देश्यों को पूर्व निर्धारित किये बिना सामाजिक शोध उपयोगी सिद्व नहीं हो सकता है। इसलिए शोध कार्य का शुभारम्भ करते समय ही शोधार्थी के समक्ष उद्देश्यों की स्पष्ठ व्याख्या होनी चाहिये और इसके बाद ही उसे शोध कार्य आगे बहाने का प्रयत्न करना चाहिये। अध्ययन के उद्देश्य को मुख्य उद्देश्य एवं गौण उद्देश्य से विभक्त कर सकते है।

मुख्य उद्देश्य :– झाँसी मण्डल के बुनकरों की आर्थिक स्थिति, रोजगार की स्थिति निर्धनता की स्थिति, आवास और व्यवसाय की स्थिति का आंकलन करना एवं उन कारणों का पता लगानाजो बुनकरों की कमजोर आर्थिक स्थिति के लिये उत्तरदायी हैं। जिससे बुनकरों का सर्वागीण विकास हो सके। क्यों कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में व्यक्ति की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति आवश्यक है।

गौण उद्देश्य :–
1. बुनकरों के विकास की सम्भावनायें खोजना।
2. बुनकरों में स्वरोजगार की सम्भावनाओं का पता लगाना और उसके लिये उपाय खोजना।
3. बुनकरों को सहकारिता के आधार पर संगठित करने की दिशाओं का पता लगाना।
4. बुनकर मध्यस्थ उपभोक्ताओं के बीच के सम्बंध की वास्तविक स्थिति का विशलेषण करके यह ज्ञात करना कि यह स्थित बुनकरों के शोषण के लिये किस सीमा तक उत्तरदायी है।

शोधार्थी ने शोध प्रबंध को पूर्ण करने में जिन उद्देश्यों का निर्धारण किया है उन पर अमल करने के पश्चात् बुनकरो की आर्थिक स्थिति की परिकल्पना की जा सकती है। तथा श्रमिकों एवं नियोक्ताओ के मध्य सामंजस्य स्थपित किया जा सकता है। ऐसी शोधार्थी को पूर्ण विश्वास है। **मोजर के शब्दों में** :"सामजिक घटनाइयो तथा समस्याओं के बारे में नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिये व्यवस्थित अनुसंधान कार्य को हम सामाजिक शोध कहते है ।"[5]

उपयुक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट होता है कि शोध तात्पर्य केवल नवीन सिद्वान्तों का निर्माण करना ही नही होता बस पुराने तथ्यो की प्राथिमिकता को जानने और विभिन्न घटनाओं के संचालिंत करने वाले नियमों को जानना भी होता है।

1. सामाजिक अनुसंधान का तात्पर्य वैज्ञानिक अनुसंधान पद्वति प्रयोग करके मानव व्यवहारो एंव सामाजिक घटनाओं का सूक्ष्म एंव व्यापक अध्ययन करना होता है।

2. सामजिक शोध द्वारा किसी परिकल्पना की उपयुक्त की जांच की जा सकती है।

3. सामाजिक शोध का संबध नवीन प्रविधियां के समुचित विकास से है ।

4. सामाजिक शोध एक ऐसी वैज्ञानिक पद्वति है जिसके द्वारा प्राप्त निष्कर्षो को सिद्वान्तो का रूप प्रदान किया जाता है।

5. सामाजिक शोध का उद्देश्य विधमान परिस्थितियों का अध्ययन करके नवीन ज्ञान का सृजन करना है।

6. सामाजिक शोध की आधारभूत मान्यता यह है कि कोई भी सामजिक घटना कुछ अन्य घटनाओं से समबन्ध होती है।

7. सामजिक शोध में न केवल नवीन तथ्यों की खोज की जाती है वरन् पूर्व स्थपित सिद्वान्तों का पुनः परीक्षण भी किया जाता है।

इस प्रकार सामजिक शोध एक जटिल प्रक्रिया है । शोध कार्य की सफलता के लिए यह आवश्यकता है कि एक शोधकर्त्ता व्यवस्थित रूप से शोध के प्रमुख चरणों को ध्यान में रखतें हुये अपना शोध कार्य प्रारम्भ करें। सामाजिक शोध चाहे किसी भी प्रकार का क्यों न ही उसके लिये वैज्ञानिक प्रविधियॉ का उपयोग करना परम आवश्यक है। सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक द्वष्टिकोण से जब तक परीक्षण नहीं हो जाता, तब तक उसे शोध का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। शोध कार्य की सफलता तभी सम्भव है जबकि शोधार्थी व्यक्तिगत रूप से शोध के प्रमुख चरणों को ध्यान में रखतें हुए अपना कार्य करना प्रारम्भ है ।

स्त्रोत:-5 मोजर, सी0 ए0 – सर्व मेथडल इन सोशल इन्वेस्टीगेशन्स पृष्ठ 3

2. अनुसंधान समस्या का स्वरूप :–

2. अनुसंधान समस्या का स्वरूप :–“सामाजिक शोध का प्रथम किन्तु सबसे महत्वपूर्ण चरण सम्बन्धित शोध समस्या का आकलन करना है।”6 समस्या का प्रारम्भ जिज्ञासा से होता है। कभी–कभी प्राप्त ज्ञान या उपलब्ध सूचनायें किसी क्षेत्र विशेष में उत्पन्न मानवीय जिज्ञासा को संतुष्ट करने में असमर्थ रहती है। इस अवस्था से ही समस्या का उदय हो ता है। प्रत्येक अनुसंधान कार्य किसी समस्या या प्रश्न से लेकर आरम्भ किया जाता है।

शोध के लिये सामाजिक समस्याओं का अनीमित भण्डार हमारे चारों विखरा हुआ है।

हमें विषय चनन के लिये केवल अपने चारो ओर केवल एक जिज्ञासु एवं सर्वेक्षण को ही हम शोध समस्या समझने की अप्रत्यशित भूल कर जाते है किन्तु ऐसे विचारों को निश्चित एवं स्पष्ट शब्दों में अभिव्यक्त नहीं किया जाता तब तक यह विचार मात्र कोरी कल्पना रहते है क्योंकि सभी विचार वैज्ञानिक शोध की समस्या का आधार नहीं बन सकते।

कोई समस्या शोध के योग है अथवा नहीं इसका विश्लेषण करते समय निम्न लिखित बातों पर घ्यान दिया जाना चाहिय

1. क्या शोध की समस्या वास्तविक है अथवा काल्पनिक ?
2. क्या समस्या के परीक्षण सम्बन्धी तक्ष्य उपलब्ध हो सकते है?
3. क्या इन तथ्यों के संकलन की विधि उपलब्ध है?
4. क्या समस्या का अध्ययन हमारे शोध संस्थानो समय सीमा तथा कार्य क्षमता की सीमा है।
5. क्या शोध कर्त्ता को शोध विषय मे रूचि है?
6. क्या शोध समस्या शोध कार्य के द्वष्टि कोण से व्यावहारिक है या नही।

समस्या के चुनाव के सम्बन्ध में आर एस एकाक ने तो यहॉ तक कहा कि,"किसी समस्या का टीक प्रकार से निर्धारण करना इसका आधा समाधान है। अक्षति विषय का चुनाव बहुत सोच समझकर अनुसंधान कर्त्ता की स्वयं की रूचि, क्षमता, समस्या विधि,प्रवधि आदि बातों को घ्यान में रखकर किया जाना चाहिये।" ए0 आइ सटीन तथा एन0 इनफैल्ड ने ठीक ही रहा है कि समस्या का प्रतिपादन प्रायः इससे समाधान से अधिक आवश्यक है ।

स्रोत:- आर एस एकाफ कि डिजाजन ऑफ सोशियल रिसर्च, पृष्ठ 14

स्रोत:- डा0 सुरेन्द्र सिंह, समाजिक अनुसंधान खण्ड 1 पृष्ठ 124

हथकरघा उद्योग की भी अनेक समस्यायें है। हथकरघा उद्योग को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल न तो पर्याप्त मात्रा में मिलता है, न उसका गुण प्रभावित होता है और न ही उसका मूल्य उचित होता है। वित्त के क्षेत्र में सरकार की सहायता अपर्याप्त रही है। हथकरघा उद्योग के निर्माण की तकनीक घटिया एवं प्राचीन है। बुनकरों के समक्ष अपने वस्तुओं के विपणन की भी भावी समस्या है। उद्योग में कार्य करने वाले बुनकरों में शिक्षा एवं प्रशिक्षण का पूर्णतया अभाव है। इन समस्याओं के कारण इस उद्योग को वस्तु उत्पादन के कार्य में शक्तिशाली मिल क्षेत्र से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। हथकरघा उद्योग के विकास की वर्तमान प्रक्रिया को गति देने में हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग निदेशालय उत्तर प्रदेश, राज्य हथकरघा निगम एवं इसकी सहायक संस्थाओं तथा यूपिका की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

परन्तु उत्तर प्रदेश में हथकरघा उद्योग में लगे बुनकरों एवं श्रमिकों के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान के लिये सार्थक प्रयत्न नहीं हुये हैं। जिससे उनकी आर्थिक स्थिति गरीबी रेखा से नीचे की ओर खिसकती जा रही है।

भारत के विभिन्न प्रदेशों में उत्तर प्रदेश आर्थिक दृष्टि से अत्यंत पिछड़ा प्रदेश माना जाता है। इस प्रदेश के क्षेत्रीय असन्तुलन की स्थिति अत्यंत गम्भीर है तथा झाँसी मण्डल के जिले ललितपुर, झाँसी, जालौन अत्यंत पिछड़े जिले है। आज हथकरघा उद्योग सहकारी सहायता के कारण विकसित हो रहा है। परन्तु उसमें काम करने वाले श्रमिक की आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। बुनकरों के समक्ष वस्तुओं के विपणन की समस्यायें तथा साथ ही साथ उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों में शिक्षा का पूर्णतया अभाव रहा है।

हथकरघा उद्योग में आज श्रमिक की भर्ती, उनके कार्य की दशायें, उनकी शिक्षा की व्यवस्था, मजदूरी की पद्धति तथा उनके श्रम कल्याण तथा सामाजिक सुरक्षा इत्यादि की अत्यंत दयनीय स्थिति है। प्रदेश में हथकरघा उद्योग में लगे हुये श्रमिक की आर्थिक स्थिति का अध्ययन अत्यंत आवश्यक हो गया है। क्यों कि श्रामिकों की आर्थिक स्थिति उनकी कार्य क्षमता को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है।

3. अनुसंधान विधि :-

किसी अनुसंधान के अन्तर्गत समग्र के विषय में सूचना दो प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। प्रथम संगठना विधि अर्थात समस्त इकाईयाँ के अध्ययन द्वारा जब अनुसंधान से सम्बन्धित समूह की प्रत्येक ईकाई के सम्बन्ध में सूचना सम्मलित की जाती है। तो इसे संगठाना अनुसंधान विधि कहा जाता है। लेकिन सम्रग्र की समस्त इकाईयाँ की जांच न करके किसी विशेष आधार पर कुछ प्रतिनिधि इकाईयों को चुना जाता है और उनका गहन अध्ययन करके सम्रग्र की समस्त इकाईयों पर लागू किया जाता है तो उसे निदर्शन अनुसंधान विधि कहते है।

वर्तमान में गहन विश्लेषण एवं मितव्ययिता की दृष्टि से निदर्शन अनुसंधान विधि का ही अव्यधिक प्रयोग किया जाता है क्योकि संगणना अनुसंधान न तो प्रत्येक परिस्थिति में सम्भव ही है और न ही आवश्यक ही होता है। निदर्शन अनुसंधान के द्वारा प्राप्त होने वाले परिणाम वास्तविकता के निकट ही होते है। इसके साथ ही यह विधि अपेक्षाकृत अधिक वैज्ञानिक भी है। इसलिये इस रीति का प्रयोग अनुसंधान या शोध कार्य के क्षेत्र मे दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। इस पद्वति में समग्र की सभी इकाईयों का अध्ययन न करके समग्र में से कुछ ऐसे पदों को कुशलता एवं सावधानी से नमूनों के रूप में चुन लिया जाता है। जो समग्र का प्रतिनिधित्व करते है और इन प्रतिनिधि इकाईयों का ही अध्ययन किया जाता है तथा इन्ही से सम्बन्धित सूचनाए एकत्र की जाती है। इनके आधार पर परिणाम ज्ञात किये जाते है उन्हें समग्र पर लागू किया जाता है।

निर्देशन के बिना वैज्ञानिक अनुसंधान असम्भव है। जिन परिस्थितियाँ का हम अध्ययन करना चाहते है वह अनेक इकाईयों से सम्बन्धित होती है। जिसकें कारण सभी का साक्षात्कार परीक्षण तथा नियंत्रित परिस्थिति में

अवलोकन करना सम्भव नही हो निर्देशन के द्वारा इन समस्याओं का समाधान सरलता से हो जाता है। निर्देशन से अनुसंधान के समय, धन एवं शक्ति की बचत होती है। तथा व्यापक क्षेत्र की समस्या का अध्ययन सम्भव हो पाता है। अतः किसी भी अनुसंधान कर्ता को निदर्शन के विधि विधान तथा उसकी सीमाओं से परिचित होना आवश्यक है।

निर्देशन के बिना वैज्ञानिक अनुसंधान असम्भव हैं। जिन परिस्थितियों का हम अध्ययन करना सभी का साक्षात्कार परीक्षण तथा नियंत्रित परिस्थिति में अवलोकन करना सम्भव नहीं है निदर्शन के द्वारा इस समस्या का समाधान सुगमता से हो जाता है। अतः किसी भी अनुसंधान कर्त्ता को निदर्शन के विधि विधान तथा उसकी सीमाओं से परिचित होना आवश्यक है।

वर्तमान युग निदर्शन अथवा प्रतिचयन का युग है। आज के व्यस्ततम् युग में किसी के पास इतना समय नहीं है कि संगणना प्रणाली के आधार पर समुचे समय को अध्ययन करके कार्य करे, इस युग में तो निदर्शन के आधार पर निर्णय लिये जाते है। दैनिक जीवन की अधिकांश समस्याओं का समाधान संगणना से नहीं करना प्रतिचयन के द्वारा ही सम्भव है तथा यह अपने आप मे कोई अतिश्योकित नही है क्योकि गेहू के विशाल देर मे से कुछ दानों को देखकर उसकी किस्म पता लगा लेना रक्त की एक बूंद का परीक्षण करके रोगो के रोग का निदान कर देना, शादी से पूर्व कुछ, प्रश्नों के आधार पर जीवन साथी तय कर लेना ये सब बाते सही अर्थो में निदर्शन अथवा न्यादर्श की ही व्याख्या मात्र है।

प्रतिचयन अथवा निदर्शन समूचे का प्रतिनिधित्व करता है। अधिकांश सांख्यिकी का यह अटूट विश्वास है कि यदि किसी समग्र में से निदर्शन इकाईयों का चयन वैज्ञानिक तरीको से किया जाए तो निदर्शन इकाई में समग्र की सभी विशेष्ताये दृष्टि गोचर होगी।

इस अनुसंधान विधि के बारे में विभिन्न विशेषज्ञों के विचार निम्न लिखित है।

1. निदर्शन उस सम्पूर्ण समूह अथवा योग का एक लघु चित्र है जिसमें से निदर्शन लिया जाता है।

श्रीमती यंग के अनुसार

2."न्यादर्श किसी समग्र का वह भाग है जो सम्पूर्ण समग्र के अनुसंधान के लिए चुना जाता है एक न्यादर्श को समग्र की विशेषताओं का स्पष्ट चित्रण करना चहिए। यह अपने से एक लघु समग्र के समान है या इसे समग्र का उप समुच्चय कह सकते है।"[6]

स्त्रोत :-6 श्रीमती पी. बी. यंग, सर्वे ऑफ सोशियल रिसर्च, पृष्ठ 18

सिम्रसन एवं काटका के अनुसार :—

3 केवल कुछ पॉण्ड कोयले की जॉच के आधार पर एक गाड़ी कोयला स्वीकार एवं रद् किया जाता है, केवल एक बूंद रक्त की जॉच करके एक रोगी के रक्त के विषय में रोगी चिकित्सक निष्कर्ष निकालता है। निदर्शन ऐलो यक्तियों है जिनके द्वारा केवल कुछ इकाईयों का ही निरीक्षण करने वृदह मात्राओं के बारे में जाना जाता है।

निदर्शन की रीतियॉः– सामान्य रूप में न्यादर्श के चुनाव के लिए निम्निलिखित रीतियों का प्रयोग किया जाता है

1. सविचार निदर्शन रीति –"सविचार निदर्शन रीति में अनुसंधान कर्त्ता समग्र में से स्वयं कुछ इकाईयॉ छाटतें है जो इनके विचार में समग्र की सर्वोत्तम प्रतिनिधि होती है न्यादर्शा के चुनाव के लिए इस प्रणाली में अनुसंधान कर्त्ता की इच्छा से और आवश्यकता का महत्व दिया जाता है"[1]

इस प्रकार छाटे गये न्यादर्शो के गहन अध्ययन से प्राप्त परिणामों के आधार पर वह पुरे समय के बारे में निष्कर्ष निकाल लेता है।

2. दैव निदर्शन अथवा एच्छिक प्रतिचयन :– चुनाव में भारतीय पक्षताप को समाप्त करने के लिए दैव निदर्शन की रीति का उपयोग किया जाता है दैव निर्देशन अथवा एच्छिक प्रतिपादन के ईकाइयॉ का चयन इस प्रकार किया जाता है। कि समग्र प्रत्येक इकाई के चुने जाने की सम्भावना समान है। दैव निदर्शनके अनुसार न्यादर्शो के चुनाव की क्रिया निम्न विधियॉ से सम्पन्न की जाती है

1– लॉटरी रीति द्वारा

2– ढोल घुमाकर

3– निश्चित क्रम के आधार पर

4– टिटपेट की रीति

3. स्टरित अथवा मिश्रित निदर्शन रीति :– यह रीति सविचार एंव दैव निदेर्शन रीतियो का मिश्रण है।

1 स्त्रोत :– डा0 बी एम0 जैन, शोध, प्रविधि एंव क्षेत्रीय

इस रिति के अनुसार वर्गो या स्तरो में समग्र को विभिन्न विशेषताओं के आधार पर विभाजित कर दिया जाता है। जिससे कि प्रत्येक वर्ग अथवा समूह में से न्यादर्शा का चुनाव हो सके इसके पश्चात भिन्न–2 वर्गो में से वद्वित न्यादर्श दैव निदर्शन के आधार पर प्राप्त किए जाते है। प्रत्येक खण्ड में से

छाँटे जाने वाले मदो की संख्या उसमें सम्मिलित कुल मदो के अनुपात में होगी।

अन्य निदर्शन रीतियॉ :- उपयुक्त रीतियॉ के अतिरिक्त कुछ निदर्शन रीतियो और भी प्रचलित है।

1–उपयुक्त्त निदर्शन रीति

2– बहुस्तरीय दैव निदर्शन

3– अभ्यंश निदर्शन

किन्तु शोधकार्य के दौरान शोधर्थी ने निम्न तकनीकी पद्धतियों को अपनाई। निर्देशन के आधार पर समग्र की इकाइयों का चुनाव करना एवं इकाइयों का चयन देव निर्देशन के आधार पर किया गया। प्रत्येक जनपद में ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र से 100–100 इकाईयां (कुल 600 इकाईयां) का चयन किया गया नगरीय क्षेत्रों में झाँसी, रानीपुर, मऊरानीपुर (सभी झाँसी जनपद), जालौन, उरई, कालपी,(सभी जालौन जनपद), ललितपुर, तालबेहट, महरौनी (सभी ललितपुर जनपद) में बुनकर बाहुल्य मुहल्लों/बार्डो का चयन किया गया। प्रत्येक बार्ड में बुनकरों की सूची तैयार करके उसमें में 20 प्रतिशत को छांटा गया। प्रति शहरी क्षेत्र 33–33 बुनकरों को साक्षात्कार कर चयन किया गया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में बुनकरो के चयन करने की पद्धति निम्न प्रकार अपनाई।

प्रथम स्तर पर बुनकर बाहुल्य ग्रामों का पता लगाया।

प्रत्येक जनपद में बुनकर बाहुल्य ग्रामों की सूची तैयार करके उसमें से 10 ग्रामों का चयन देव निर्देशन आधार पर किया।

चयनित ग्रामों में बुनकरों की सूची बनाकर प्रत्येक ग्राम से 10 बुनकरों का चयन देव निर्देशन के आधार पर किया।

झाँसी मण्डल में हथकरघा उद्योग में कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभार्थियों से साक्षात्कार एवं प्रश्नावली के माध्यम से सूचनाओं को संकलन किया गया।

संस्थागत वित्त निर्देशालय से सम्पर्क स्थापित किया।

सांख्यिकीय प्रकाशनों को सांख्यकीय कार्यालयों से प्राप्त किया।

हथकरघा उद्योग प्रकाशनों का केन्द्र, राज्य एवं जिले स्तर पर प्राप्त किया।
लाभार्थी संगठनों से सम्पर्क किया।
मंडल, जिले एवं हथकरघा उद्योग कर्मियों से सम्पर्क किया।
हथकरघा उद्योग योजना के अन्य प्रकाशनों का प्रयोग किया।
इस प्रकार शोघ कार्य के दौरान प्राथमिक एवं द्वित्तीय सामग्री को प्राप्त कर सांख्यिकीय पद्धति का प्रयोग कर उसे शोध कार्य केस उद्देश्य से वर्गीकृत एवं विश्लेषित कर प्रयोग किये गये। सांख्यिकीय साम्रगी को वगीकृत विश्लेषित करने में कम्प्यूटर का प्रयोग किया गया।

क. अनुसंधान की प्रकृति :-

हथकरधा उद्योग जो कि कभी अत्याधिक विकसित तथा सम्मानीय व्यवसाय था अब मृतप्राय अवस्था में हैं अधिकांश बुनकर परिवार ने इस उद्योग को छोड़ दिया हैं। अगर हम स्वदेशी सिद्धान्तों का पालन करते है तो हमारा यह कर्तव्य होगा कि हम ऐसे पड़ोसियों को टूटे जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। यदि वह इस सम्बन्ध में जानकारी नहीं रखते हैं।तो उनको माल की पूर्ति करना भी सिखायें। हमें उनको अपना पड़ोसी समझना चाहियें जोकि अच्छे व्यवसाय की तलाश में हैं। इस प्रकार भारत का प्रत्येक गांव एक आत्मनिर्भर और स्वतन्त्र ईकाई होगा। वह केवल ऐसी आवश्यकता वस्तु को ऐसे गांव से विनिमय करेगा जो उसके गांव में निर्मित नहीं की जाती हैं।

ख. समग्र का आकार एवं स्वरूप :-

हरकरधा उद्योग देश के अन्य भागों की भाँति ही बुन्देलखण्ड़ क्षेत्र का प्रमुख लघु एवं कुटीर उद्योग हैं। झाँसी मण्डल बुन्देलखण्ड़ का एक केन्द्र बिन्दु हैं [illegible] और बुन्देलखण्ड़ की आर्थिक

– सामाजिक सांस्कृतिक स्थितियों का वास्तविक प्रतिनिधित्व करता हैं। प्रचीन काल से लेकर मध्यकाल तक इस क्षेत्र में हथकरघा उद्योग स्थानीय स्तर पर कपड़ो की आपूर्ति का प्रमुख श्रोत रहा है। झाँसी जनपद में रानीपुर शताब्दियों से हथकरघा का केन्द्र रहा हैं। यद्यपि यहां अब हथकरघा का स्थान पावरलूम ने ले लिया हैं तथापि फिर भी हाथ से बुनाई करने वाले श्रमिक आज भी इस क्षेत्र में हैं। मिल/पावरलूम कपड़े की गुणवत्ता, नीचे उत्पादन लागत सुसंगठित बिक्री, संगठन की तुलना में हथकरघा उद्योग की स्थिति लगातार कमजोर होती जा रही हैं। अब तो हथकरघा उद्योग केवल उन्ही क्षेत्रों में सिमिटकर रह गया है जहां कलात्मक दृष्टि से उच्च कोटि के कपड़े बनते हैं,ऊपरी तौर पर विश्लेषण करने पर हथकरघा उद्योग के बारे में निम्नलिखित तथ्य सामने आये हैं।

1. हथकरघा का स्थान पावरलूम लेता जा रहा हैं।
2. बुनकरों की आर्थिक स्थिति अत्याधिक कमजोर हैं।
3. करधो में तकनीकी सुधार की प्रकिया अत्याधिक धीमी हैं।
4. उच्च स्तरीय तकनीकी से विकसित करधो पर बुनाई, विशेषतौर पर डिजाइनदार कपड़ो की बुनाई के लिये बुनकरों के प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था नहीं हैं।
5. बुनकर मध्यस्थों की कृपा पर निर्भर हैं।
6. अधिकांश बुनकर निर्धनता के मकड़ जाल में फंसे हुये है तथा ऋणग्रस्त हैं।
7. बुनकरों के पास करघा स्थापित करने के लिये तैयार कपड़े के भण्डारों प्रदर्शन के लिये समुचित स्थान नहीं है।

8. संगठित क्षेत्र में बुनकरों की स्थिति स्वरोजगार में लगे व्यक्ति की न होकर मजदूर की है।
9. संगठित क्षेत्र में भी अधिकांश बुनकर असंगठित है।
10. बुनकरों की सहकारी समितियां निष्क्रिय है।
11. बुनकरों में इस परमपरागत व्यवसाय को छोड़कर शहरों में वैकल्पिक रोजगार पाने की प्रवृत्ति है।

ग. नमूने का आकार एवं स्वरुप :-

हथकरघा के नमूने का आकार एवं स्वरुप कई प्रकार का हो सकता है जिसमें से कुछ निम्नांकित है।

1. प्राकृतिक डिजाइन का आकार एवं स्वरुप :-

इसमें प्राकृतिक रुपों अर्थात फूल पत्ती पशु-पक्षियों, नदी पहाड़, प्राकृतिक रुपों आदि का चित्रण किया जाता है। इसमें वस्तु जगत के प्राकृतिक रुपों का नाम मात्र अनुकरण होता है। रंग चेतना के विकास में प्राकृतिक आलेखन अधिक उपयोगी होते हैं।

2. सूक्ष्म डिजाइन का आकार एवं स्वरुप :-

यह वह डिजाइन है जिसमें केवल रंग और रेखाओं का एक ऐसा विशेष समन्वय है, जो कोई भाव बतलायें। सूक्ष्म डिजाइन किसी आकार पर निर्धारित होते हैं। इसके अतिरिक्त डिजाइनों को काम की सजावट को विभिन्न प्रकार की दृष्टि से निम्न रुपों में बांट सकते हैं –

1. किनारी का डिजाइन
2. केन्द्र की डिजाइन
3. कार्नर डिजाइन
4. सम्पूर्ण धरातलीय डिजाइन

इन सब डिजाइनों में आठ आदर्श रंगो का प्रयोग कर, मनुष्य आंखों को अच्छे लगने वाले डिजाइन बनाता है।

घ. नमूने की ईकाइयों के चयन की विधि :–

नमूने की ईकाइयों के चयन की विधि को हम तीन प्रकार से समझ सकते हैं जो कि निम्नलिखित है ।

अ. **पैडिल–** इस बुनाई विधि से 12 अंक तक सूत वस्त्र बुने जाते हैं।

ब. **डाबी –** इस विधि से 12 अंक से 25 अंक तक सूत के वस्त्र बनाये जो हैं। समय समय–पर 60 अंक तक का भी प्रयोग किया जाता है।

स. **जैकार्ड –** इस बुनाई विधि के द्वारा 60,100,200,300,400,500 अंक तक के सूत्र के वस्त्र तैयार किये जाते हैं।

सूत नं0 – 2 नं0 से 10 नं0 तक
12 नं0 से 16 नं0 तक
20 नं0 से 30 नं0 तक
32 नं0 से 40 नं0 तक

तालिका 2 (1)

वस्त्र एवं ताने बाने का विवरण

क्र.सं.	वस्त्र का नाम	सूत नं0		प्रति इंच	
		ताने	बाने	ताने	बाने
1-	लोंग क्लाथ	24	24	7	56
2-	गाज	18	28	22	18
3-	बैण्डेज	18	28	30	28
4-	गाटा	12	14	44	40

स्त्रोत – स्व सर्वेक्षण द्वारा

ग्राफ क्रमांक — 1
वस्त्र एवं तांने बाने प्रति इंच
60
50
40
30
20
10
0
तांने बाने प्रति इंच
लोंग क्लाथ
गाज
बैण्डेज
गाटा
वस्त्र का नाम
ताने
बाने

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि तानों की संख्या प्रति इंच क्या है ? तथा बानों की संख्या प्रति इंच कितनी है ? यह निश्चित माप के अनुसार अथवा नहीं।

च. संमकों के संकलन की विधि :-

इन सभी संमकों के संकलन की विधि को हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं

अ. साधारण फेमलूम : इस लूम में शटल डबुल चलती है तथा यह बेडशीट बनाती है। इसमें 20 नम्बर ताना बाना अंक का प्रयोग किया जाता है। इसमें रीड तथा जिंक 5–7 होता है।

ब.सेमी ऑटोमेटिक लूमःइस पर सूत व टेरीकाट के वस्त्र बनाये जाते हैं। इसमें ताना बाना 2.60 अंक का लगता है। करघे में रीड 72 अंक तथा 64से 70 तक का सूत प्रयोग किया जाता है।

द. जैकार्ड फ्रेम लूम : इस करघे पर विदेश जाने वाले वैडशीट तैयार की जाती है। इसमें ताना बाना में 2.40 नं0 का सूत प्रयोग किया जाता है।

छ. प्रयुक्त किये जाने वाले सांख्यकीय टूल :- शोध प्रबन्ध सम्बन्धी व्यापक योजना तैयार कर लेने के बाद उमयुक्त रीति द्वारा संमको संकलन को संकलित करने का कार्य आरम्भ किया जाता है। समंक संकलन का आशय समंको को एकत्रित करने से है तथ्यों एंव सूचनाओ को एकत्रित करने से है। जो विभिन्न विधियो के अन्तर्गत प्राथमिक एंव द्वितीयक प्रकृति, क्षेत्र एंव उद्देश्य तथा उपलब्ध ज्ञान एंव समय पर निर्भर करता है । किसी भी शोध कार्य में संमको के संकलन का बहुत अधिक महत्व होता है क्योकि किसी भी

शोध कार्य की सफलता समंको के संकलन पर ही निर्भर करती है समंक दो प्रकार के हो ते है।

1–प्राथमिक संमक

2– द्वितीयक संमक

प्राथमिक समंक उन संमको को कहते है जो अनुसंधानकर्ता द्वारा पहली बार निश्चित योजना के अनुसार प्रारम्भ से अन्त तक एकत्रित किये जाते है। प्राथमिक समंक प्रथम स्तर पर एकत्रित किये जाते है तथा इसमें संकलन एंव प्रकाशन का उत्तरदायित्व इसके आंरभिक अधिकारी के ही आधीन होता है।

श्रीमति यंग के अनुसार :– प्राथिमक समंक वे समंक है जिन्हे प्रथमबार एक विशेष सांख्यिको अनुसंधान के उद्देश्यो की प्रप्ति के लिए संग्रह किया जाता है।

द्वितीय संमक उन समंको को कहते है जो पहले ही अन्य व्यक्तियों या संस्थाओ द्वारा एकतित्र एंव प्रंकाशित किये जा चुके है और शोधकर्त्ता केवल अपने शोधकार्य के लिय ही प्रयोग करता है । वास्तव में शोधकर्त्ता द्वारा अन संमको का संकलन स्वंय नहीं किया जाता है बल्कि उसके द्वारा उनका प्रयोग होता है इन समंको का संकलन व्यापरिक संस्थाओ, सरकार के विभिन्न मंत्रालयों एंव अनेक संसाधनो द्वारा किया जाता है।

शवर्टसन एंव राइट के अनुसार :– वे समंक जिनका किसी अध्ययन हेतु पहले ही लेखन कर लिया गया हो लेकिन अब किसी अनुसंधान कार्यक्रम में प्रयोग किया जा रहा है। द्वितीयक समंक होते है। **1–प्राथमिक समंक संकलन की विधि :–** शोधकर्त्ता द्वारा जिन समंको को स्वंय एकत्रित किया जाता है उन्हे हम प्राथमिक संमक रहते है इन समको को संकलित करने की विधियों को प्राथमिक संमक के लिये शोधार्थी को स्वंय प्रबन्धकों से सम्पर्क सथापित करना पड़ा है या उसे उस क्षेत्र के अनुभवी व्यक्तियों से सम्बन्ध स्थापित करना पडें है । इस प्रकार के समंको को संकलित करने कि प्रमुख विधि निम्न प्रकार है

अ. प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अवलोकन विधि :– इस विधि के अन्तर्गत शोधर्थी को स्वंय ही घटना स्थल पर उपस्थित रहकर उन व्यक्तियो से सम्बन्ध स्थपित करना पडता है। जिनसे सूचनाएँ प्राप्त करनी है यदि अनुसंधान का क्षेत्र छोटा है और समंको को गोपनीय रखना हो तो यह विधि उपयोगी कही जा सकती है । इस विधि में अधिक समय और धन व्यय होता है।

ब– मौखिक छानबीन विधिः– यदि अनुसंधान का क्षेत्र अधिक विस्तृत होता है तो व्यक्तिगत अवलोकन द्वारा समस्त समंक संकलित नहीं कियें जा सकते है ऐसी स्थिति मै मौखिक छानबीन के द्वारा समंक संकलित किये जाते है ।

स – संवाद दाताओं से सूचना प्रप्ति :– इस विधि मै शोधकर्त्ता द्वारा विभिन्न स्थानो पर कुछ विशेष व्यक्ति नियुक्ति कर दिए जाते है । जो समय समय पर सूचनॉए एकत्रित करके अनुसंधान कर्त्ता के पास भेजते रहते है इन्हें संवाददाता कहा जाता है इस रीति का प्रयोग साधारणतः समाचार पत्र पत्रिकाओं द्वारा किया जाता है।

दः– सूचनादाताओं द्वारा अनुसूचियॉ भरवाकर सूचना प्राप्तिः– इस विधि में शोध कर्त्ता समस्या से सम्बन्धित प्रशनो की एक अनुसूची तैयार करता हैं फिर उनेक प्रप्तियाँ तैयार करके उन्हे सूचनादाताओं के पास भेजता है। और वे व्यक्ति दन प्रश्नो के उत्तर भरकर एक निश्चित तिथि तक उपयुक्त होती है जहॉ सूचना देने वाले शिक्षत है।

2. द्वितीयक समंक संकलन की विधियॉ :– जैसा कि हम जानते है कि द्वितीयक समंक उन समंको को कहा जाता है जो पहले ही अन्य व्यक्तियो या संस्थाओं द्वारा प्रकाशित किये जा चुके है इन समंको कोदो बर्गो मै विभजित किया जा सकता है।

अः– प्रकाशित स्त्रोत

इसके अन्तर्गत निम्नलिखित स्त्रोत सम्मिलित है।

1. अन्तराष्ट्रीय प्रकाशन
2. शासकीय प्रकाशन
3. अर्द्व सहकारी प्रकाश्न
4. समिति एवं आयोगो के प्रकाशन
5. व्यापारिक संस्थाओ के प्रकाशन
6. विश्वविधालयों एवं अनुसंधान संस्थाओं के प्रकाशन
7. सामाजिक पत्र एंव पत्रिकाएं
8. अप्रकाशित स्त्रोत

समय समय पर अनेक संस्थाओ एंव अनुसंधानकर्त्ताओ द्वारा विभिन्न उद्देश्यो की पूर्ति हेतू सामग्री संकलित की जाती है जो कि प्रकाशित नहीं

की जाती है आवश्यकतानुसार इस प्रकार की सामग्री का ही प्रयोग किया जाता है।

2. अध्ययन का महत्व :- समाजिक शोध तभी उपयोगी होते है जब उसके लिए चयनित समान्य राष्ट्रीय या समाजिक महत्व की ही । एक शोधार्थी द्वारा किये गये शोध कार्य की सहायता से देश व समाज को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई लाभ पहुँचे तभी वह सार्थक एंव लाभप्रद हो सकेगा किसी भी उधोग की सफलता के लिए औधोगिक शान्ति एंव मधुर ओधोगिक सम्बंध राष्ट्र के ओधोगिक विकास के लिये अत्यन्त आवश्यक होते है अतः शोधार्थी ने विषय का चयन करत समय इस बात का विशेष रूप से घ्यान में रखा है। औधोगिक सम्बंध इस राष्ट्र की एक प्रमुख समस्याओं मेंसे है इसलिए शोधार्थी को विश्वास है कि यह शोध अध्ययन प्रादेशिक एवं राष्ट्रीय राजनेताओं को इस ओर विचार करने के लिए एक सार्थकप्रयास होगा यह शोध एवं प्रबन्ध इस द्वष्टि से भी महत्वपूर्ण हे कि यह अधिकारियों एवं प्रबधको को एक नवीन दिशा निर्देश उपलब्ध करायेगा एंव उन्हें श्रमिको के लिए नीति निर्माण में सहायता प्रदान करेगा तथा श्रम संध के नेताओं को इस बात के लिए प्रोत्सहित करेगा कि वह औधोगिकसम्बंधों के निर्माण में रचनात्मक भूमिका का निर्वाह करा रचनात्माक भूमिका के अभाव में श्रम संघो की विश्वसनीयता पर इस बात के लिय प्रोत्सहित करेगा कि औधोगिक शन्ति के प्रयासों के लिए उचित मार्गदर्शन देगा यह शोध प्रंबन्ध शोधार्थी की शोध जिज्ञासु प्रवृत्ति का समाधान कर रहा है और शोधार्थी को विश्वास है कि यह शोध प्रबंध श्रमिक, मानव, समाज एंव राष्ट्र के निर्माण मेंसहायक सिद्व होगा और अपनी उपादेयता को सिद्व करेगा यह शोध प्रंबध शोधार्थी केप्रयास को भी सार्थक सिद्व करेगा एंव भावी शोधथियों का मार्ग दशर्न करेगा।

अध्ययन की सीमायेंः- प्रत्येक शोधार्थी को शोध कार्य करते समय अनेक समस्याओं का सामना करना पडता है जिन्हें शोध की सीमायें कहा जाता है किसी भी अध्ययन को कितना ही विस्तृत अथवा गहन बनाने का प्रत्यन किया जाए उसकी कुछ सीमायें अवश्य होती है । प्रस्तुत शोध प्रबंध भी इन सीमाओं से पूरे नही है। प्रस्तुत शोध प्रबध की निम्नलिखित सीमायें है।

1. यह अध्ययन प्राथमिक संमको पर आधारित होने के कारण इस अधिक समय लगता है शोधार्थी द्वारा यहा सम्भव शोध के लिए अधिकांशसमय देने का प्रयत्न किया है । क्योकि पूर्ण सर्वेक्षण के लिए अत्यधिक धन एंव समय की आवश्कता होती है मनुष्य एक समाजिक प्राणी है और पारिवारिक परिस्थितियों के कारण शोध कार्य में बीच में व्यवधान आते रहे है। फिर भी शोधार्थी ने शोध कार्य में पयप्ति समय दिया है ।

2. प्राथमिक स्त्रोतो पर आधरित हो ने के कारण शोध कार्य में अत्यन्त धन की आवशयकता पड़ती है शोधार्थी को शोधकार्य में होने वाला सम्पूर्ण व्यय शोधार्थी द्वारा वहन किया गया ई शोधार्थी को यदि किसी स्त्रोत्र से धन प्राप्त होता हे सवह अध्ययन को और अधिक विश्वसनीय व प्रामाणिक और प्रासंगिक वना सकता था। धन के अभाव में ऐसा करने से शोधार्थी असमर्थ रहा।

3. शोध कार्य के दौरान साक्षात्कार के आयोजन और प्रश्नावलियॉ को भरने में काफी कठिनाइयॉ का सामना करना पड़ता है अधिकारियों द्वारा दिये गयें समय पर न मिलने से अनावश्यक परेशानियों का सामना शोधार्थी को करना पड़ता है।

4. शोध कार्य में संबन्धित सहित्य का अवलोकन भी शोध अध्ययन मे उक्त प्रमुख समस्या रही है शोध स्थल एंव पुस्तकालया पर सम्पूर्ण सहित्य उपलब्ध नहीं हो पाता जिससे शोधार्थियों को व्यक्गित लागत पर उन्हें एकत्र करना होता है जिससे व्यय शोध कार्य पर अधिक हो जाता है।

5. शोधार्थी द्वारा सभी तथ्यों का संकलन किया गया है फिर भी श्रमिकों बुनकरो एंव अधिकारियो ने कोई लक्ष्य छिपाये है तो [illegible]

यह छिपायें गये तथ्य शोधार्थी सीमाओं के बाहर है ।

तृतीय अध्याय

झाँसी मण्डल की भौगोलिक एवं आर्थिक स्थिति

१. झाँसी मण्डल की प्रशासनिक ईकाइयां

२. क्षेत्रफल , जनसंख्या

३. झाँसी मण्डल में हथकरघा बुनकर श्रमिकों की संख्या उनकी स्थित

क. संगठित क्षेत्र

ख. असंगठित क्षेत्र

मानचित्र

झाँसी मण्डल

(अली मुहम्मद खाँ)
कार्टो॰असि॰
झाँसी

(बी॰ राम)
उप निदेशक, अर्थ एवं सं॰
झाँसी मण्डल

झाँसी मण्डल की भौगोलिक एवं आर्थिक स्थिति :

1. झाँसी मण्डल की प्रशासनिक इकाईयां
2. क्षेत्रफल , जनसंख्या
3. झाँसी मण्डल में हथकरघा बुनकर श्रमिकों की संख्या, उनकी स्थिति

   क. संगठित क्षेत्र ख. असंगठित क्षेत्र

झाँसी मण्डल में झाँसी (शहर), ललितपुर, जालौन, जनपद आता हैं झाँसी मण्डल का मुख्यालय झाँसी में ही है। जो औद्योगिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश में सर्वोत्तम स्थान रखता हैं झाँसी मण्डल में 13 तहसीलें व 23 विकासखण्ड है। जनपद झाँसी सबसे बड़ा जनपद हैं जिसमें 5 तहसीलें एवं 7 विकास खण्ड है। ललितपुर जनपद में 3 तहसीलें व 6 विकास खण्ड है तथा जालौन जनपद में 5 तहसीलें एवं 9 विकास खण्ड है। विस्तृत अध्ययन के लिये प्रत्येक जनपद का अलग–अलग विवरण प्रस्तुत करेंगें तथा बाद में संयुक्त रुप से झाँसी मण्डल का अध्ययन करेंगें।

जनपद झांसी नगर

जनपद झाँसी नगर बेतवा के किनारे भाग में स्थित है। झाँसी जिला उत्तर प्रदेश के 68 जिलों में से एक है। इसके अन्तर में तहसील मोंठ और पूरब में मध्य प्रदेश है दक्षिण में बेतवा नदी व ललितपुर जिला है। पश्चिम में मध्य प्रदेश की सीमा लगी है।

जनपद को भौगोलिक क्षेत्रफल 5024 वर्ग कि.मी. है। जनपद झाँसी में तहसील दक्षिणी भाग पहाड़ी है। उत्तर भाग की मिट्टी काली व भुरभुरी है। यहां गढ़मऊ के ताल एवं बेतवा की नहरों से कुछ गावों की सिंचाई की जाती है। जनपद में कुल वर्षा का औसत 30 से 40इंच के बीच होता है। जनपद की जलवायु गर्मी में गर्म एवं शुष्क तथा वर्षो में नर्मतर और जाड़े मे ठण्डी

जनपद झाँसी
उ०
द०
जालौन
मोठ
बामौर
गरौठा
गुरसराय
चिरगांव
बड़ागांव
झाँसी
बंगरा
बबीना
ललितपुर
हमीरपुर
1 सेमी = 8 किमी

रहती है। हमारे जनपद में मुख्य चार प्रकार की मिट्टिया पायी जाती है, जो निम्न है।

1. काली मिट्टी 2. रॉकड मिट्टी 3. पडुवा मिट्टी 4. मुरम मिट्टी जनपद में मिट्टयों के क्षेत्र की भिन्नता के कारण सीमित पैदावार होती है।

1. गेहूं : जनपद के काली मिट्टी के क्षेत्र में अधिक गेंहू पैदा किया जाता है। इसके लिये शरद शुष्क जलवायु और कम सिंचाई की जरुरत पड़ती है।

2. धान : इसके लिये चिकनी मिट्टी गर्मतर जलवायु और पानी की अधिक मात्रा में जरुरत होती है। यह हमारे जनपद में बरुआसागर और जखौरा के आस पास अधिक धान उत्पादित की जाती है।

3. गन्ना : इसके लिये उपजाऊ भूमि, गर्मतर जलवायु और अधिक पानी की आवश्यकता होती है।

जनपद देश के अन्य भार्गों से रेल तथा सड़क मार्गो से जुड़ा हुआ है। जनपद झाँसी से उत्तर रेलवे , मध्य रेलवे तथा उत्तरी पूर्वी रेलवे व दक्षिणी रेलवे चारो प्रकार के मार्ग जाते हैं। उत्तरी रेलवे को प्रमुख रेल लाइन दिल्ली से मुगलसराय होते हुये कलकत्ता जाने वाली इस जनपद से गुजरती है। देश के किसी भी भाग में जाने के लिये यहाँ से रेलवे की अत्याधिक सुविधायें हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग झाँसी नगर को कानपुर से मिलाता है।

जनपद में कुल आबाद ग्राम 158 तथा न्याय पंचायते हैं तथा ग्राम पंचायते है।

जनपद के मुख्य उधोग :–

1 लोहे का समान :– लोहे के सामानो में जैसे – छुरी, सरौता कुल्हाडी एंव सन्दूक आदि, मऊरानीपुर व झॉसी मुख्य हैं मगंर छोटे सामान कटेरा में बनाये जाते है । यही से इन समानो का निर्यात आसपास के क्षेत्रो मै किया जाता है ।

2 पीतल के बर्तन :– पीतल के र्बतनों के लिए मऊरानीपुर झाँसी, गुरसरॉंय बहुत प्रसिद्व स्थान है आज स्टील के बर्तनो की मॉंग अधिक हो जाने से पीतल उधोग को बहुत हानि हुई है।,

3 पत्थर का काम :– इसका काम धौर्रा, और पठा मे अधिक होता है । यहाँ से इमारती पत्थर बाहर भेजा जाता है धौर्रा का पत्थर अपनी मजवूती के लिये दूर दूर तक प्रसिद्व है गौरा पत्थर का काम करगुवॉं में किया जाता हैं

4. कपडे का काम :– झाँसी में ऊनी कालीन, निवाड़ आदि बुनी जाती है मऊरानीपुर एंव रानीपुर में मोटा सूती एवं टेरीकॉट का कपडा पयाप्ति तैयार किये जाते है

5. लकड़ी का काम :– सामान्यतः जनपद कि प्रत्येक विकास खण्ड में ग्रामीण स्तर पर लकड़ी का काम किया जाता है लकड़ी प्रप्ति के स्थान झाँसी, बरूआसागर, मऊरानीपुर मुख्य है। यहाँ पर नये नये तरह के फर्नीचर तैयार किये जाते है।

6. डायमण्ड सीमेंन्ट फैक्ट्री :– झाँसी से 16 कि0 मी0 दूर झाँसी कानपुर मार्ग पर सीमेन्ट बनाने की फैक्ट्री है जिसमें प्रतिदिन लंगभग 2000 बोरो सीमेन्ट बनाया जाता है।

7. भारत हैवी इलैक्ट्किल्स लिमिटेड :– भारत सराकर के आधीन यह कार्यशाला बी0 एच0 ई0 एल0 के नाम से प्रसिद्व है यह झाँसी ललितपुर मार्ग पर स्थित है इसमें रेल का इंजन बिजली के ट्रान्सफार्मर तथा अन्य उपकरण बनाये जाते है।

8. बिजौली :– झाँसी से 12 कि0 मी0 दुर ललितपुर मार्ग पर स्थित बिजौली, एक औधोगिक केन्द्र है। यहॉ पर लोहे के औजारो, दवाइयों कागज की दफती तथा प्लास्टिक सामान बनाने की अनेक फैक्ट्रियॉ है।

जनपद ललितपुर
विकास खण्ड
झाँसी
उ० प्र०
तालबेहट
जखौरा
बार
ललितपुर
बानपुर
महरौनी
पाली
सौजना
मड़ावरा
मदनपुर
सागर
म० प्र०
पैमाना १ सें० मी० = ८ कि० मी०

जनपद ललितपुर

यह मण्डल का ही नहीं वरन् उ0प्र0 का अनौखा जिला है। हमारा जिला उत्तर प्रदेश का आगे का पैर है जो प्रदेश को सहारा ही नहीं बल्कि प्रगति की दिशा भी देने में तत्पर है। ऐसी आकृति वाला हमारा मनोरम जनपद ललितपुर है। जनपद के अन्तर में झाँसी जनपद दक्षिण में सागर जनपद (म0प्र0), पूरब में टीकमगढ़ जनपद (म0प्र0), छतरपुर जनपद (म0प्र0) एवं पश्चिम में शिवपुरी जनपद और गुना जनपद (म0प्र0) में स्थित है। इस प्रकार जनपद तीन ओर से म0प्र0 से घिरा है।

जनपद का क्षेत्रफल 5039 वर्ग किलोमीटर है। जनपद को उत्तर से दक्षिण की लम्बाई लगभग 93 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम की चौड़ाई लगभग 54 किमी.है। जनपद ललितपुर में सजनाम, जामनी, शहजाद, बेतवा, घसान, रोहिणी तथा नारायण नदियाँ बहती है। इन नदियों में पूरे वर्ष पानी बहता हैं जनपद में औसत वर्षा 70 सेन्टीमीटर प्रतिवर्ष है। जनपद की मुख्य उपजें गेंहू, चना, धान, मक्का, जवार, उड़द और मसूर है। अलसी , राई, मटर, मूंग, तिल, सेहुंआ, मूंगफली, सोयाबीन की खेती भी जनपद में होती है।

भारत के उत्तर और दक्षिण को जोड़ने वाला दूसरा और चौड़ा प्रमुख रेलमार्ग जनपद से छोड़कर गुजरता हैं इसकी लम्बाई जनपद में 75 कि.मी. है। रेलमार्ग के उत्तर की ओर झाँसी तथा दक्षिण की ओर बीना होते हुए भोपाल जाता हैं पूरे जनपद में पक्की सड़कों की कुल लम्बाई लगभग 1100 कि.मी. है। यह झाँसी (उ0प्र0) और सागर (म0प्र0) दो नगरों को जोड़ता है। जनपद मं 683 आबाद गावों में से लगभग 166 गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ा गया है।

जनपद के तीर्थ स्थल :–

1. **कुम्हैडी** :– यहॉ हिन्दुओं का प्रसिद्व अंजनी माता का मन्दिर है जहॉ दूर दूर से सूखा रेाग से पीडित बच्चों का लेकर लोग आते है और माँक की कृपा से ठीक होकर प्रसन्नता पूर्वक वापस ले जाते है ऐसा लोगों का विश्वास है । यहॉ चैत्र मास में हर वर्ष विशाल मेला भी लगता है ।

2. **माताटीला** :– जनपद के उत्तर में एक सुन्दर टीले पर प्रसिद्व देवी माता का मन्दिर है । इसीलिए यह स्थान माताटीला कहलाता है यहॉ हमेशा यदा कदा यज्ञ आदि धार्मिक कार्य होते रहते है ।

3. **देवगढ़** :– जैनियों का तीर्थ स्थल है यहॉ जैनियो द्वारा रथ यात्रा का आयोजन भी होता है इस क्षेत्र के दर्शनार्थ देश के कोने कोने से लोग आते है।

4. **चॉदनपुर दुधई** :– यह तीर्थ जैन धर्म के मानने बालो मे लिय महत्व के है जो विरधा विकास खण्ड में देवगढ़ के दक्षिण पूर्व मेंस्थित है।

5. **बानपुर** :– जनपद के पूरब में बानपुर प्रसिद्व जैन तीर्थ स्थल है

6. **मदनपुरा** :– जनपद के दक्षिण में मदनपुर मै जैंन तीर्थ है यह महाबरी विकास खण्ड में स्थित है ।

7. **सीरौन** :– यह मड़ावरा विकास खण्ड में जैनियों का प्रसिद्व तीर्थ है।

8. **अनय तीर्थ स्थल** :– जनपद में अन्य तीर्थ स्थल भी है अमझरा घाटी में हनुमॉन जी की सिद्व प्रतिमा को जहॉ अगणित व्यक्तियो को आलौकिक शक्तियॉ की प्राप्ति हुई है । महरौनी क्षेत्र में लक्ष्मी नारायण का प्राचीन प्रसिद्व मन्दिर है।

जनपद जालौन

जनपद जालौन यमुना, बेतवा व पहूज नदियों से घिरे त्रिकोणाकार भूभाग में स्थित है , इसके अन्तर्गत महर्षि वेदव्यास की पुण्य स्थली है, कालपी के भाग्नावशेष, प्राचीनकाल की शैक्षिक एवं अध्यात्मिक उन्नति के प्रतीक हैं स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में यह जनपद अग्रणी रहा है। जिले में माताटीला ललितपुर, पारीक्षा (झाँसी) तथा पनकी (कानपुर) पर बने विद्युत

जनपद जालौन

ग्रहों से विजली आपूर्ति होती है, जो दैनिक उपयोग उद्योगो और सिंचाई के काम आती है।

जनपद का क्षेत्रफल 4566.8 किमी. हैं जनपद में चार प्रकार की मिट्‌टी पाई जाती है जो निम्न है –

1. मार 2. कावर 3. पडुवा 4. रांकड – यहां पर गेंहू ज्वार, बाजरा, गन्ना, सोयाबीन व मसूर पैदा होती हैं जनपद में आने जाने व माल ढ़ोने के लिये जिले में कच्ची पक्की सडत्रके है जो बड़े–2 कस्बों से गांव को मिलाती हैं इन सड़कों में दो प्रान्तीय राजमार्ग है। मध्य रेलवे की शाखा जो कानपुर से झाँसी तक82 कि.मी. जाती है, जनपद में निम्न स्टेशन पड़ते हैं। 1. पिरौना 2. एट 3. भुआ 4. उरई 5. आटा 6. उसरगांव 7. कालपी एट से कोंच को एक ब्रांच लाइन 14 किमी. की जाती है। जनपद में कुल आबाद ग्राम 642, ग्राम सभा 574 तथा न्याय पंचायते 81 है तथा 4 नगर पालिका है।

जनपद के मुख्य उधोग :–

जनपद के मुख्य उधोग जिले में लगभग 100 प्रिन्टिग प्रेसे कालपी में 200इकाइयाँ कागज, टेरीकॉट व कीलीन की कोटरा में बर्तनो की ढलाई धुरट में [illegible] बनानो का काम 6 बर्फ फैक्ट्री 100 दाल, धान व तेल मील,1सुगर मि, टायर टुयूब कारखाना, हड्डी के चुरमा करखाना, 2 लैदर फैक्ट्री कई सावुन फैक्ट्रीयॉ, इलैक्टाड फैक्ट्री 1 कोल्ड स्टोर बडें उधोगो मे बहुराष्ट्रीय कंपनी हिन्दुस्तान लीवरलि. साबुन आदि बेजीप्रो, सोया उत्पादन बनाने रिफाइण्ड तेल आदि प्रगति व बलबीर स्टील बजाज स्टील फिनिशिंग व प्रिटिग आदि 1 फलोर मिल आटा, सूजी मैदा बनाने व अन्य कई बड़ी बड़ी फैकिट्रया है।

नये लगने वाले उधोगों में केडिया सिन्थेटिक बोरो मेंधागे , मर्करी पैकर्स सिन्थेटिक बोरे, टायर ट्रासफार्मर्ल

बनाने एस0 डी0 सी0 माइका पेपर, सुनील अग्रवाल स्टील पाईप अरुण जैन स्टील इंगिट्स रतनहारी बी0 पी0 जी0 नी0 सीट्स बनाने के हिन्दुस्तान बेजीटेविल आइल कार्पोरेशन सिलवर आर्च बनाने को भी लाइसेन्स प्राप्त कर चुके है।

उधोगीकरण हेतु फैक्ट्रियो को सरकार बहुत सुविधाये हेतु दिलचस्पी बड़ी है। इसको देखते हुए जिले का भविष्य बडा उज्ज्वल है।
जिले में कई रेडीमेड कपडें बारूद बनाने के कारखाने मुर्गी पालन फार्म व मछली पालन व सिलाई केन्द भी है।

झांसी मण्डल की प्रशासनिक इकाइयां :–

झाँसी मण्डल में झाँसी नगर, ललितपुर, जालौन जिले आते हैं। इस मण्डल की प्रशासनिक व्यवस्था के लिये सन 98–99 तक 13 तहसीलें तथा 23 विकासखण्ड स्थापित हो चुके हैं। 31 मार्च 2000तक कुलगांव 2744 ग्राम थे। सन 98–99 तक इस मण्डल में न्यायायिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिये 194 न्याय पंचायतें, 1346 ग्राम सभा , तथा अराजक तत्वों को खत्म करने के लिये ग्रामीण क्षेत्र व नगरीय क्षेत्र में कुल 59 पुलिस स्टेशन स्थापित हो चुके थे। इस मण्डल में 11 नगरपालिकायें तथा 16 नगर पंचायत एवं 1 कैण्ट एरिया भी है। प्रत्येक जिले की जानकारी हम निम्नांकित सारणी द्वारा कर सकते हैं।

तालिका 3 (i)

मण्डल की जनपदों की कुछ सामान्य सूचनायें वर्ष 1997–98

क्रम जनपद	तहसील संख्या	विकासखण्ड संख्या	ग्रा.विकास अधि. क्षेत्र संख्या	पुलिस स्टेशन संख्या	सस्ते गल्ले की दुकान संख्या
1. जालौन	5	9	105	18	512
2. झाँसी	4	8	80	26	788
3. ललितपुर	3	6	60	15	446
योग मण्डल	**12**	**23**	**245**	**59**	**1738**

स्त्रोत – जिला सूचना विज्ञान केन्द्र झाँसी

क्षेत्रफल :–

उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल वर्ष 1981 के अनुसार 2,94,411 वर्ग कि.मी. हैं जबकि झाँसी मण्डल का क्षेत्रफल 1999 में 14628 वर्ग कि.मी. हैं जिसमें झाँसी का 5024 वर्ग कि.मी., ललितपुर का 5039 तथा जालौन का 5024 कि. मी. था। जबकि झाँसी मण्डल का क्षेत्रफल 1971 में 10069 वर्ग किलोमीटर था तथा झाँसी मण्डल का क्षेत्रफल 1981 में 10063 था। इस मण्डल में जनपदवार, क्षेत्रफल इन सभी आंकड़ों को निम्नांकित सारिणी द्वारा भी माना जा सकता है।

तालिका 3 (ii)

मण्डल की जनपदवार क्षेत्रफल

कम संख्या	जनपद का नाम	क्षेत्रफल वर्ग कि.मी.		
				1991
1.	जालौन			4565
2.	झाँसी			5024
3.	ललितपुर			5039

स्त्रोत – जिला सूचना विज्ञान केन्द्र झाँसी

तालिका 3 (iii)

मण्डल में तीन दशक का क्षेत्रफल

क्रम संख्या	सन्	क्षेत्रफल वर्ग किमी.
1.	1971	10069
2.	1981	10063
3.	1991	14628

स्त्रोत – जिला सूचना विज्ञान केन्द्र झाँसी

ग्राफ क्रमांक – 2

मण्डल में तीन दशक का क्षेत्रफल

जनसंख्या :–

भारत की जनसंख्या का विश्व में दूसरा स्थान है। 1981की गणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 68,57,84,692 थीं इसमें से 76,69 प्रतिशत व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में तथा 23.31 प्रतिशत व्यक्ति शहरी क्षेत्र में रहते हैं। जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश में रहता है वर्ष 1981 के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 11, 08, 62, 013 थी। इससे 5,88,19,276 पुरुष तथा5,22,76,726स्त्रियाँ रहती हैं पुरुष एवं स्त्रियों का अनुपात 1000:896 है। वर्तमान में प्रदेश की जनसंख्या 16 करोड़ से भी अधिक है। प्रति मिनट 10–11 बच्चे, प्रति घंटे 624 बच्चे , प्रतिदिन 14976बच्चे तथा प्रति वर्ष 54 लाख 50हजार बच्चे हमारे प्रदेश की आवादी में और जुड़ जाते हैं यदि प्रदेश की जनसंख्या इसी दर से बढ़ती रही तो सन् 2020 में यह दुगनी हो जायेगी।

झाँसी मण्डल की जनसंख्या वर्ष 1971 के अनुसार 16,45,447 थी। जबकि वर्ष 1981 में जनसंख्या 19,96089थी और वर्ष 1991 के अनुसार इस मण्डल की जनसंख्या 24,60017 थीं प्रत्येक जनपद का विस्तृत अध्ययन करने के लिये निम्न सारणी का अवलोकन लाभप्रद होगा।

झाँसी मण्डल में जनपदवार ग्रामीण जनसंख्या बृद्धि एवं शहरी जनसंख्या मिश्रित वृद्धि :–

तालिका 3 (iv)
मण्डल की जनपदवार मिश्रित जनसंख्या एवं दशक वृद्धि प्रतिशत
वर्ष – 1971

क्रम संख्या जनपद	मिश्रित जनसंख्या			दशक वृद्धि प्रतिशत
	व्यक्ति	पुरुष	स्त्री	
1. जालौन	701666	376947	324719	21.29
2. झाँसी	548841	292598	256243	20.54
3. ललितपुर	394940	212596	182344	13.56
मण्डलका योग	**1645447**	**882141**	**763006**	**18.46**

स्त्रोत – जिला सूचना विज्ञान केन्द्र झाँसी

तालिका 3 (v)
मण्डल की जनपदवार मिश्रित जनसंख्या एवं दशक वृद्धि प्रतिशत
वर्ष 1981

क्रम संख्या जनपद	मिश्रित जनसंख्या			दशक वृद्धि प्रतिशत
	व्यक्ति	पुरुष	स्त्री	
1. जालौन	789766	430297	359469	12.56
2. झाँसी	705677	300341	325336	28.58
3. ललितपुर	500646	269927	230719	26.77
मण्डलका योग	**1996089**	**1000665**	**915524**	**21.31**

स्त्रोत - जिला सूचना विज्ञान केन्द्र झाँसी

तालिका 3 (vi)
मण्डल की जनपदवार मिश्रित जनसंख्या एवं दशक वृद्धि प्रतिशत
वर्ष 1991

क्रम संख्या जनपद	मिश्रित जनसंख्या			दशक वृद्धि प्रतिशत
	व्यक्ति	पुरुष	स्त्री	
1. जालौन	950180	521282	428898	20.31
2. झाँसी	863342	466226	397116	22.34
3. ललितपुर	646495	347791	298704	29.13
मण्डलका योग	**2460017**	**1335299**	**1124718**	**23.24**

स्त्रोत - जिला सूचना विज्ञान केन्द्र झाँसी

उपर्युक्त सारिणी को देखने से ज्ञात होता है कि वर्ष 1971 में झाँसी मण्डल में 376947 पुरुषों की संख्या एवं 324719 स्त्रियों की संख्या थी। जो बढ़कर 1981 में क्रमशः 430297 एवं 359469 हो गयी । इसी प्रकार 1991 में बढ़कर क्रमशः 521282 एवं 428898 हो गई। वर्ष 1971 में दशक प्रतिशत वृद्धि पर 18.46 थी जो बढ़कर 1981 में दशक प्रतिशत वृद्धि दर 21.31 हो गई। इसी तरह 1991 में दशक प्रतिशत बृद्धि पर 23.24 हो गई।

विकास के लिये किये गये कोई भी प्रयत्न तब तक कारगर नहीं हो सकते जब तक हम बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रित न करें। बढ़ती हुई जनसंख्या प्रदेश के विकास हेतु किये जा रहे प्रयत्नों को निष्फल कर देती है।

जनसंख्या नियंत्रण केवल सरकार का ही कार्यक्रम नहीं है अपितु इसमें सभी सरकारी एवं अर्द्धसरकारी विभागों के साथ – साथ स्वैच्छिक संस्थाओं, गैर सरकारी संगठनों, जन–प्रतिनिधियों , पंचायतों, शिक्षकों आदि की भागीदारी से इसे जन आन्दोलन का स्वरुप देना होगा तभी इस जनसंख्या की विस्फोटक स्थिति से उभर सकते हैं।

तालिका 3 (vii)
मण्डल में मातृभाषा के अनुसार जनसंख्या (1981)

भाषायें	कुल जनसंख्या	कुल जनसंख्या में प्रतिशत
1. हिन्दी	3301982	96.62
2. उर्दू	109461	3.2
3. पंजाबी	3726	.11
4. बंगाली	138	.00
5. अन्य	2108	.06

ग्राफ क्रमांक — 3
मण्डल में मातृभाषा के अनुसार कुल
जनसंख्या में प्रतिशत (1981)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
हिन्दी
उर्दू
पंजाबी
बंगाली
अन्य
भाशायें

नोट – उपरोक्त आंकड़ो में संस्थागत परिवारों के भाषा समबन्धी आंकड़े सम्मिलित नहीं किये गये है अतः इनका मिलान कुल जनसंख्या से नहीं होगा।

तालिका 3 (viii)

मण्डल में जनगणना के अनुसार प्रति दशक आबाद ग्रामों की संख्या तथा प्रतिशत अन्तर (1901 – 1991)

जनगणना वर्ष	आबाद ग्रामों की संख्या	जनसंख्या		प्रतिदशक कुल	प्रतिशत अन्तर ग्रामीण	नगरीय
		कुल	ग्रामीण			
1901	2168	1088004	909863	–	–	–
1911	2156	1159622	956663	6.58	5.14	13.93
1921	2158	1007301	895004	6.24	6.45	5.25
1931	2179	1194876	982181	9.89	9.74	10.61
1941	2182	1349012	1091655	12.90	11.15	21.00
1951	2400	1433859	1053928	6.29	3.46	47.63
1961	2403	1750647	1381586	22.89	31.89	2.06
1971	3090	2124548	1645247	21.36	19.88	29.87
1981	2381	2780917	1996109	27.13	21.33	47.0055
1991	2381	3401118	2460017	25.92	23.42	33.53
1901–1991	–	–	–	**212.60**	**170.37**	**428.29**

स्त्रोत – जिला सूचना विज्ञान केन्द्र, झाँसी

तालिका 3 (ix)
मण्डल में जनपदवार आवासीय मकान एवं परिवार जनसंख्या तथा अनु0 जाति/जन0 जाति की जनसंख्या

वर्ष/मण्डल जनपद	आवासीय मकानों की संख्या	परिवारों की संख्या	कुल जनसंख्या		
			कुल	पुरुष	स्त्री
1971	223049	247796	1645447	882141	763386
1981	287845	309629	1996889	1000565	915524
1991	542103	561362	3401118	1837988	1503138
जनपदवार 1991					
1. जालौन	188046	192357	1219077	666865	552512
2. झाँसी	227704	236641	1429698	767430	662268
3. ललितपुर	126353	132378	752843	403685	348358
योग मण्डल	**542103**	**561362**	**3401118**	**1837980**	**1563138**

स्त्रोत – जिला सूचना विज्ञान केन्द्र , झाँसी

यातायात :–

राष्ट्रीय समृद्धि और विकास में यातायात का विशेष महत्व हैं । देश की विपुल प्राकृतिक सम्पदा एवं असीमित जन–शक्ति का प्रयोग करने के लिये यातायात के साधनों–विशेषकर सड़क यातायात का विकास करना होगा। वर्तमान समय में सड़क यातायात का महत्व बढ़ता जा रहा है क्योंकि प्रत्येक वस्तु को रेल द्वारा नहीं ले जाया सकता । सड़क गांव के लिए तो आने जाने का सर्वोत्तम साधन बन रहेगा। किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए सड़को तथा रेलों का होना नितान्त आवश्यक है।

झाँसी मण्डल में यातायात के प्रमुख साधन रेल, बस, ट्रक एवं बैलगाड़ियाँ है। इसके अन्तर्गत झाँसी नगर में उत्तरी रेलवे, मध्य रेलवे, मध्य

रेलवे तथा उत्तरी रेलवे एवं दक्षिणी रेलवे चारो प्रकार के मार्ग जाते हैं। उत्तरी रेलवे की प्रमुख रेल लाइन दिल्ली से मुगलसराय होते हुये कलकत्ता जाने वाली इस जनपद से गुजरती है। जालौन जिले में आने जाने व माल ढ़ोने के लिये जिले में कच्ची पक्की सड़के हैं जो बड़े—बड़े कस्बों से गांव को मिलाती है। राजमार्ग की सड़क चौड़ी कर दी गई। यह राजमार्ग कालपी से शुरु होकर पिरौना तक पड़ता है और आगे झाँसी तक गई है।दूसरी प्रान्तीय राजमार्ग की सड़क शंकरपुर से मोहाना तक पड़ती है। उरई में राजकीय परिवहन निगम का डिपो व वर्कशॉप है जहाँ से दूर दूर के लिये सैकड़ों बसें जाती है। मध्य रेलवे की शाखा जो कानपुर से झाँसी तक 82 कि.मी. जाती है। जनपद में निम्न स्टेशन पड़ते हैं। 1. पिरौना 2. एट, 3. भुआ 4. उरई 5. आटा 6. उसरगांव 7. कालपी एट से कोंच को एक ब्रांच लाइन 14 किमी. की जाती है।

ललितपुर जनपद के बीच से राष्ट्रीय राजमार्ग 26 गुजरता है। जिसकी लम्बाई 89 कि.मी. है। यह झाँसी (उ0प्र0) और सागर (म0प्र0) दो नगरों को जोड़ता है पूरे जनपद में पक्की सड़को की सभी सड़कों की कुल लम्बाई लगभग 1100 कि.मी. है। भारत के उत्तर और दक्षिण को जोड़ने वाला दुहरा और चौड़ा प्रमुख रेलमार्ग जनपद से छोड़कर गुजरता है। इसकी लम्बाई जनपद में 75 कि.मी. है। रेलमार्ग के उत्तर की ओर झाँसी तथा दक्षिण की और बीना होते हुये भोपाल जाता है।

औद्योगिक स्थिति :–

स्वतंत्रता के समय उत्तर प्रदेश में औद्येगिक गतिविधियाँ बहुत ही सीमित थी। प्रारम्भिक पंचवर्षीय योजनाओं में खाधान्न के उत्पादन के स्वावलम्बन पर विशेष बल दिया गया। औद्योगिक विकास सम्बन्धी प्रयास

मुख्यतः परम्परागत ग्रामीण उद्योगों के विकास व यद कदा कुछ भारी उद्योगो की स्थापना तक सीमित रहे। दूसरी योजनाकाल में लघु उद्योगो के विकास हेतु अवस्थापन सुविधाओं के विकास सम्बन्धी कार्य प्रारम्भ हुआ जिसका कार्यान्वयन तीसरी योजना में हुआ। इसके फलस्वरुप औद्योगिक विकास दर में तीसरी योजना से उल्लेखनीय वृद्धि हुई। इन प्रयासों में पांचवी योजनाकाल में विशेष बल पकड़ा और उस योजनाकाल में औद्योगिक विकास दर9.4 प्रतिशत थी जो सॉतवी योजनाकाल के अन्त तक 12.5प्रतिशत से भी अधिक रही। प्रदेश के कुल आन्तरिक उत्पादनसे बढ़ी हुई। गतिविधियों के फलस्वरुप उद्योग क्षेत्र का योगदान 1970–71 के 14.9 प्रतिशत से बढ़कर 6–7 वी योजना के अन्त में लगभग 23 प्रतिशत हो गया है।

उत्तर प्रदेश के हस्तशिल्प कला का देश में विशिष्ट स्थान है और वहाँ देश में उत्पादन का लगभग छठा भाग उत्पादित होता है। इस क्षेत्र में लगभग सात लाख कारीगर कर रहे है जिसके द्वारा प्रति वर्ष 810 करोड़ रुपये मूल्य की हस्तशिल्प वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। और 400 करोड़ रुपये से अधिक का निर्यात होता है।

हथकरघा उद्योग सर्वाधिक महत्वपूर्ण कुटीर उद्योग है जिसका ग्रामीण अर्थव्यवस्था में विशेष योगदान है तथा अधिकाधिक रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं। प्रदेश में लगभग 15 लाख बुनकर इस उद्योग से जीवकोपार्जन करते हैं।

प्रदेशीय सरकार द्वारा रेशम उद्योग के विकास पर विशेष बल दिया जा रहा है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के परिवारों को इस उद्योग के माध्यम से पर्याप्त रोजगार की सुविधाए प्रदान की जाती है। वर्तमान में यह उद्योग प्रदेश के 40 जनपदों में फैला है, जहां 222 राजकीय फार्म स्थापित हो

चुके हैं। वर्ष 90–91 में 45लाख टन रेशमी धागा उत्पादित करने का लक्ष्य रखा गया है।

खादी एवं ग्रामोद्योग क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। खादी एवं ग्रामोद्योग की परिधि में पहले 26 उद्योग ही आते थे। अब कोई भी उद्योग चाहे वह विद्युत या बिना विद्युत के उत्पादन करता हो जो ऐसे स्थान पर स्थापित किया जाए जहॉं कि आबादी 10000 से अधिक न हो , ग्रामीण उद्योग के क्षेत्र की श्रेणी में आयेगी और उसे वह सब विशिष्ठ सुविधायें जैसे अति अल्प ब्याज दर पर ऋण आदि अनुमान्य होगी। आँठवी योजनाकाल में 5 लाख ईकाइयॉं स्थापित की जायेगी।

आँठवी योजनाकाल में औद्योगीकरण को एक नई दिशा मिलेगी जिसका केन्द्र बिन्दु रोजगार उन्मुख, ग्रामोन्मुख, ग्राम लघुतर हथकरघा व लघु उद्योग होगें। बड़े उद्योगो को भी यथोचित प्रोत्साहन दिया जायेगा, परन्तु उनकी भूमिका को उसी क्षेत्रतक सीमित करना होगा जो कि छोटी ईकाइयां की क्षमता से परे होगी और जिसके उत्पादन पर आधारित लघु व मध्यम उद्योग स्थापित किये जा सकेगें।

झाँसी मण्डल में हथकरघा बुनकर श्रमिकों की संख्या :-

हथकरघा सर्वेक्षण उत्तर प्रदेश वर्ष 86–87के अनुसार झाँसी मण्डल में बुनकर परिवारों की संख्या 28,690 थी। यह लोग 12,974 करघों पर कार्य करते थे। इसके बाद 1996 के अनुसार झाँसी मण्डल में बुनकरों की संख्या 14440 थी। यह लोग3477करघो व इतने पावरलूमों 1514पर कार्य करते थे। झाँसी मण्डल में जनपदवार स्थिति ज्ञात करने के लिये निम्नांकित सारिणी का अवलोकन करना पड़ेगा।

झाँसी मण्डल में हथकरघा बुनकर एवं करघो की संख्या :

तालिका 3 (x)
वर्ष 1986— 87

जिले का नाम	बुनकर परिवारों की संख्या	करघो की संख्या
1 झाँसी	20,150	10,000
2 जालौन	8,000	2,750
3 ललितपुर	540	224
मण्डल का योग	**28,690**	**12,974**

स्त्रोत — जिला सूचना विज्ञान केन्द्र , झाँसी

उत्तर प्रदेश में बुनकर परिवारो की संख्या 189517 है जिसमें बुनकर सदस्यों की संख्या 938921है। इनके द्वारा प्रयोग किये जाने वाले करघों की संख्या 260714 है। यह सभी जानकारी हथकरघा सर्वेक्षण 1987 — 88 के अनुसार प्राप्त हुई है।

तालिका 3 (xi)
झाँसी मण्डल में बुनकर परिवार एवं करघों तथा पावरलूमों की संख्या वर्ष 1996— 97

जिले का नाम	बुनकर परिवारों की संख्या	करघो की संख्या	पावरलूमों की संख्या
1 झाँसी	12253	2458	1293
2 जालौन	1545	712	193
3 ललितपुर	642	307	28
मण्डल का योग	14440	3477	1514

स्त्रोत — जिला सूचना विज्ञान केन्द्र , झाँसी

ग्राफ क्रमांक – 4
झाँसी मण्डल में बुनकर परिवारों एवं
करघों की संख्या
(1986–1987)
करघो की संख्या
बुनकर परिवारों की संख्या
संख्या
22000
20000
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
झाँसी
जालौन
ललितपुर
जनपद

ग्राफ क्रमांक – 5

झाँसी मण्डल में बुनकर परिवारों एवं करघों तथा पावरलूमों की संख्या (1996–97)

तालिका 3 (xii)
झाँसी मण्डल में बुनकर समितियों की स्थिति वर्ष 1986–87

	झाँसी	जालौन	ललितपुर	योग
1. सहकारिता क्षेत्र में बुनकरों की सं0	3854	968	150	4972
2. सहकारिता क्षेत्र में करघो की सं0	5785	1500	200	7485
3. बुनकर सहकारी समितियां की स0	137	32	7	176
अ. कार्यरत	118	18	1	137
ब. बन्द	19	14	6	39
4. समितियों के सदस्यों का वोटर लिस्ट से सत्यापन	91	19	2	112
5. समितियों की संख्या जिनसे फोटो प्राप्त हुये				
अ. संचालक मण्डल	78	2	–	80
ब. सदस्यों से	50	7	–	57

स्त्रोत – जिला सूचना विज्ञान केन्द्र , झाँसी

बुनकरों की स्थिति :-

हथकरघा बुनकरों के सतत् शोषण के लिये विचोलिये, सूत के व्यापारी तथा आढ़तियों की एक बड़ी श्रंखला विद्यमान है , इस प्रकार एक ओर जहां इस उद्योग को ऊंची उत्पादन लागत अपेक्षित उत्पादकता की कमी तथा उत्पादन में गुणात्मकसुधार की आवश्यकता एवं तैयार माल की निकासी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है वहीं दूसरी ओर बुनकरों की भी आवश्यकता बहुत दिनों से अनुभव की जा रही है।

बुनकरों की समस्याओं के निराकरण तथा बुनकरों को पूर्णकालिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा अनेक कार्यक्रम प्रारम्भ किये गये हैं और क्रियान्वयन से अपेक्षाकृत सुधार भी परिलक्षित हो रहे हैं। अभी कुछ समयपूर्व अगस्त 1993 में मन्त्री नरसिंहराव जी के प्रयास से बुनकरों की ऋण माफी योजना पर कार्यवाही सम्भव हो सकी। इससे उत्तर प्रदेशके 70000 बुनकरों को राहत मिली और ग्रामीण क्षेत्रों

के बुनकरों पर विभिन्न वित्तीय संस्थाओं के बाकाया 46.15 करोड़ रुपये की धनराशि के ऋण माफ किये गये । ऋण माफ से बुनकर परिवार के लगभग 3 लाख सदस्यों को राहत मिली।

हथकरघा निदेशालय एवं उसकी कार्य पद्धति :-

उत्तर प्रदेश में हथकरघा उद्योग के महत्व तथा बुनकरों को अधिकाधिक सुविधांए प्रभारी रुप से प्रदान करने के उद्देश्य से 'राम सहाय आयोग' की संस्तुतियों पर सितम्बर 1982 में प्रथम रुप में हथकरघा एवं ग्रामोघोग निदेशालय का गठन किया गया। वर्तमान समय में निदेशालय द्वारा बुनकरों के लाभार्थ अनेक योजनायें चलायी जा रही है।

बुनकरों के लिये विकास योजनायें :-

भारत वर्ष में हथकरधा के कलात्मक धरोहर को जीवित रखने और साकार रुप प्रदान करने में जिस श्रम शक्ति एवं हाथों का योगदान है, वह बुनकर का है जो इस देश में लगभग 1.00 करोड़ है। वे बुनकर हथकरघा को अपनी जीविका का साधन बनाये हैं। उत्तर प्रदेश में लगभग 10,00 लाख बुनकर है। उत्तर प्रदेश सरकार इन्ही बुनकरों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास एवं उनके जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार लाने के लिये विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों को संचालित कर रही है।

1. हथकरघा विकास केन्द्र :-

इस योजना का उद्देश्य अधिक से अधिक बुनकरों और करघों को सहकारिता क्षेत्र में लाकर उन्हे ऋण उतपादन, प्रशिक्षण की सुविधायें उपलब्ध कराना है।

यह योजना हथकरघा बुनकर बाहुल्य क्षेत्र जहां लगभग 1000 बुनकर हैं। लागू की जा सकती हैं प्रारम्भ में कम से कम 150 बुनकर एवं 150करघों की समिति को पात्र माना गया हैं समिति पुरानी होनी चाहिए। समिति का गत तीन वर्ष का कार्यकलाप स्वच्छ हो, इस योजनान्तर्गत नई गठित समिति को भी सहायता दी जा सकती है, यदि इस हेतु गैर सरकारी संस्थायें कार्यान्वयन में सहयोग देने के लिये तैयार हो सहायकता का विवरण निम्नवत है –

	ऋण	अनुदान
1. कार्यशील पूँजी व्यवस्था हेतु मार्जिन मनी	–	4.00 लाख
2. कार्यशील पूँजी (बैंक ऋण)	16.00लाख (या अधिक नावार्ड के अनुसार	
3. सूत एवं रंग रसायनपर प्रारम्भिक व्यय	–	1.75 लाख
4. जिला स्तरीय/राज्य एवं बाहर दो प्रदशनियों में भाग लेने हेतु	–	0.45 लाख
5. विपणन विकास सहायता	–	2.80 लाख
6. ग्रामीण बिकी केन्द्र स्थापना	1.00 लाख	1.00 लाख
	17.00लाख	10.00लाख

उपरोक्त योजना के लिये प्रस्ताव परिक्षेत्रीय सहायक निदेशक के माध्यम से प्राप्त किये जाते हैं

2. उत्कृष्ट रंगाई यूनिट :–

यह योजना भी बुनकर बाहुल्य क्षेत्र के लिए ही है, कुछ हथकरघा विकास केन्द्रो में उत्कृष्ट रंगाई ईकाई की स्थापना भी कराई जाती है। इस योजना में दी जाने वाली सहायता का विवरण निम्नवत है।

	ऋण	अनुदान
1. समिति स्तर पर रंगाई ईकाई की स्थापना	1.755 लाख	2.00 लाख
2. घरेलू रंगाई ईकाई	1.81 लाख	1.815 लाख
3. बुनकर सेवा केन्द्र के माध्यम से प्रशिक्षण	–	0.45 लाख
	3.565 लाख	**4.265 लाख**

3. निर्बल बुनकरों के लिये मार्जिन मनी सहायता :-

यह योजना गरीबी रेखा (रु0 11,200/– वार्षिक आय) से नीचे जीवन यापन करने वाले बुनकरों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिये ताकि वह अपनी समिति गठित कर सकें और वित्तीय सुविधा प्राप्त करके अपना उत्पादन कार्यक्रम भलीभाँति चला सकें।

4. एकीकृत हथकरघा ग्राम विकास परियोजना :-

यह योजना ऐसे गाँव के समग्र विकास के लिये बनाई गयी है जो बुनकर बाहुल्य है, परन्तु आवश्यक बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा लगभग 25.00 लाख रु0 की व्यवस्था की जाती है, योजनान्तर्गत बुनकरों का प्रशिक्षण, करघों का आधुनिकीकरण, सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना, बुनकरों के आवास। कार्यशाला की व्यवस्था के साथ – साथ अन्य बुनियादी सुविधायें जैसे – सड़क बिजली, पानी आदि की व्यवस्था की जाती है।

5. एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम :-

प्रदेश के हथकरघा बुनकरों के उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार तथा उनकी आय में बृद्धि करने के उद्देश्य से एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम के

अन्तर्गत बुनकरों के लिये वर्ष 93–94 को निम्न सहायता कार्यक्रम/योजनाओं का क्रियान्वयन प्रारम्भ किया गया है।

1. हथकरघा विहीन बुनकरों को करघा, कार्यशाला एवं कार्यशील पूंजी की सहायता प्रदान करना।
2. अनुसूचित जाति/जनजाति के भवनरहित बुनकरों को इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत भवन की व्यवस्था।
3. ट्राइसम योजनान्तर्गत बुनकरों की बेहतर डिजाइन रंगाई आदि का प्रशिक्षण।
4. हथकरघा बुनकरेां के नामार्थ सामान्य सुविधा केन्द्रो की स्थापना।

6. प्रोजेक्ट पैकेज कार्यक्रम :-

इस योजना के अन्तर्गत बुनकरां के खास वर्ग जैसे – अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियां, महिलाओं तथा अल्प संख्यक समुदायों के बुनकरों अथवा गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले बुनकरों के विकास की आवश्यकता पर आधारित विशेष परियोजनाओं को तैयार करने और उनहे लागू करने की व्यवस्था है। कार्यक्रम पर होने वाला व्यय भार 50:50 आधार पर राज्य व केन्द्र द्वारा उठाया जाता है। इन परियोजनाओं की वाणिज्यक लागत का आधा हिस्सा ऋण और आधा अनुदान के रुप में जुटाया जाता है।गैर वाणिज्यकलागत जैसे प्रशिक्षण,डिजाइन परीक्षण, नये डिजायन के विकास का शत प्रतिशत खर्च अनुदान के रुप में प्राप्त होता है।

7. **रेशमी धागा बैंक योजना :–**

यह योजना वर्ष 1993–94 से प्रारम्भ की गयी है। रेशमी वस्त्र की बुनाई करने वाले बुनकरों को समय से उचित मूल्य पर अच्छी किस्म का धागा उपलब्ध कराने के लिये इस कार्यक्रम को प्रारम्भ किया गया है। इसे उ0प्र0 राज्य हथकरघा निगम, यूपिका द्वारा संचालित किया जाता है। केन्द्र सरकार इस कार्यक्रम को चलाने के लिये इन संस्थाओं को हिस्सा पंजी सहायता प्रदान करत है।

8. **प्रधानमंत्री रोजगार योजना :–**

यह योजना पढ़े लिखे बेरोजगार नवयुवकों के लिये क्रियान्वित की जा रही है। जिनकी आयु 18 से 35 वर्ष के मध्य हो तथा परिवार की वार्षिक आमदनी 24,000 से अधिक न हो। इस योजनान्तर्गत लाभार्थी को परियोजना स्थापित करने हेतु रु0 1.00 लाख तक वित्तीय सुविधा (ऋण) व्यवसायिक बैंको के माध्यम से दिलाया जाता है। योजना में 15% अधिकतम रुपया 7,500/– अनुदान के रूप में दिया जाता हैं। इस योजना का लाभ बेरोजगार बुनकर अपनी व्यक्तिगत इकाई या पावरलूम स्थापना के लिये प्राप्त कर सकते हैं।

–: आर्थिक विकास के अन्य कार्यक्रम :–

1. नाबाई योजनान्तर्गत साख सीमा :–

इस योजना के अन्तर्गत हथकरघा बुनकरों की मात्र प्राथमिक समिति का जिला सहकारी बैंक के माध्यम से कार्यशील पूँजी उपलब्ध करायी जाती हैं। कार्यशील पूँजी नाबाई द्वारा निर्धारित निम्न मानक के अनुसार उपलब्ध कराई जाती है।

1. सूती हथकरघा साधारण	8500/– रू0 प्रति करघा
2. सूती हथकरघा स्पेशल बैराइटी	14,000/– रू0 प्रति करघा
3. शुद्ध रेशम	17,000/– रू0 प्रति करघा
4. रेशम स्पेशल वैराइटी	25,000/– रू0 प्रति करघा
5. टेरीकाट करघा	18,000/– रू0 प्रति करघा
6. शक्ति चलित करघा टेरीकाट	25,000/– रू0 प्रति करघा

इस ऋण पर वर्तमान व्याज दर 9.5 प्रतिशत हैं। कार्यशील पूँजी के उपयोग के साथ समिति को स्वीकृत साख सीमा का ढाई गुना उत्पादन करना होता हैं। तथा बिक्री 50% धनराशि बैक मैं जमा करनी होती हैं।

2. हिस्सा पूँजी ऋण :–

इस योजना के अन्तर्गत समिति के सदस्यों द्वारा क्रय किये गये रू0 500/– के एक हिस्से के विरूद्ध मात्र 50/– जमा करने होते हैं, शेष 90% अर्थात् 450/– रूपये राज्य सरकार की ओर से हिस्सा पूँजी ऋण के रूप मै उपलब्ध कराया जाता हैं। इस ऋण पर 13.25 प्रतिशत व्याज लगता है और 10 समान वार्षिक किस्तो में भुगतान किये जाने का प्रावधान हैं। समय से भुगतान करने पर प्रभावी व्याज दर 9.75 प्रतिशत होती हैं।

–:सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम :–

1. थ्रिफ्ट फण्ड योजना :–

शासन द्वारा बुनकरों को भविष्य निधि की भाँति सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से यह योजना चलाई जा रही हैं। जिसके अन्तर्गत बुनकर की मजदूरी रूपये मै से बुनकर अंशदान 8 पैसे करने पर सदस्य पूरी रकम

ब्याज सहित वापस ले सकता हैं। सदस्य की मृत्यु पर यह रकम उसके नामिनी को प्राप्त होगी।

2. सामूहिक बीमा योजना :-

विकास आयुक्त हथकरघा भारत सरकार द्वारा हथकरघा बुनकरों को बीमा सुरक्षा उपलब्ध कराने की नई योजना 1992-93 में शुरू की गई हैं, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक बुनकर का 10,000/- रूपये का बीमा किया जाता हैं, जिसका वार्षिक प्रीमियम मात्र 120/- रूपये हैं। प्रीमियम का एक तिहाई अर्थात् 40/- रूपये बुनकर के थ्रिफ्ट फण्ड खाते से जमा होता हैं तथा शेष 2 तिहाई धनराशि अर्थात् 82 /- केन्द्र और राज्य सरकार मिल कर देती है। इस तरह बुनकरों को मात्र 40/- रूपये के वार्षिक प्रीमियम पर 10,000/- रूपये की बीमा सुविधा प्राप्त हो जाती है। योजना के अन्तर्गत 18 वर्ष से 50 वर्ष तक की आयु के बुनकर सम्मिलित किये जाते हैं।

कल्याणकारी कार्यक्रम

1. बुनकर बहबूदी फण्ड :-

बुनकरों को पारिवारिक तथा सामाजिक कार्यो में सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से यह योजना क्रियान्वित की जा रही है। योजना के अन्तर्गत प्रदान की जाने वाली सहायता निम्न प्रकार है -

मद	धनराशि
1. शादी	रु0 1,000/- (सामान्य तौर पर) रु0 2,000/- (विधवा स्त्री, तलाकशुदा स्त्री की की पुत्री
2. बिजली कनेक्शन	रु0 700/- प्रतिबुनकर

3. छात्रवृत्ति	
क. जू0 हाईस्कूल	रु0 150/– (एक वर्ष में एक बार)
ख. हाईस्कूल	रु0 25/– प्रतिमाह (दो वर्ष तक)
ग. इण्टश्रमीडिएट	रु0 40/– प्रतिमाह (दो वर्ष तक)
घ. ग्रेजुएट	रु0 60/– प्रतिमाह (दो वर्ष तक)
ड़ पोस्ट ग्रेजुएट/ इंजी. चिकित्सा डिग्री कोर्स / डिप्लोमा स्तर कोर्स	रु0 100/– प्रतिमाह (दो वर्ष तक)

2. हैल्थ पैकेज

इस योजना का प्रारम्भ वर्ष 1992–93 में किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बुनकरों को स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधायें प्रदान करना हैं । योजनान्तर्गत हथकरघा कार्य से सम्बन्धित बीमारियों जैसे – दमा, क्षय रोग अस्थमा, पाचन क्रिया में सूजन आदि के इलाज के लिये सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

1.	टी.वी.,दमा,अस्थमा, बीमारी	1,500/– रु0 प्रति बुनकर का इलाज
2.	हैण्ड पम्प इण्डिया मार्क–2	15,00/– प्रति पम्प धनी बुनकर आबादी (सामुदायिक) में सरकारी ऐजेन्सियां के माध्यम से
3.	महिला प्रसूति सहायता	500/– रु0 (दो बच्चों तक)
4.	बंध्याकरण हेतु आर्थिक सहायता	पुरुष हेतु 50 वर्ष की आयु (100/– रु0) एक बार 1 महिला हेतु (45 वर्ष की आयु तक) रु0 100/– एक बार।
5.	ए.एन.एम.सेन्टर हेतु भवन निर्माण	150 से अधिक बुनकर परिवारों की

	आबादी
(स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालनार्थ)	में स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्धारित मानचित्र के अनुसार केन्द्र निर्माण हेतु रु0 2.00 लाख प्रति केन्द्र।

3. आवास से सम्बद्ध कार्यशाला योजना :

इस योजना का मुख्य उद्देश्य बुनकरों के स्थान पर ही काम करने की जगह (कार्यशाला) उपलब्ध कराना हैं। इस बावास से सम्बद्ध कार्यशाला ईकाई की लागत रु0 5,000/- है। जिसमें रु0 4,000/- अनुदान तथा रुपया 1,000/- बुनकर अंशदान होगा। अनुदान की धनराशि दो किस्तों में दी जाती है। हथकरघा सहकारी समिति के सदस्य तथा हथकरघा निगम से सम्बद्ध बुनकर इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

4. आवासीय कार्यशाला

यह योजना बुनकरों के आवासीय समस्या के निदान हेतु वर्ष 1993-94 से प्रारम्भ की गई है। योजनान्तर्गत शहरी/अर्द्धशहरी क्षेत्रों में सामूहिक रुप से बुनकर कॉलोनी बनाने की योजना है एक ईकाई की लागत 44,000/- आँकी गयी हैं। जिसका विवरण निम्नवत है।

1.	बुनकर अंशदान	रु0 5,000/-
2.	केन्द्र सरकार का अनुदान अंश	रु0 14,000/-
3.	व्यावसायिक बैकों/सड़कों द्वारा दीर्घकालीन ऋण	रु0 25,000/-
		रु0 44,000/-

योजना का क्रियान्वयन प्रथम चरण में निम्नवत् प्रारम्भ किया जा रहा है –

1.	मेरठ	1,000 आवास
2.	आजमगढ़	400आवास
3.	इलाहाबाद	200आवास
4.	झाँसी	400आवास
5.	मुरादाबाद	400 आवास
6.	बाराबंकी	200आवास
7.	वाराणसी	2,000 आवास

चयनित स्थानों पर योजना का लाभ लेने हेतु निर्धारित प्रारुप पर आवेदन पत्र दो फोटो व रुपया 1,000/– का बैंक ड्राफ्ट पंजीकरण शुल्क सहित परिक्षेत्रीय सहायक निदेशक हथकरघा को देना।

सहकारी समितियों का पंजीकरण

बुनकर समिति के गठन की प्रक्रिया –

किसी भी बुनकर बाहुल्य क्षेत्र में स्थायी रुप से रहने वाले बुनकर जिनका पेशा बुनाई करना हैं में से कम से कम 10 बुनकरों द्वारा एक प्रार्थना पत्र क्षेत्रीय सहायक निदेशक (हथकरघा) को दिया जायेगा। सहकारी समिति के विधिवत गठन कराये जाने हेतु उन बुनकरों के हस्ताक्षरित आवेदन पत्र वस्त्र निरीक्षक द्वारा उस ग्राम/मुहल्ले के बुनकरों की एक बैठक आहूत कर सहकारी समिति के गठन के लिए बनी उपविधियाँ जो सहकारी अधिनियम/नियम के अन्तर्गत तैयार कराई गई है की जानकारी प्रदान की जाती है। समिति के गठन के लिए बैठक की अध्यक्षता के लिये उपस्थित बुनकरों मे से किसी एक व्यक्ति का हाथ उठाकर निर्वाचन किया जाता हैं

तथा उन्ही में से एक व्यक्ति जो लिखना व पड़ना जानता हो पंजीकरण होने तक सदस्य सचिव निर्वाचित किया जाता है।

विभागीय नीति एवं निर्देशों के अनुसार किसी भी बुनकर समिति के पंजीकरण हेतु सक्षम समिति के लिये कम से कम 20 सदस्य व 30 कार्यरत करघे होना अनिवार्य है।

1. हथकरघा विकास केन्द्र की स्थापना के लिये 150 सदस्य एवं 150 करघों के सत्यापन पर पंजीकरण किया जाता है।
2. एकीकृत हथकरघा ग्राम्य विकास परियोजना के लिये चयनित ग्राम में कम से कम 100 बुनकर सदस्य एवं 100 करघों के सत्यापन का पंजीकरण किया जाता है।
3. डिस्टीट्यूट वीवर्स मार्जिन मनी योजनान्तर्गत कम से कम 50 बुनकर जिनमें 70 प्रतिशत गरीबी रेखा के नीचे जीव¯न यापनकरते हो उनके पास कुल कम से कम 50 करघों की सत्यापन एवं प्रभावीकरण पर किया जाता है।

   अधिनियम 1 नियम में दिये प्राविधान के अन्तर्गत बुनकर समितियों का पंजीकरण, निबंधक , हथकरघा एवं वस्त्रोधोग (निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोधोग) द्वारा एवं उनके अधीनस्थ उप निबन्धक हथकरघा एवं वस्त्रोधोग सहकारी समितियां द्वारा किया जाता है।

स्त्रोत – निदेशक , हथकरघा एवं वस्त्रोधोग , जी.टी. रोड कानपुर सहायक निदेशक (हथकरघा) झाँसी परिक्षेत्र , झाँसी

चतुर्थ अध्याय

हथकरघा उद्योग के बुनकरों की सामान्य विशेषताएं

१. उत्पादक घटक के रुप में श्रम का महत्व

२. उद्योग में संलग्न श्रम का आकार

३. श्रेणीकरण , श्रम पूर्ति के साधन

४. श्रम भर्ती की पद्धतियाँ

५. प्रशिक्षण की सुविधाएं

हथकरघा उद्योग के बुनकर की सामान्य विशेषतायें

श्रम ही सृष्टि का मूल हैं प्रत्येक देश के आर्थिक विकास में श्रम की एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती हैं प्राकृतिक सम्पत्ति की प्रचुरता से सम्पन्न देश भी पर्याप्त एवं कुशल श्रम के अभाव में मनोवांछित प्रगति नहीं कर सकता। चाहे औद्योगिक देश हो या कृषि प्रधान देश , श्रम के महत्व से कोई इन्कार नहीं कर सकतां यह उत्पत्ति का अनिवार्य साधन है । बिना श्रम क उत्पादन सम्भव नहीं हैं आदिकाल से ही मनुष्य ही मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये श्रम करता रहा है। सच तो यह है कि प्रत्येक महान राष्ट्र, समाज व व्यक्ति की प्रगतिका रहस्य श्रम में छिपा हुआ है।

आजकल प्रायः देखा जाता है कि समाचार पत्रों में हथकरघा बुनकर श्रम सम्बन्धी सूचनाओं को प्रमुखता दी जाती हैं समाचार पत्रों में ही नहीं वरन् अन्य पत्र–पत्रिकाओं में श्रम सम्बन्धी विशिष्ट खण्ड़ होते हैं। जिसमें केवल हथकरघा बुनकर श्रम समस्याओं की चर्चा की जाती हैं भारत सरकार के श्रम मन्त्रालय द्वारा इण्डियन लेवन जर्नल नाम की विशिष्ट पत्रिका भी निकलती हैं यदि श्रम आज मुखपृष्ठ की सूचना है , तो इसका श्रेय श्रम के आर्थिक महत्व को जाता है।

हथकरघा उद्योग में श्रम की विशेषतायें बढ़ने के कारण –

वर्तमान समय में हथकरघा उद्योग श्रम की विशेषताओं के अनेक कारण है। प्रमुख कारण निम्नांकित है।

1. **उत्पादकता में वृद्धि की मांग –**

आधुनिक युग में उत्पादकता में वृद्धि की आवश्यकता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। सच तो यह है कि हथकरघा उद्योग के विकास के लिये उत्पादकता में वृद्धि होना अनिवार्य है। उत्पादकता पर प्रभाव डालने वाले अनेक घटक होते हैं , किन्तु इन सबमें 'श्रम की कार्यकुशलता' सबसे महत्वपूर्ण हैं। अतः उत्पादकता आन्दोलन के कारण क्रम की विशेषता में वृद्धि हुयी है।

2. **आधुनिकीकरण की मांग –**

माल की किस्म को सुधारने के लिये आधुनिकीकरण की बड़ी आवश्यकता हैं यदि हम विश्व के अन्य देशो के साथ कदम मिलाकर चलना चाहते हैं तो हमारे लिये यह आवश्यक हो जाता है कि हम 'उन्नत एवं आधुनिकतम् उत्पादन प्रणालियों का प्रयोग करें। जिससे लागत व्यय में भी कमी होगी। आधुनिकीकरण के कारण श्रम की विशेषता में और वृद्धि हो जाती है।

3. **तीव्र औद्योगीकरण की मांग –**

तीव्र गति से औद्योगीकरण तभी सम्भव है, जबकि श्रमजीवियों और सेवायोजनकों में सहयोग से कार्य करने की भावना हो। ये दोनों पक्ष मिलाकर तीव्र औद्योगीकरण के नारे को बड़ी जल्दी सफल बना सकते हैं। इस कारण श्रम की विशेषता में वृद्धि हुयी है।

4. **प्रबन्ध में श्रमिकों की भागीदारी के लिये मांग –**

प्राचीन विचारधारा के अनुसार औद्योगिक लाभ एवं उद्योग धन्धों के प्रबन्ध में केवल पूँजीपतियों का एकाधिकार समझा जाता था। आधुनिक समय में श्रमिकों को हथकरघा उद्योग के प्रबन्ध व लाभ में भागीदारी की मांग प्रबलता से की जाने लगी है। इसलिये श्रम की विशेषता में वृद्धि हो गयी है।

5. **औद्योगिक शान्ति की आवश्यकता –**

आर्थिक विकास और औद्योगिक प्रगति के किन्ही अर्थो मे पर्यायवाची मानते हुये कहा जा सकता है कि वाँछित विकास वस्तुत! अनुकूल औद्योगिक वातावरण पर निर्भर रकता हैं अनुकूल औद्योगिक वातावरण में श्रमिकों की स्वस्थ मनोस्थिति का विकास होता है। और सम्भवतः उनमें अपने कार्य के प्रति लगन और रुचि पैदा होती है।

6. **श्रम सन्नियम व प्रतिवेदनों की बाढ़ –**

श्रमजीवियों के काम की दशाओं में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संघ के प्रस्तावों के अनुसार सुधार करने व उनके जीवन स्तर को ऊँचा उठाने के लिये प्रतिवर्ष नये – नये अधिनियम बनाये जाते है।। जिसके कारण श्रमिकों की विशेषता में वृद्धि हुयी है।

7. **श्रमिकों में राजनैतिक जागरुकता –**

हथकरघा श्रमिकों को अन्य नागरिकों के समाज ही सरकार चुनने व हटाने का अधिकार प्राप्त होता है। देश में हथकरघा श्रमिकों का बाहुल्य होने के कारण प्रत्येक राजनैतिक दल अपने लिये इनका समर्थ चाहता है। जिसके परिणामस्वरुप श्रम की विशेषता में वृद्धि हो रही है।

उत्पादक घटक के रुप में श्रम का महत्व –

श्रम उत्पादन का सक्रिय एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन एवं आधार है। श्रम को उत्पादन का 'जनक' माना जाता है। उत्पादन बिना श्रम की सहायता के किसी भी दशा में पूरा नहीं हो सकता हैं किसी भी मनुष्य का वह श्रम जिससे उपयोगिता का सृजन होता है। उत्पादक श्रम कहलाता है। वर्तमान औद्योगिक युग में भी श्रम का महत्व कम नहीं है। यद्यपि विज्ञान ने ऐसी मशीनों का निर्माण कर दिया है। जो मानवीय शक्ति का कम प्रयोग करके उत्पादन कर सकती है। परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि मानवीय शक्ति की पूर्णतया उपेक्षा कर दी जाये। राष्ट्रीय कला व प्रतिमा को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। 'श्रम का अर्थ मानव के उस शारीरिक या मानसिक प्रयास से हे जो प्रतिफल की आशा से किया जाता है।

वर्तमान उत्पादन प्रणाली में श्रम का स्थान सबसे महत्वपूर्ण है। अतः श्रमिकों को पर्याप्त वेतन दिया जाना चाहिये , उन्हे शोषण से बचाना चाहिए। श्रम तथा पूँजी में उचित समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए। जवाहर लाल नेहरु ने कहा था कि अगर सैनिक देश की भौगोलिक सीमाओं का जागरुक प्रहरी और रक्षक है तो श्रमिको देश के आन्तरिक ढ़ाँचे व औद्योगिक उत्पादन की एक महत्वपूर्ण कड़ी है , जो न केवल युद्ध सम्बन्धी प्रयत्नों को सक्रिय व साकार रुप देता हे , वरन् देश की अर्थव्यवस्था का एक आधार स्तम्भ हैं जिसकी अवहेलना कभी नहीं की जा सकती हैं वास्तव मे बुनकर श्रमिकों का महत्वपूर्ण योगदान है।

जैसा कि पहले बताया जा चुका हैं कि कुटीर व लघु उधोग हमारी अर्थ व्यवस्था के महत्वपूर्ण अंग है, जिसमें कमी की उपेक्षा नहीं की जा सकती हैं। महात्मा गाँधी के शब्दों में भारत का मोक्ष उसमें कुटीर उधोगो में निहित है। इन्ही कुटीर उधोगो में हथकरघा उधोग का महत्वपूर्ण स्थान हैं। अतः इस उधोग में लगे श्रमिको की समस्या एवं विकास का अध्ययन भी वर्तमान परिपेक्ष्य में आवश्यक हो गया है। हथकरघा उधोग के इतिहास से स्पष्ट है कि प्रथम महायुद्ध के बाद बुनकरों की संख्या में वृद्वि होने लगी है। स्वतन्त्रता के पश्चात श्रमिकों की संख्या में तथा विनियोजित पूँजी में काफी प्रगति हुयी, ये श्रमिक पूर्णकालीन एवं अंशकालीन में संलग्न श्रमिको की स्थिति निम्नांकित सरिणी में दर्शाया गया है। सरिणी के अवलोकन से प्रकट होता है कि सम्पूर्ण श्रमिको में 75 प्रतिशत केवल बुनकर है तथा 15 प्रतिशत सूत की कताई वाले श्रमिक तथा अन्य प्रकार के श्रमिकों का प्रतिशत कम हैं

उद्योग में संलग्न श्रम का आकार –

तालिका –4

उत्तर प्रदेश हथकरघा उद्योग में कार्यानुसार श्रमिकों का विभाजन है –

क्र.सं.	श्रमिकों के प्रकार	संख्या
1.	कपास की छटाई करने वाले श्रमिक	1000
2.	कताई करने वाले श्रमिक	245000
3.	सूत खोलने तथा लच्छी बनाने वाले श्रमिक	15000
4.	रंगसाज	10000
5.	धुनाई करने वाले श्रमिक	2000

6.	कतरने वाले श्रमिक	1000
7.	बुनकर	1225000
8.	बेल बूटा सजाई करने वाले श्रमिक	500
9.	पैकिंग करने वाले श्रमिक	500
10.	अन्य श्रमिक	–
	योग	**1500000**

स्त्रोत – कार्यालय हथकरघा उद्योग निर्देशालय, कानपुर से प्राप्त आंकड़ों के सर्वेक्षण के आधार पर।

श्रम पूर्ति के साधन –

उत्पादन में श्रम का महत्वपूर्ण स्थान हैं बिना श्रम के कोई भी कार्य सम्भव नहीं। श्रमिकों की पूर्ति करना उस क्रिया को कहते है, जिसके अन्तर्गत कार्य करने को तत्परभावी कर्मचारियों का पता लग जाता है और उन्हे नौकरी के लिये आवेदन पत्र देने को प्रोत्साहित किया जाता हैं भर्ती का उद्देश्य रिक्त पदों के लिये कुशल श्रमिकों को लेना हैं। आवश्यक योग्यता के श्रम की पूर्ति के लिये निम्नांकित साधनों में से किसी एक या अधिक साधन का उपयोग किया जा सकता है ।

1. **पूर्व के कर्मचारी** –

पूर्व के कर्मचारियों से अभिप्राय ऐसे कर्मचारियों से है जो या तो निकाल दिये गये थे अथवा वे स्वयं संगठन को छोड़कर चले गये थे, किन्तु अबवापिस आने के लिये इच्छुक है। यदि ऐसे कर्मचारियों के पिछले अभिलेख

अच्छे है, तो नये कर्मचारियों की अपेक्षा इन्हे काम पर लेना अधिक उपयुक्त रहता हैं

2. **वर्तमान कर्मचारियों के मित्र एवं रिश्तेदार** –

वर्तमान कर्मचारियों के मित्रों एवं रिश्तदारों से भी के श्रमशक्ति की पूर्ति की जा सकती हैं कर्मचारियों को केवल ऐसे व्यक्तियों की सिफारिश करनी चाहिए जो कि योग्य हो तथा उनका मनोबल ऊंचा हो।

3. **कम्पनी के निजी कार्यक्रम पर प्रार्थी का आवेदन पत्र प्राप्त करके** –

काम प्राप्त करने के इच्छुक श्रमिक समितियॉं में आते रहते है। उनसे आवेदन पत्र भरकर फाइल तैयार की जाती है। उनमें से आवश्यकतानुसार योग्यता परीक्षा एवं साक्षात्कार लेकर उचित व्यक्तियों का चयन किया जा सकता है।

4. **पदोन्नति** –

कर्मचारियों की पूर्ति के लिये उद्योग में से ही निम्न स्तर के कर्मचारियों को पदोन्नति करके स्थान भरा जा सकता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से किसी व्यक्ति को पदोन्नति कर देने से उसके अन्दर काम करने का नवीन उत्साह आ जाता है। जिसका उद्योग के उत्पादन पर अच्छा प्रभाव पड़ता है।

5. **शिक्षा संस्थायें** –

विद्यालय, महाविद्यालयों तथा तकनीकी संस्थानों से सम्पर्क स्थापित करके रिक्त स्थानों की पूर्ति की जा सकती है।

6. **रोजगार कार्यालय –**

रोजगार कार्यालय भी श्रम–शक्ति की पूर्ति का एक महत्वपूर्ण साधन है। जो लोग कार्य की तलाश में रहते है। वह अपना नाम रोजगार में पंजीकृत करा लेते है।

7. **विज्ञापन द्वारा –**

विज्ञापन भी श्रम–शक्ति की पूर्ति का एक महत्वपूर्ण साधन है। किन्तु इसका उपयोग प्रायः विशिष्ठ योजना वाले कर्मचारियों की भर्ती के लिये किया जाता है। जिससे आवेदन पत्र अधिक प्राप्त होते है और कुशल कर्मचारी आसानी से मिल जाते है।

8. **रोजगार संस्थायें –**

श्रम संघ की संस्थाओं, निजी संस्थाओं नियोक्ताओं की संस्थाओं एवं धार्मिक तथा सामाजिक संस्थाओं को सूचना देकर नये श्रमिकों की भर्ती की जा सकती है।

9. **अनिवार्य आवदेन –**

प्रत्येक औद्योगिक संगठन में जहां मेहनती योग्य एवं युवा कर्मचारियों के लिये विकास एवं प्रगति के सर्वाधिक सुन्दर अवसर होते हैं , वहाँ अनियमित रुप से भावी कर्मचारियों द्वारा आवेदन पत्रों की माँग की जाती रहती है।

10. **अंशकालिक कर्मचारी** –

समिति एवं संगठन में रिक्त स्थानों की पूर्ति अंशकालिक कर्मचारी के द्वारा की सकती है। इन कर्मचारियों की एक सूची तैयार कर ली जाती है तथा जब आवश्यकता होती है , इन कर्मचारियों द्वारा पूर्ति कर ली जाती है।

श्रम भर्ती की पद्धतियां –

उद्योग की सफलता अथवा विफलता काफी सीमा तक श्रम की भर्ती पर निर्भर करती है। इसके लिये भर्ती के श्रोतो के बारे में विषद् जानकारी प्राप्त की जा जाती है और तत्पश्चात भर्ती की पद्धतियॉं का चुनाव करना पड़ता है। श्रमिकों की भर्ती क लिये सामान्यता निम्नांकित पद्धतियॉं अपनायी जाती हैं ।

1. **मध्यस्थों द्वारा भती** –

मध्यस्थों द्वारा भर्ती की पद्धति अति प्राचीन है। इन मध्यस्थों को देश के विभिन्न भागों में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है जैसे जौबर, सरदर, चौधरी, फोरमैन मिस्त्री , कंगानी आदि। यह पद्धति अवैज्ञानिक, शोषणकारी एवं दूषित मानी गयी है , क्योंकि श्रम शक्ति में एकता तथा स्थायित्व का निर्माण नहीं हो पाता है।

2. **प्रत्यक्ष भर्ती** –

कर्मचारियों की भर्ती की यह पद्धति आधुनिक समय मेंअधिकांश संगठनों द्वारा अपनायी जाती है। इस विधि को वैज्ञानिक एवं उपयुक्त विधि भी माना गया है, क्योंकि इसमें स्वतंत्रता होती हैं यह भर्ती संगठन के श्रम अधिकारियों द्वारा की जाती हैं इस प्रकार विभिन्न तरीकों द्वारा भावी कर्मचारियों की

योग्यताओं, गुणों एवं मनोवृत्तियों का अध्ययन किया जाता है और उनकी नियुक्ति हेतु भर्ती की जाती है।

3. **ठेकेदारों द्वारा भर्ती** –

भारत के अनेक उद्योगों में श्रमिक की भर्ती के लिये ठेके देने की प्रथा का बड़ा प्रचलन है। जो ठेकेदार सबसे कम मूल्य मांगता है प्रायः ठेका उसी को दिया जाता है। हथकरघा उद्योग में ठेके के आधार पर भर्ती की विधि प्रचलित है।

4. **बदली प्रथा द्वारा भर्ती** –

जावरों के प्रभाव को कम करने के लिए 'बदली प्रथा' का प्रारम्भ किया गया है। इस प्रथा के अन्तर्गत प्रत्येक माह की पहली तारीख को कुछ चुने हुए लोगों को बदली कार्ड दे दिया जाता है। और उनसे प्रत्येक सुबह दो उद्योग में उपस्थित होने के लिये कहा जाता है। जिससे कि उनमें से भर्ती करके रिक्त स्थानों की पूर्ति की जा सके स्थायी पद के लिये पुराने लोगों को प्राथमिकता दी जाती है।

5. **श्रम संघो द्वारा भर्ती** –

कुछ मित्र श्रम संघों द्वारा श्रमिक प्राप्त करते हैं। श्रम संघों के पास एक सूची होती है जिससे धन व्यक्तियों के लाभ होते हैं, जो काम की तलाश मे होते है। सूचना मिलते ही श्रम संघ उन उम्मीदवारों के नाम भेज देता है। अन्तिम निर्णय प्रबन्धकों द्वारा किया जाता है।

6. **श्रम सम्बन्धियों की नियुक्ति –**

कुछ उद्योग में श्रमिक प्रबन्ध समझौते में इस आशय का प्रावधान किया गया है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति अमुक प्रतिशत की दर से वरिष्ठ श्रमिकों के निकट सम्बन्धियों द्वारा की जायेगी।

7. **श्रम अधिकारियों द्वारा भर्ती –**

मध्यस्थों द्वारा श्रमिकों को भर्ती करने के ढ़ंग के दोषों को दूर करने के उददेश्य से शाही आयोग ने ऊँचें वेतन पर श्रम अधिकारियों की नियुक्ति का सुझाव दिया था। तदानुसार कानपुर के वस्त्र मिलो में श्रम अधिकारी नियुक्त किये गये हैं। कभी कभी यह अधिकांश भर्ती के लिये गांव में जाते हैं। और श्रमिकों से सम्पर्क स्थापित करते हैं।

8. **निजी रोजगार संस्थाओं द्वारा भर्ती –**

आवश्यक कर्मचारियों की भर्ती हेतु विशिष्ट रोजगार सस्थाओं की सेवायें भी प्राप्त की जा सकती है। भर्ती की यह पद्धति अधिकतर उच्चस्तरीय तथा मध्यस्तरीय प्रबन्ध कर्मचारियों की भर्ती के लिये अधिक उपयोगी मानी गयी है।

9. **रोजगार केन्द्रो द्वारा भती –**

केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों द्वारा जिला केन्द्रो पर ऐसे रोजगार केन्द्रो की स्थापना की गयी है, जहां बेरोजगार व्यक्ति एवं काम प्राप्ति के इच्छुक व्यक्ति अपन नाम, पता एवं योग्यता लिखते है और अपनी रुचि का व्यवसाय भी बताते हैं। जबकभी औद्योगिक संगठनों को कर्मचारियों की आवश्यकता होती है , तब यह संगठन इन केन्द्रो को अपनी आवश्यकताओं के सम्बन्ध में लिख देते हैं।

प्रशिक्षण –

प्रशिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा विशिष्ट कार्यो के सम्पादन हेतु कर्मचारियों की अभिवृत्तियों, निपुणताओं एवं योग्यताओं में अभि वृद्धि की जाती है। हथकरघा द्वारा वस्त्र बुनाना एक विशिष्ट कला है। इसे सीखने व समझने में प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है। नवयुवक व प्रौढ़ व्यक्ति बुनाई की कला को आसानी से सीख सकते हैं। इस प्रकार इन श्रमिकों को धीरे–धीरे बुनाई की कला का ज्ञान हो जाता है। विभिन्न प्रक्रियाओं को सीखने एवं समझने में निम्नलिखि अवधि लगानी पड़ती है।

तालिका –4 (i)

विभिन्न प्रक्रियाओं के प्रशिक्षण की अवधि का विवरण –

क्रम सं0	प्रक्रिया का रुप	प्रशिक्षण की अवधि
1.	छटाई करना	एक सप्ताह
2.	कताई करना	एक सप्ताह
3.	धुनाई करना	तीन माह
4.	बुनाई करना –	
	(अ) गांठ लगाना	एक माह
	(ब) गांठ के अन्य कार्य	एक सप्ताह
	(स) पूर्ण रुप से बुनाई करना	छः माह
5.	कतरना व बेलबूटी छापना	तीन माह
6.	रंगाई का कार्य	
	(अ) रंग की तैयारी करना	एक माह से दो माह तक
	(ब) मुख्य रंगसाज	एक वर्ष से दो वर्ष तक
	(स) रंगाई धुलाई क कार्य	दो सप्ताह
7.	डिजाइनर –	
	(अ) रंगसाज	छः माह
	(ब) पैंसिल कार्य	एक वर्ष
	(स) नया डिजाइन बनाना	चार वर्ष

स्त्रोत – व्यक्तिगत सर्वेक्षण के आधार पर

प्रशिक्षण की आवश्यकता –

कर्मचारियों के अधिकतम वैयक्तिक विकास एवं उत्पादकता वृद्धि के लिये प्रशिक्षण की आवश्यकता को अनुभव किया गया है। प्रशिक्षण की आवश्यकता प्रत्येक विषय संगठन की विशिष्ट समस्याओं के समाधान हेतु होती है। ऐसी समस्यायें नयी उत्पादन रेखाओं की शुरुआत करने, डिजाइनों में परिवर्तन होने , अर्थव्यवस्था एवं प्रतिस्पर्धा की मांग के कारण उत्पन्न होती है। कर्मचारी प्रशिक्षण की आवश्यकता के संक्षेप में मुख्य कारण निम्नांकित है।

1. कर्मचारियों में मनोबल का विकास करने हेतु –

प्रशिक्षण कर्मचारियों को कार्य सम्पादन के लिये आवश्यक कौशल एवं प्रवीणता प्रदान करता है। यह कौशल कर्मचारियों को सुरक्षा एवं आत्म सन्तुष्टि जेसी मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायता प्रदान करता है।

2. कर्मचारियों की उत्पादकता में वृद्धि करने हेतु –

प्रशिक्षण कर्मचारियों को विशेष कार्यो के सम्पादन हेतु विशेष विधियाँ का ज्ञान प्रदान कराता हैं यह ज्ञान उत्पादकता को बढ़ाने, उतपादन लागत को कम करने एवं संगठन की सर्वागींण कार्यकुशलता को बढ़ाने में सहायता प्रदान करता है।

3. दुर्घटनाओं में कमी करने हेतु –

प्रशिक्षण कर्मचारियों को कार्य करने का ढ़ंग सिखलाता है। जिससे दुर्घटनाओं में कमी होती है।

4. **पर्यवेक्षण एवं निर्देशन में कमी करने हेतु** –

पर्यवेक्षण एवं निर्देशन में कमी होना कुशल, अनुभवी एवं योग्य कर्मचारियों का सूचक है। प्रशिक्षण कर्मचारियों में इन्ही योग्यताओं का विकास करता हैं। कर्मचारियों की परिवेक्षकों पर निर्भरता समाप्त होने लगती है।

5. **कर्मचारियों की गतिशीलता में विकास करने हेतु** –

प्रशिक्षण कर्मचारियों का वैयक्तिक विकास करता है। कर्मचारियों को कार्य के प्रति उपयुक्त बनाता है। जिससे गतिशीलता का विकास होता है।

प्रशिक्षण की सुविधायें

यदि सरकार को अपनी राष्ट्रीय आय में वृद्धि करनी है तो उसे भारतीय हथकरघा से निर्मित माल को विदेशी बाजार में ठिकाना होगा। इसके लिये सरकार को वस्त्रों की श्रेष्ठता तथा उत्पादन वृद्धि के लिये कुछ कारगर प्रयत्न करने चाहिए। ऐसा करने से ही योग्य एवं कुशल बुनकरों की संख्या में विस्तार होगा। वर्तमान में हथकरघा उद्योग के कर्मचारियों के लिये निम्नांकित प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये गये हैं।

1. **भारतीय हथकरघा प्राविधिक संस्थान, चौकाघाट, वाराणसी** –

इस संस्था द्वारा विभागीय डिप्लोमा कोर्स हेतु प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश में 11 प्रशिक्षार्थी भर्ती किये जाते हैं, भर्ती होने के लिये हाईस्कूल (विज्ञान) व उसके समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। छात्रवृत्ति के रुप में प्रथम वर्ष 100/– द्वितीय वर्ष 200/– दिया जाता है।

2. बुनकर सहकारी समितियों के कर्मचारियों का प्रशिक्षण –

सहकारी नियम, उपनियम एवं वस्त्र निर्माण की प्रायोगिक जानकारी के लिये 'यूपिका' के द्वारा एक प्रशिक्षण केन्द्र आजाद नगर, कानपुर में चलाया जा रहा है। बुनकर सहकारी समितियां के कर्मचारियों को 6 माह का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। तथा 60/– प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जाती है। प्रतिवर्ष 30 प्रशिक्षार्थी प्रशिक्षित होते हैं। इस प्रशिक्षण केन्द्र में छात्रावास की सुविधा भी उपलब्ध है।

बुनकर सेवक –

भारत सरकार की योजना के अनुसार मेरठ, वाराणसी तथा चमोली स्थिति बुनकर सेवा केन्द्र पर 3 और 6 माह का क्रमशः मास्टर वीवर्स एवं बुनकर सेवक का प्रशिक्षण देकर विभिन्न क्षेत्रों के बुनकरों को प्रशिक्षण देने का प्रावधान किया गया हैं इस प्रशिक्षण में भाग लेने वाले प्रशिक्षार्थियों की पात्रता निम्न है –

अ. कम से कम आठवी कक्षा पास

ब. आयुसीमा मास्टर वीवर्स ट्रेनर हेतु 50 वर्ष तथा बुनकर सेवक हेतु 45 वर्ष से कम।

स. स्थानीय भाषा का ज्ञान

द. मास्टर वीवर्स हेतु कम से कम 10–15 वर्षो का बुनाई रंगाई, छपाई आदि के क्षेत्रों का अनुभव तथा बुनकर सेवक हेतु बुनाई कार्यो में दक्षता तथा बुनकरों को समझने की योग्यता ।

उपरोक्त दोनों प्रशिक्षणों हेतुउन अभ्यर्थियों को जो हथकरघा में डिप्लोमा प्राप्त किये हो , वरीयता दी जायेगी। इन दोनों ही मदों हेतु प्रशिक्षण की अवधि में प्रत्येक प्रशिक्षार्थी को 1000/– छात्रवृत्ति के रुप में दिये जाने का प्राविधान है।

मजदूरी

हथकरधा उधोग के अन्तर्गत श्रमिको को मासिक वेतन भी दिया जाता है। और ठेके के कार्य के आधार पर भी परिश्रमिक दिया जाता है। इस प्रकार कार्यानुसार भिन्न–भिन्न प्रकार की मजदूरी, श्रमिक पर्याप्त नहीं होती है। वैसे गत वर्षो मैं उनकी मजदूरी में क्रमशः वृद्दि की गयी है लेकिन यह अपर्याप्त है। राज्य सरकार ने नवम्बर 1984 में हथकरधा से सम्बन्धित प्रकियाओ में संलग्न श्रमिको की मजदूरी निश्चित कर दी थी, लेकिन सरकारी सिलाई के कारण उत्पादको ने इसका प्रयोग न के समान किया तत्पश्चात 8 जनवरी 1985 की राजाज्ञा के अनुसार मजदूरी की दर में संशोधन किया गया तबसे बड़ी–बड़ी समितियाँ निर्धारित मजदूरी के आश्वासन पर श्रमिको से कार्य कराने लगी। लेकिन अधिकांश व्यापारी श्रमिकों की मजदूरी कटौती करके दे रहे है। उत्तर प्रदेश 1989–90 में बुनकारों की मजदूरी 12 रूपये से बढ़ाकर 15 रूपये कर दी गयी हैं इससे 5.80 लाख लोगो को गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों से लाभ मिलेगा।

बोनस सुविधायें – आधुनिक समय यन्त्री करण का युग हैं लेकिन इन यन्त्रों को चलाने के लिये किसी न किसी रूप में श्रमिको की आवश्यकता पड़ती है। कोई भी उधोग बिना श्रमिक के सहयोग से नही चल सकता। अतः उधोग धन्धो में होने वाले लाभ का कुछ अंश बोनस के रूप में इन श्रमिको को देना एक औचित्यपूर्ण एवं न्यायपूर्ण काम होगा। लेकिन सर्वेक्षण से यह

ज्ञात हुआ कि अधिकांश श्रमिकों को बोनस नहीं दिया जाता है। जब हथकरधा उधोग पर कारखाना अधि0 ही लागू नही होगा और श्रमिको को उचित मजदूरी भी नहीं मिलती तब बोनस की बात सोचना एक दिवास्पप्न की तरह होगा। सरकारी हस्तक्षेप से ही इस स्वप्न को साकार किया जा सकता है।

बोनस देने से लाभ

1. रहन सहन के स्तर में वृद्धि – जब श्रमिको को बोनस दिया जाता है तब उनके रहन–सहन के स्तर में बढ़ोत्तरी हो जाती है। वह अपनी आवश्यकताओ की पूर्ति आसानी से कर लेते है। जिससे उनका जीवन सुखमय बन जाता है।

2. बचत को बढ़ावा – जब श्रमिको को मजदूरी के अतिरिक्त बोनस दिया जायेगा। तब वह अपनी वृद्वावस्था को सुखमय बनाने के लिए बचत करने की तरफ भी अग्रसर होगे। मजदूरी की यह छोटी–छोटी बचते सरकार की राष्ट्रीय आय बढ़ाने में सहायक होगी। इन बचतो के द्वारा श्रमिक शादी विवाह, दु:ख, बीमारी, कष्ट आदि समस्याओ को सुलझा लेता हैं।

3. उत्पादन में वृद्वि – जब श्रमिको को बोनस दिया जायेगा तब उनके कार्य करने के प्रति रूचि अधिक होगी। परिणाम स्वरूप उत्पादन अच्छा एवं अधिक होगा। जिसके कारण उत्पादन व्यय में कमी होने की सम्भावना बहुत बढ़ती जायेगी।

4. उत्पादक एवं श्रमिक के बीच मधुर सम्बन्ध की स्थापना – जब श्रमिको को अतिरिक्त वोनस दिया जायेगा तब वह अपने उत्पादको के प्रति

अधिक निष्ठावान हो जायेगा, अपने कार्य को मन लगाकर करेगे, जिससे उत्पादक और श्रमिक के बीच मधुरता के सम्बन्ध बढ़ेगे।

5. श्रमिक की कार्यक्षमता में वृद्धि – श्रमिक को जब बोनस दिया जायेगा तब तालाबन्दी हड़ताल जैसी स्थिति कारखानो में उत्पन्न नहीं होगी। जिससे उत्पादन बढ़ेगा, साथ ही साथ श्रमिको की कार्य कुशलता बढ़ेगी एवं अपने कार्य के प्रति प्रेम बढ़ेगा।

इस उधोग में विभिन्न प्रक्रियाओं के होने का कारण कई प्रकार के श्रमिक संलग्न है। इन श्रमिको की अर्थिक दशा, आवास व्यवस्था शोचनीय है। राज्य सरकार द्वारा जो मसिक मजदूरी निर्धरित की गयी है वह श्रमिको के जीवन यापन के लिये कम है। श्रमिको को यह निर्धारित मजदूरी भी नहीं मिल पाती। इस प्रकार उनके श्रम का शोषण होता है श्रमिक को निपमित रोजगार दिलाया जाय, सख्ती के साथ निर्धारित मजदूरी दिलाई जाये, तभी वह अपने जीवन स्तर को ऊँचा उठा सकेगे और उत्पादन वृद्वि मे मानसिक रूप से सहयोग प्रदान कर पायेगे।

पंचम अध्याय

बुनकरों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति

लिंग मूलक संरचना
आयु वगार्गनुसार विवरण
परिवार का आकार
आवास का आकर एवं प्रकार
पेयजल, क्षेत्र, शैक्षिक क्षेत्र
तकनीकी ज्ञान एवं कौशल
रोजगार का प्रकार
विशिष्ट अथवा मिश्रित आय के क्षेत्र-मुख्य एवं गौण
व्यय की मदें, भोजन आवास, वस्त्रादि
शिक्षा, मनोरंजन, धूमपान एवं मंदिरापान अन्य ऋण
ग्रहत्ता की स्थिति ऋण प्राप्त करने में श्रोत
ऋण की राशि
व्याज की दर, पूर्व भुगतान की अवधि

बुनकरों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति –

'हथकरघा उद्योग सम्पूर्ण भारत में फैला हुआ है। ग्रामीण रोजगार एवं आय पर पड़ने वाले आर्थिक प्रभाव की दृष्टि से कृषि के पश्चात इस उद्योग का दूसरा महत्वपूर्ण स्थान है। प्राचीनकाल से ही इस उद्योग में लगे बुनकरों की कारीगरी की ख्याति देश–विदेशों में फैली हुयी थी। उनका बनाया गया माल देश–विदेश में हाथों हाथ बिक जाता था और यह इज्जत की जिन्दगी बिताते थे। लेकिन लगभग ढ़ाई सौ साल हुये अंग्रेजी हुकूमत ने आकर इस उद्योग पर धावा बोल दिया और इग्लैण्ड से मिलों के कपड़े यहां के बाजारों में पाट दिये। इग्लैण्ड की तरह हिन्दुस्तान में भी मिलें लग गयी और उनकी बनाई चीजे घर घर में छा गयी। ऐसी हालत में हमारे बुनकरों की हालत का गिरना स्वाभाविक था उल्लेखनीय है कि 1813 में कलकत्ते में 20 लाख पाउन्ड की सूती वस्त्र लन्दन को निर्यात किया गया परन्तु 1830 में कलकत्ता में इग्लैण्ड से 20 लाख का सामान आयात किया गया।'[1]

' रोजगार की दृष्टि से यह उद्योग सबसे अधिक रोजगार प्रदान कराता है। मिलों से 13 लाख लोगों को रोजगार मिलां, बिजली के करघों से 11 लाख लोगों को खादी से 9 लाख लोगों को इस तरह कुल मिलाकर 32 लाख लोगों को रोजगार मिला हैं प्रतिशत की दृष्टि से जहाँ मिलो, बिजली के करघों और खादी ने क्रमशः 13,12 और 11 प्रतिशत काम दिया है वहीं हथकरघा ने 64 प्रतिशत लोगों को रोजी दी हैं। विशेष उल्लेखनीय तथ्य यह है कि कुल 35 लाख हथकरघो के माध्यम से कुल वस्त्र उत्पादन का 30 प्रतिशत भाग तैयार होता है।'[2]

स्त्रोत्र– 1. रमेश दत्त ,दि. इकनोमक हिस्ट्र ऑफ इण्डिया, वाल्यूम, पेज 203

2. हथकरघा उद्योग उत्तर प्रदेश अतीत, वर्तमान भविष्य

इतना होते हुये भी हमारा बुनकर दुखी हैं अपनी समिति आवश्कताओं की पूर्ति वह बड़ी कठिनाईयां से कर पाता है। इसका प्रमुख कारण यह है कि बुनकरों को अपने माल की उचित कीमत प्राप्त नहीं हो पाती हैं बुनकर के हाथ में कला तो है लेकिन उस कला को प्रस्तुत करने के लिसे उसके पास सूत नहीं हैं सूत अगर मिलता है तो वह काफी मंहगे भाव पर नतीजा यह होता है कि जो कपड़ा बुनकर तैयार करता है वह मिलों और बिजली के करघो से मँहगा होता है। जिससे उसको खरीदने के लिये कोई तैयार नहीं होता है।

'बुनकरों की दशा पर तरस खाकर देश के प्रथम गवर्नर जनरल श्री चक्रवती राजगोपालाचार्य ने सन् 1957 में आवाहन किया था कि साड़ियों और लुगियों को हथकरघा के लिए सुरक्षित कर दिया जाये और मिलों या बिजली के करघों पर बनाने की पाबन्दी लगा दी जाये। दुर्भाग्य से उस समय राजा जी की अपील की किसी ने परवाह नहीं की, परिणामस्वरुप बुनकरों की स्थिति बिगड़ती गयी। उन्हे साल से मुश्किल से 150 दिन काम रहता है उनकी स्थिति लगभग भूमि ही न मजदूरों की तरह हो गयी है। अनेक बुनकर अपना काम छोड़कर मजबूरन शहर से रिक्शा चलाते हैं या कोई मजदूरी खेाजते है। बुनकरेां की बिगड़ती आर्थिक स्थिति को देखकर हथकरघा क्षत्र के उत्पादन के लिये 11 (ग्यारह) वस्तुऐं आरक्षित कर दी गयी है।'[3]

स्त्रोत –3 दैनिक आज , 7 फरवरी 1993

शिवरामन कमेटी –

केन्द्रीय सरकार ने बुनकरों की भलाई के उद्देश्य से एक कमेटी नियुक्त की थी। जिसके अध्यक्ष एक वरिष्ठ और अनुभवी अधिकारी शिवरामन थे। खेद का विषय है कि शिवरामन कमेटी की रिपोर्ट धूल खा रही है और उसकी सिफारिशों को मानना तो दूर की बात है अब वे किसी को याद तक नहीं रह गयी हैं उस कमेटी का एक विशेष सुझाव हथकरधा से तेयार कपड़े की निकासी के बारे में था उसने अनुरोध किया था कि परमपरागत टैक्स राहत की बजाय एक प्रभावशाली पद्धति अपनायी जाये जो सहकारिता पर आधारित हो और बुनकरों के माल की शीघ्र खपत में सहायक हो। परन्तु खेद का विषय है कि रिपोर्ट और उसके द्वारा दिये गये सुझाव पर कोई ध्यान नहीं दिया गया।

हमारे बुनकर भाई कहते हैं कि शिवरामन कमेटी को सरकार भूल गयी तो उसकी हमें कोई शिकायत नहीं मगर बुनकर पूँछते है कि हमारे लिये सरकार सूत बनाने वाली मिले क्यों नहीं खड़ी करती ? दूसरी मिलों पर पचास फीसदी की शर्त लगाकर देख लिया है कि वे उसकी क्या मजाक बनाती है ? शत प्रतिशत निर्यात के वास्ते मिले या कारोबार चलवा सकती है और उन्हे तरह – तरह की सुविधायें दे सकती है। तब ऐसी मिले खड़ी करने में सरकार को संकोच क्यो करती है जो शत प्रतिशत सूत बुनकरों को दें , अर्थात वह सूत न कपड़ा मिल को दिया जाये और न ही बिजली के करघों को । यह वह प्रश्न है जिसका उत्तर वे भारत सरकार से ओर विशेष रुप से वाणिज्य मंत्री से नम्रतापूर्वक मांगते है। मगर वे जबाब देने से कतराते हैं या

चुप्पी साध लेते है तब इसका आशय यहीं है कि बुनकरो के दिन कभी नहीं पलटेगें और ब्रिटिश सरकार ने उन्हे जितना तबाह किया उससे कहीं ज्यादा तबाही के शिकार वे अब होने वाले हैं।

सरकारी नीति –

दिल्ली से अखिल भारतीय हथकरघा और हस्तकला बोर्ड का तीसरा अधिवेशन हुआ था। उसमें वाणिज्य मंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह भी उपस्थित थे। उन्होने बुनकरों की मुसीबतों के प्रति अपनी हमदर्दी दिखाते हुये यह स्वीकार किया कि अपने सूत उत्पादन का 50 प्रतिशत हथकरघों को देने के निर्देश का पालन मिलों ने नहीं किया हैं और बिजली करघों की वृद्धि से हथकरघों के लिये किया गया सूत रिजर्वेशन निरर्थक सिद्ध हुआ।

परिस्थिति की गम्भीरता पर अपनी बात व्यक्त करते हुये वाणिज्य मंत्री ने हथकरघों की उन्नति के लिये 1984–85 को हथकरघा वर्ष घोषित किया और आश्वासन दिया कि हथकरघा की कठिनाइयों को दूर करने का भरसक प्रयास किया जायेगा उन्हाने यह मकबूल किया कि हथकरघा वस्त्रों को छूट व रिबेट देने की प्रणाली सफल नही हुयी है जो उसके एवज में सूत पर अनुदान या सबसिडी देना ज्यादा कारगर रहेगा।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने यह भी बताया कि बुनकरों को अपने रहने के वास्ते घर बनाने के लिये आर्थिक मदद देने का विचार सरकार कर रही है और उन्होने उम्मीद जाहिर की कि राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम बुनकरों की मदद करेगा और उनकी प्रगति में उचित भूमिका अदा करेगा साथ ही उन्होने कहा कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में वह ज्यादा धन मनोनीत कराने

का प्रयत्न करेंगें ताकि हथकरघों को सूत देने के लिये सूती मिले खोली जा सके।

झाँसी मण्डल के बुनकरों की दशा –

झाँसी मण्डल के बुनकरों के द्वारा तैयार जनानी साड़ी , मर्दाना धोती, जोड़ा रजाई आदि थे। जिसके बिकने से मुद्रा की काफी प्राप्ति होती थी। लेकिन इन वस्त्रों के लिये प्रसाधन की व्यवस्था न होने के कारण इन उत्पादनों ने बड़ा बाजार पैदा नहीं कर पाया। इन उत्पादनो ने बड़ा बाजार पैदा नहीं कर पाया और गरीब एवं मध्यवर्गीय लोगों के पहनने का वस्त्र होकर रह गया। 1960 के आते आते यह उद्योग पंगु और असहाय हो चुका थां बुनकर भुखमरी के शिकार हो रहे थे। और काफी परिवार यहां से पलायन करके कहीं और बस गया सिन्थेअिक वस्त्र ने खादी को दर किनार कर दिया था। खादी केवल नेताओं के पहिनने का वस्त्र वन चुका था , 1970 के दसक में रानीपुर वस्त्रोधोग लगभग मरणासन्न स्थिति में पहुंच गया था।

इसी समय कुछ साहसी लोगों ने एक साहसिक एवं क्रान्तिकारी योजना बनाई। इस हथकरघे पर सिथेंटिक वस्त्रों का उतपादन और सन् 1971 में इस याजना क्रियान्वयन भी हा गया और पुनः मेहनतकश बुनकर अपने बाजार को सम्हालने में लग गए और 1980 के आते आते रानीपुर हथकरघा टेरीकॉट का काफी बड़ा बाजार बन चुका था। जो रानीपुर टेरीकॉट के नाम से प्रसिद्ध हो गया थीं इसमें शटिंग, सूटिंग , कुर्ता का कपड़ा , लेडीज शूट सभी प्रकार के तैयार होने लगे।

रानीपुर बाजार का बाजार का वार्षिक टर्न ओवर करीब 60 करोड़ से 80 करोड़ रुपये तक हो गया और अधिकांश लोग सम्पन्न होने लगे। लेकिन प्रसोधन ईकाइयां न होने के कारण कपड़ा परिकृत नहीं हो पा रहा था। इसी कारण इस कपड़े ने कभी भी बड़े लोगों के पहिनने के वस्त्रोंके रुप में स्वीकृत अर्जित नहीं कर पाई और हमेशा गरीबों और मध्यम वर्गीयों के वस्त्रों के रुप में नहीं बिका।

यहां के बुनकरों ने भी अपने उद्योग का मशीनीकरण किया । लेकिन प्रशोधित न होने के कारण मिलों के कपडे के सामने नहीं टिक सका। सरकार ने बुनकरों के हित में कई योजनायें बनाई , कई सरकारी संगठन भी बनाए। वस्त्र निगम का गठन भी किया लेकिन यहाँ के बुनकरों को इसका आंशिक लाभ ही मिल सका। यहां के बुनकरों ने कई बार प्रशोधन इकाई की माँग की, लेकिन सरकार ने इस ओर कभी भी ध्यान नहीं दिया।

उत्तर प्रदेश शासन ने बुनकरों को राहत पहुँचाने का कोई उपयोगी कार्य अभी तक नहीं किया है। यदि समय रहते बुनकरों की आर्थिक स्थिति सुधारने का शीघ्र प्रयास न किया गया तो रानीपुर वस्त्रोधोग का वास्तविक स्वरुप नष्ट हो जावेगा।

अतः शासन से अनुरोध है कि बुनकरों के हित में शीघ्र ही प्रभावी कदम उठाये जाये। वस्त्र निगम को बुनकरों के हित में क्रियाशील बनाया जावे जो बुनकरों का कपड़ा खरीद कर बुनकरों का हित चिन्तन कर सके।

स्रोत – बुन्देलखण्ड़ : समग्र 1998 (भारतीय इतिहास संकलन समिति (उ0प्र0) (बुन्देलखण्ड झाँसी विभाग) एवं राजकीय संग्रहालय , झाँसी।

बुनकरों का पिछड़ापन –

भारत में हथकरघा उद्योग प्राचीन कुटीर उद्योगों में से एक है। ऐसे बहुत से ऐतिहासिक लेख और दस्तावेज विद्यमान है जो भारत के हथकरघा कपड़ों को गौरवगाथा का चित्रण करते हैं। इन वस्त्रों की तुलना भोर की ओस की बूँद और स्वर्णिम पवन से की जाती है। ब्रिटिश राज्य के मध्य कुछ राजनैतिक और आर्थिक कारणों से हथकरघा क्षेत्र लड़खड़ाने लगा अंग्रेजों ने अपने कपड़े को खफाने के लिये यहाँ के बुनकरों को दबायें रखने की कोशिश की। किन्तु यहाँ के बुनकर दबाये नहीं जा सके इन लोगों की कुशल कारीगिरी और हुनरमन्दी आज भी कम रही। लेकिन यूपिका तथा हथकरघा निगम का जो दुष्चक्र चल रहा है। उसके फलस्वरुप वास्तविक बुनकरों का पिछड़ापन और अधिक बढ़ने की सम्भावना प्रतीत हो रही है।

बुनकरों का सरकारी दुष्चक्र में फंसना

बुनकरों के बच्चे अधिकतर अशिक्षित होते है क्योकि हथकरधा उधोग में परिवार के सभी सदस्य कार्य करते है। कम आय होने के कारण उनकी गुजर–बसर बड़ी मुश्किल में हो पाती है। जिसके कारण उनका मन इस उधोग में नही लगता है। स्वतन्त्रता प्रप्ति के पश्चात भी बुनकरों का शोषण [illegible] करना इस बात का स्पष्ट सबूत है कि सरकार की योजनायें चाहें कितनी सरल व अच्छी हो लेकिन नौकरशाही, अफसरशाही और निजी व्यक्तियों की सांठ–गांठ से प्रायः सभी योजनाओं का लाभ बांछित व वास्तविक लोगो को नहीं मिल पाता, पूरा लाभ बिचौलियाँ के हाथ में पहुँच जाता है। बुनकर समाज के शिक्षित एवं उधमी युवा नेता डा0 मुहम्मद अन्सारी ने इस बात पर विशेष बल दिया कि राज्य सरकार बुनकरों को सीधे

लाभचित करने कि व्यवस्था शुरू करे, तभी इन लोगो की आर्थिक स्थिति में सुधार होने के साथ–साथ इनकी हुनरमन्दी बदाने की गुजांइश भी हो सकेगी।

आय के स्त्रोत –

भारत में अंग्रेजों के आगमन के समय हथकरघा उद्योग अधिक उन्नति पर था। उस समय ढ़ाके की मलमल विश्व प्रसिद्ध थी। कहा जाता है कि ढ़ाके की मलमल बारीक होती थी कि 40 गज का मलमल हाथ की अंगूठी से निकल जाता था। अंग्रेजों ने विश्वविख्यात हथकरघा उद्योग को नष्ट करने के उद्देश्य से अपना माल भारत की मण्डियों में फैला दिया। जिसके फलस्वरुप इस उद्योग को बढ़ावा देने के लिये कई योजनायें बनायी। उत्तर प्रदेश शासन ने हथकरघा उद्योग में लगे बुनकरों की ओर सदैव विशेष ध्यान दिया है। वहीं प्रयास किया जाता रहा है कि बुनकरों को पूर्ण कालिक रोजगार प्रदान किया जाये जिससे उनके करघे बन्द न होने पावे और उन्हे अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके। जिससे उनका पिछड़ापन दूर हो सके।

उत्तर प्रदेश में जनता धोती बनवाने का काम अधिक तेजी से चल रहा है। एक धोती जोड़ा पर बुनकरों को 9 रुपये सबसिडी के रुप में राज्य सरकार से प्राप्त होता है। जनता धोती, इटावा, फर्रुखाबाद , मुरादाबाद, कानपुर , बिजनौर गोरखपुर और गाडरवारा आदि में बड़े पैमाने पर तैंयार हो रही है। जिससे बुनकरों को अधिक आमदनी हो रही है।

हथकरघा उद्योग में लगे विभिन्न श्रमिकों की आय -

'हथकरघा उद्योग में विभिन्न प्रकार के श्रमिक कार्य करते है जैसे – छंटाई करने वाले, रुई धुनने वाले, कताई करने वाला, लच्छी बनाने वाले रंगने वाले डिजाइन बनाने वाले श्रमिक इत्यादि। इन सभी श्रमिकों की आय उनकी योग्यता के अनुसार अलग अलग होती है जिस श्रमिक का जैसा काम होता है। उसको वैसे ही आय होती है। विस्तृत रुप में श्रमिकों की आय को निम्नांकित ढ़ंग से समझाया जा सकता है।'[2]

स्त्रोत :– 2. प्रति प्रतिवेदन 1984–85

कपास की छंटाई करने वाले श्रमिक -

अधिकतर कपास की छंटाई करने वाला श्रमिक ठेके के आधार पर कार्य करता है। वह अपनी मजदूरी 10 रुपये प्रति मन की दर से प्राप्त करता हैं एक औसतन छांटने वाला 25–30 किलोग्राम रुई की छंटाई दिन भर में कर सकता है। इस प्रक्रिया में मजदूरी कार्यक्षमता के आधार पर ही मिलती हैं यदि रुई की किस्म छंटाई के लिये उपयुक्त हो तो श्रमिक अधिक कार्य भी कर सकता है। इस प्रकार श्रमिक की आय 7 रुपये प्रतिदिन के लगभग हो जाती है। वर्तमान समय में कार्य करने वालों की सेवा प्रणाली में परिवर्तन ला दिया गया हैं अब दैनिक मजदूरी के आधार पर भी छंटाई का कार्य किया जा सकता है। औरत एवं बच्चे श्रमिक प्रायः चार पांच रुपये ही दिन भर में प्राप्त करते है।

रुई धुनने वाले श्रमिकों की आय –

एक साधारण धुनकर दिनभर में 5–7 किलो रुई धुन सकता हैं वर्तमान में धुनाई की दर 1.50 रुपये प्रति किलो है। आजकल मशीनों से प्रतियोगिता होने के कारण धुनकर विवश होकर न्यूनतम मजदूरी पर कार्य करने को तैयार हो जाता हैं एक धुनकर महीनें में 20–25 दिन ही रोजगार पाता है क्योंकि शेष दिनों में उसे कार्य ढूढने एवं अन्य अवकाश के रुप में कार्य से वंचित रहना पड़ता है। अतः एक साधारण बुनकर की मासिक औसत आय 380 रुपये हो जाती है। जो श्रमिक की आवश्यकताओं को देखते हुये इतनी अल्प होती है कि उन्हे सदैव ऋणदाता महाजनों के दरवाजे को खटखटाना पड़ता है।

कताई करने वाले श्रमिक –

रुई कातने वाले श्रमिक अपने घरेलू कार्य के साथ रुई की कताई का कार्य करते हैं । इस कार्य में अधिकांशतः स्त्री वर्ग ही संलग्न हैं यह दिन में 5–6 घंटे तक का समय घरेलू कार्य से बचाकर कताई के कार्य में लगाती है। यह स्त्री श्रमिक ठेके के आधार पर मजदूरी प्राप्त करती है। इनकी मासिक आय को देखकर पता लगाया जा सकता है कि इनकी दशा कितनी दयनीय है। इन्हे सूत की किस्म के आधार पर मजदूरी प्राप्त होती है। उनकी मजदूरी और दैनिक आय निम्नांकित सारिणी से ज्ञात की जा सकती है।

स्त्रोत – व्यक्तिगत सर्वेक्षण के आधार पर

तालिका –5

श्रमिकों की कताई का परिश्रमिक

क्रम.सं.	दैनिक कार्य क्षमता	मजदूरी की दर	दैनिक मजदूरी
1.	2 किलो सूत का धागा (मोटा)	5 रुपये प्रतिकिलो	10 रुपये
2.	1 किलो सूत का धागा (मध्यम किस्म)	12 रुपये प्रतिकिलो	12 रुपये
3.	पौन किलोसूत का धागा (बारीक किस्म)	15 रुपये प्रतिकिलो	11.25 रुपये

स्त्रोत- सहायक निदेशक (हथकरघा), झाँसी परिक्षेत्र, झाँसी

ताागा खोलने वाले एवं लच्छी बनाने वाले श्रमिक की आय –

सूत खोलना एक साधारण कार्य है तथापि इस कार्य में अधिक प्रशिक्षण की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। यह कार्य अधिकांशतः औरते, लड़कियाँ एवं वृद्धो द्वारा किया जाता हैं सूत खोलने की वर्तमान दर 8.00 प्रति किलो है और एक कार्य करने वाला श्रमिक मुश्किल से 8–10 किलो तक रुई का सूत दिनभर में खोल सकता है और उसकी लच्छी बना सकता है। इस प्रकार श्रमिकों की दैनिक मजदूरी 8–10 रुपये रहती है। किन्तु माह में कुछ दिन रोजगार उपलब्ध न होने के कारण इसकी मासिक आय 160–180 रुपये के मध्य तक रह जाती है।

रंगने वाले श्रमिकों की आय –

हथकरघा उद्योग में रंगाई का कार्य महत्वपूर्ण होता है। इसके लिये प्रत्येक समिति में मुख्य रंगराज एवं सहायक रंगराज नियुक्त रहते हैं। इन्हे मासिक वेतन प्राप्त होता हैं मुख्य रंगराज को 450 से 500 रुपये तक मासिक वेतन मिलता है। जबकि सहायक रंगराज को 300–400 रुपये तक मासिक

वेतन दिया जाता है। यह वेतन उनकी कार्य कुशलता एवं अनुभव पर आधारित होता है। बड़ी–बड़ी समितियों में रंगने वाले रंगराज को अन्य सुविधायें जैसे आवास की व्यवस्था, कार्यावकाश की सुविधा आदि दी जाती है। इस प्रकार रंगराज की आय निम्नांकित सारणी द्वारा दर्शायी जा सकती है।

तालिका –5 (i)

श्रमिकों को सूत की रंगाई कार्य के लिये दिया जाने वाला परिश्रमिक–

क्रम. सख्या	श्रमिक का आकार	मासिक आय
1.	मुख्य रंगराज	450 – 500
2.	सहायक रंगराज	300 – 450

स्रोत- सहायक निदेशक (हथकरघा), झाँसी परिक्षेत्र, झाँसी

कतरने वाले श्रमिकों की आय –

कतरने वाले श्रमिक 25 पैसा प्रति वर्गमीटर की दर से मजदूरी पाते हैं तथा यह दिन भर से 20 वर्ग मीटर तक ही कतर पाते हैं। जिनकी मजदूरी 5 रुपये प्रतिदिन होती है। कुछ कुशल श्रमिक अधिक कतराई करके 7 रुपये प्रतिदिन तक पैदा कर लेते हैं। यह महीने में 4–5 दिन बेरोजगार रहते हैं। इनकी मजदूरी उनकी कार्यक्षमता एवं कार्यकुशलता पर निर्भर करती है।

ग्राफ क्रमांक – 6

श्रमिकों का आकार एवं उनकी मासिक आय

डिजाइन बनाने वाले श्रमिकों की आय –

डिजाइन बनाने वाले श्रमिक अपने मकान एवं दुकान पर ही नमूना तैयार करते हैं तथा पर्दे के व्यापारियों को इसे विक्रय कर देते हैं। डिजाइन बनाने वाले श्रमिक मुख्यतः स्वतंत्र होते हैं। मुख्य डिजाइनर केवल बाहरी रेखा पेंसिल से खींचता है तथा सहायक डिजाइनर पुराने डिजाइनों की नकल करता है तथा उसे रंग से भरता है। इसका मासिक वेतन 500–600 रुपये प्रतिमाह होता है। यह वेतन योग्यता पर आधारित होता है।

बुनकर श्रमिकों की आय –

बुनकर श्रमिकों को वस्त्रों की किस्म, आकार तथा डिजाइन के आधार पर मजदूरी प्राप्त होती हैं साधारणतया एक बुनकर 8 घण्टे दिन भर में कार्य करता है तथा वह एक या दो पर्दे दिन भर में बुन लेता है। अतः इस कार्य में एक बुनकर की मजदूरी 400 से 500 रुपये मासिक तक होती है। यह मजदूरी इतनी कम होती है कि वह अपना जीविका का निर्वाह बड़ी कठिनाइयों से कर पाता है।

करघा स्वामी की आय –

करघा स्वामी, व्यापारी वर्ग एवं बुनकरों के बीच की कड़ी है। जो उत्पादन करवाने के लिये कच्चा माल व्यापारी वर्ग से लेता हैं,तथा अपने घरों पर बुनकरों की सहायता से हथकरघा वस्त्रों का निर्माण कराते हैं इस प्रकार की जोखिम व सेवा के लिये 2–3 रुपये के बीच प्रति फीस के हिसाब से मजदूरी व्यापारियों से प्राप्त करते हैं तथा अपने बचे हुये समय में बुनाई भी

कर लेते हैं और कुछ अन्य सेवाओं के लिये व्यापारियों से परिश्रमिक प्राप्त करते हैं।

स्त्रोत : व्यक्तिगत सर्वेक्षण के आधार पर ।

आय तथा व्यय की विभिन्न मदें –

प्राचीन समय में मनुष्य की आवश्यकतायें सीमित थी। समय के साथ – साथ जैसे सम्यता एवं संस्कृति का विकास हुआ वैसे ही मनुष्य की आवश्यकतायें बढ़ती गयीं। इस प्रकार श्रमिकों की आवश्यकताओं में भी क्षति हुयी लेकिन इस वृद्धि के अनुसार उसकी आय में वुद्धि नहीं हुयी। हथकरघा उद्योग के बुनकर श्रमिकों की मासिक आय बहुत ही कम है क्योंकि उन्हे ठेके पर काम मिलता है और पीस रेट पर अपना जीवन निर्वाह करता है। क्योंकि इसके अलावा आप का कोई अन्य साधन उपलब्ध नही है। जिसके कारण अधिकांश बुनकरों को ऋण लेना पड़ता है और जीवन भर उस ऋण में डूबा रहता है। इस प्रकार बुनकर श्रमिक ऋण में ही जन्म लेता है, ऋण में ही जीवित रहता है और ऋण में ही मर जाता है।

व्यय की मदें –

हथकरघा उद्योग में कार्यरत श्रमिकों को अपनी आय के अनुसार ही सीमित खर्च करना पड़ता है। वह सर्वप्रथम अपनी अनिवार्य आवश्यकता को पूरा करता है। जैसे – रोटी कपड़ा और मकान । इसके अतिरिक्त बच्चों की शिक्षा एवं चिकित्सा आदि पर भी व्यय करना पड़ता है। इसके पश्चात आय का कुछ हिस्सा वह परिवार की सुख समृद्धि पर व्यय करता हैं इन मदों पर विवेकर्था खर्च करने से श्रमिक का जीवन सुखी एवं सम्पन्न बन सकता है।

कुछ श्रमिक बुरी संगत में पड़कर जुआ, शराब आदि पर व्यय करने लगते हैं। जिससे उनका जीवन दुखमय एवं संकटग्रस्त हो जाता है।

हथकरघा उद्योग में कार्यरत श्रमिक समाज में रहता है और समाज के बन्धन से वह बंधा रहता है। कुछ समय वह सामजिकता के अनुसार कार्य करता हैंजो वह बिना दबाव के अपनी इच्छा के अनुसार करता है। ऐसे व्यय को ऐच्छिक व्यय कहते हैं। जैसे दीन दुखियों की सहायता किसी धार्मिकसंस्था में दान देना इत्यादि । कुछ व्यय उसे सरकारी अधिनियमों के अनुसार अनिवार्य रुप से करना पड़ता है जैसे– जलकर, गृहकर आदि।

तालिका –5 (ii)

बुनकर के परिवार की मासिक आय व व्यय की विभिन्न मदें –

व्यय की मदें	धनराशि	आय की मदें	धनराशि
1. भोजन	280	1. बुनकर की आय	260
2. वस्त्र	46	2. पत्नी एवं बच्चों की आय	90
3. आवास	45	3. अन्य साधनों से आय	130
4. ईंधन	56	4. अनुदान	70
5. सामजिक कार्यक्रम	50		
6. शिक्षा और स्वास्थ्य	31		
7. अन्य व्यय	42		
योग	**550**	**योग**	**550**

स्रोत- सहायक निदेशक (हथकरघा), झाँसी परिक्षेत्र, झाँसी

रहन सहन का स्तर –

हथकरघा उद्योग में लगे हुये श्रमिको का रहन सहन का स्तर निम्न है। वे न्यूनतम आय में किसी तरह अपने परिवार का पालन पोषण ही कर पाते है। उनके कपड़े मैले व फटे होते हैं। श्रमिकों के कार्य करने का वातावरण भी दूषित रहता है। जिससे वे विभिन्न रोगों के शिकार भी हो जाते

हैं। सर्वेक्षण से पता चला है कि लगभग 20 प्रतिशत श्रमिक कताई व धुनाई करने वाले पेट एवं गले तथा फेफड़े के रोगी होते हैं उन्हे औषधि की कोई भी सुविधा नहीं है, वे धन के अभाव के कारण ही अपना इलाज सही प्रकार से नही करवा पाते हैं। हथकरघा के 15 प्रतिशत बुनकर पेट एवं खाँसी के शिकार है। श्रमिकों के लिये कल्याण एवं स्वास्थ्य के लिये कोई भी ठोस कदम सेवायोजकों द्वारा उठाया नहीं गया है। केवल कुछ समितियों द्वारा श्रमिकों के लिये इस कार्य की तरफ विशेष ध्यान दिया जा रहा हैं राज्य सरकार द्वारा भी इस ओर ध्यान दिया जा रहा है।

ऋणग्रस्तता –

भारतीय हथकरघा उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों के आर्थिक जीवन की यह एक महत्वूपर्ण विशेषता है कि उनका सम्पूर्ण जीवन ऋण ग्रस्तता में ही वयतीत होता है और अन्त में मृत्यु भी ऋण में ही होती हैं भारतीय श्रमिकों की इस ऋण ग्रस्तता का उल्लेख करते हुये श्रम के शाही अयोग ने तो यहां तक कह दिया है कि श्रमिकों के निम्न स्तरीय रहन सहन को सर्वोच्च स्थान दिया जाना चाहिए।

ऋण की स्थिति तथा ऋण प्राप्त करने के कारण –

ये बुनकर श्रमिक ग्राम में महाजनों , ठेकेदारों तथा व्यापारियों से ऋण प्राप्त करते हैं। ऋण का लगभग 50 प्रतिशत भाग केवल ग्राम के महाजनों से लिया जाता है। 20 प्रतिशत ठेकेदार तथा 30 प्रतिशत व्यापारियों से अग्रिम के रुप में ऋण लिया जाता हैं ये ठेकेदार भी इस साख की व्यवस्था, अपनी संचित पूंजी या व्यापारियों के द्वारा करते हैं। सर्वेक्षण से पता चला है कि

लगभग 100 बुनकर श्रमिकों में 75 प्रतिशत बुनकर ऋणग्रस्त है, जिनमें 25 बुनकरों पर औसत ऋण 3000 रु0 से अधिक है तथा 50 बुनकरों पर 3000 रु0 के लगभग ऋण है। ऋण की राशि वर्ष भर कार्य करने पर ही अदा की जाती है। जिनमें वे न्यूनतम जीवन निर्वाह के अतिरिक्त बची हुयी राशि द्वारा लिया जाता हैं सामाजिक सुरक्षा के अभाव में विवशतावश इन्हे ऋण लेने की आवश्यकता पड़ती हैं । वर्तमान समय में एक रुपये पर गुणवत्ता के आधार पर विभागीय नियमानुसार अधिक से अधिक 18.000 रु0 तक ऋण दिया जा सकता है।

प्रभाव तथा विश्लेषण –

हथकरघा उद्योग का हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था में विशिष्ट स्थान है। भारत सरकार द्वारा भी देश में वस्त्र उद्योग के समग्र विकास में हथकरघा क्षेत्र की विशिष्ट भूमिका को स्वीकार करते हुये इस बात पर जोर दिया गया है कि इस क्षेत्र के विकास और प्रगति को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी। वस्त्र नीति के अन्तर्गत हथकरघा उद्योग की विशिष्ट भूमिका को सुरक्षित रखने और उसकी क्षमता में कार्य रुप में पूर्णतया परिणत करने में इस उद्योग को सक्षम बनाने के उपाय किये जाने तथा हथकरघा बुनकरों के लिये और अधिक आय सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है।

राज्य सरकार ने भारत की वस्त्र नीति के अनुरुप एवं रामसहाय आयोग की संस्तुतियों को दृष्टिगत रखते हुये प्रदेश में हथकरघा उद्योग के तीव्र और सुव्यवस्थित विकास के लिये कार्यक्रमों को एक नयी शक्ति और गति प्रदान करने का निश्चय किया है। इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत हथकरघों में उन्नत

और आधुनिक बनाने , उत्पादन के क्षेत्र में विविधता लाने , सूत के मूल्य में स्थिरता लाने , पर्याप्त मात्रा में और रियायती दर पर संस्थागत वित्तीय श्रोतो से ऋण उपलब्ध कराने, विपणन की कारगर व्सवस्था किये जाने बुनकरों को न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित किये जाने , सरकारी ढ़ांचे को मजबूत बनाये जाने और बुनकरों के लिये पर्याप्त कल्याणकारी उपायों की व्यवस्था किये जाने के प्रयास किये जायेंगें।

कल्याणकारी उपाय –

हथकरघा बुनकरों को सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिये निम्नलिखित उपाय किये जायेगें :–

(क) हथकरघा बुनकरों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से अंशदायी बचत निधि योजना और केन्द्र द्वारा पोषित सामूहिक बीमा योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा।

(ख) हथकरघा बुनकर सामान्यतः समाज के निर्बल वर्ग के हाते हैं। उन्हे बीमारी का इलाज कराने तथा अन्य अप्रत्याशित घटनाओं से निपटने के लिये वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती है। बुनकरों को बुनकर बहुबूदी निधि से सहायता दी जायेगी।

प्रदेश सरकार आशा करती हे कि उत्तर प्रदेश में हथकरघों की विशिष्ट भूमिका को बनाये रखने के लिये उपरोक्त उपायों से हथकरघा उद्योग की उपयुक्त संरचना करने में सुविधा होगी। इसके माध्यम से हथकरघा क्षेत्र एवं बुनकरें की समग्र रुप से सामाजिक व आर्थिक स्थिति सुधारने मे सम्पन्न हेगा।

तालिका –5 (iii)

उत्तर प्रदेश में बुनकर समितियों की स्थिति (31.3.91 तक) –

क्रम. सं.	मद	संख्या
1.	कुल समितियों की संख्या	4634
2.	कार्यरत समितियों की संख्या	3590
3.	निष्क्रिय समितियों की संख्या	1044
4.	सहकारिता क्षेत्र में करघों की संख्या	354604
5.	सहकारिता क्षेत्र में सदस्यों की संख्या	217528

स्रोत- निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, जी० टी० रोड, कानपुर

कृषि के बाद हथकरघा उद्योग में सबसे अधिक श्रमिकों को रोजगार मिलता है। लेकिन इसमें लगे हुये श्रमिकों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं हैं इनकी आवास व्यवस्था एवं रहन सहन का स्तर निम्न है। यह श्रमिक अनेकों समस्याओं से ग्रसित हैं इनकी समस्याओं को दूर करनें में सरकार का सहयोग अपेक्षित है।

षष्ठम अध्याय

बुनकरों में निर्धनता की समस्या

(क) निर्धनता की अवधारणा

(ख) निर्धनता के घटक,

(ग) झाँसी मण्डल में बुनकरों में निर्धनता

निर्धनतम्, अत्यधिक निर्धन , निर्धन

निर्धनता रेखा से ठीक नीचे

निर्धनता के कारण

विगत वर्षो में निर्धनता की स्थिति में परिवर्तन

बुनकरों की निर्धनता की समस्या –

(क) निर्धनता की अवधारणा –

"निर्धरता एक सामाजिक एवं आर्थिक समस्या है। इसकी उत्पत्ति और स्वरुप बड़ा जटिल है। विश्व के सम्मुख गरीबी की समस्या एक सामाजिक, नैतिक और वैद्धिक चुनौती है।" – वी. एन. गांगुली

निर्धनता अथवा गरीबी एक सर्वव्यापारी समस्या है और समृह देश भी इसकी चपेट से नहीं बच सके हैं। भारत में ऐसे कई परिवार है जो औसत दर्जे का जीवन व्यतीत नहीं कर पाते हैं। उनके पास पर्याप्त भोजन एवं वस्त्रों का अभाव हैं प्राचीन समय में भी गरीबी थी, किन्तु आज जैसी भयंकर नहीं। वर्तमान समय में औद्योगिक क्रान्ति ने गरीबों एवं अमीरों में भीषण आर्थिक विषमता पैदा कर दी हैं आज समूचा विश्व आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न एवं विपन्न दो भागों में बट गया है। गरीबी के कारणों को ढूंढकर इसे दूर करने का प्रयत्न किया गया है। फिर भी इससे छुटकारा पाने की कोई सम्भावना अभी नजर नहीं आती।

निर्धनता और अमीरी तुलनात्मक शब्द है। साधारणभाषा में निर्धनता का अर्थ, आर्थिक असामनता, आर्थिक पराश्रितता और आर्थिक अकुशलता से लिया जाता है। निर्धनता को परिभाषित करते हुये गिनिल और गिलिन "लिखते हैं। "निर्धनता वह दशा है जिसमें एक व्यक्ति या तो अपर्याप्त आय अथवा मूर्खतापूर्ण व्यय के कारण अपने जीवन स्तर को इतना ऊंचा नहीं रख पाता कि उसकी शारीरिक एवं मानसिक क्षमता बनी रह सके और उसको तथा

उसके प्राकृतिक आश्रितों को अपने समाज के स्तरों के अनुसार उपयोगी ढ़ंग से कार्य करने के योग्य बनाए रख सके।"

(ख) निर्धनता के घटक –

भारत एक विशाल देश है जिसमें 80 प्रतिशत लोग ग्रामीण अंचलों में बसते हैं। भारत को किसी समय सोने की चिड़िया कहा जाता था। इसका मुख्य कारण ग्रामीण अंचलों में बसे लोग कृषि के साथ ही साथ गृह उद्योगों में भी लगे रहते थे। भारत एक धनी देश हैं किन्तु यहाँ के अधिकतर निवासी निर्धन हैं । भारत में प्रचुर प्राकृतिक साधन होने के बावजूद उनका विद्रोह न होने के कारण भारत वासियों को दरिद्रता का जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है।

गृह उद्योगों में हथकरघा के घटक गरीब की रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। हथकरघा उद्योग में निम्न घटक है।

1. कच्चा माल 2. हस्तकरघा कर्मी 3. हस्तकरघा

4. चरखा 5. तकली 6. बाजार

1. **कच्चा माल** – झाँसी मंडल में नहरों के अभाव में कृषि की खेती बहुत कम होती है। जिसके कारण कच्चा माल कपास आदि बाहर से मँगाना पड़ता है।
2. **हस्तकरघा कर्मी** – हस्तकरघा उद्योग में हस्तकरघा परिवार के सभी लोग किसी हस्तकरघा से सम्बन्धित कार्यो में संलग्न रहते है।फिर भी हस्तकरघा उद्यमी परिवार का भरण पोषण मुश्किल से कर पाते हैं।
3. **हस्तकरघा** – हस्तकरघा का निर्माण बढ़ई द्वारा लकड़ी से होता है जो कि बड़ी बड़ी मशीनों की अपेक्षा कम खर्च में हो जाता है।

4. **चरखा** – कच्चा माल कपास से बिनौला अलग करने सूत कताने व सूत लपटने के लिये चरखों का प्रयोग किया जाता है।

5. **तकली** – चरखें से सूत कताने के अलावा तकली से भी सूत काता जाता है। जिसमें परिवार के सदस्य सहयोग करते हैं।

6. **बाजार** – हस्तकरघा उद्योग में निर्मित कपड़ा विक्रय के लिये निकट बाजार भी होना चाहिए। जहां निर्मित कपड़ा आसानी से बिक सके।

(ग) झाँसी मण्डल में बुनकरों में निर्धनता –

किसी समय में झाँसी मण्डल में हस्तकरघा उद्योग काफी उन्नत दशा में था। किन्तु मशीनी उद्योगीकरण के कारण अधिक श्रम करने पर भी बुनकरों की दशा गरीबी रेखा के नीचे पहुंच गयी है और वे अपने परिवार का ठीक प्रकार से भरण पोषण भी नहीं कर पाते हैं। झाँसी मण्डल में अधिकांश बुनकर निर्धन है। जिनमें लगभग 40 प्रतिशत अत्यधिक निर्धन है। और 20 प्रतिशत बुनकर निर्धन रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं।

निर्धनता के कारण –

गरीबी का जन्म किसी एक कारण या घटना के फलस्वरुप नहीं होता है। यह अनेक कारकों की पारस्परिक क्रियाओं का प्रतिफल है। झाँसी मण्डल में गरीबी के लिये निम्न कारक उत्तरदायी है।

1. **कृषि** –

झाँसी मण्डल में कपास की कृषि योग्य भूमि का अभाव है। बाहर से कपास मंगाने पर मँहगी पड़ती है। जिसका माल तैयार करने में श्रम और पूँजी अधिक लगता है। किन्तु जिससे तैयार माल के लिये कोई बाजार नहीं मिलता, जिससे बुनकर गरीब से गरीब हो गये हैं।

2. **उद्योगीकरण एवं पूंजीवाद**

'उद्योगीकरण के कारण बड़े बड़े उद्योग स्थापित हुये फलस्वरुप हस्तकरघा उद्योग चौपट हो गया जो लोग इन व्यवसायों में लगे थे वे बेकार एवं गरीब हो गये। औद्योगीकरण ने पूँजीवादी व्यवस्था को जन्म दिया। पूंजीपतियों ने बुनकरों का शोषण किया। इससे अमीर अधिक तथा गरीब अधिक गरीब बने।'[1]

3. **साहूकारी प्रथा** –

बुनकरों को ऋण के लिये साहूकारों के पास जाना पड़ता है। जो उनसे ऊंची ब्याज दर वसूल करते और उनका शोषण करते हैं।

स्रोत1– The Economic time : 24 Feb. 1998.

4. **बेकारी** –

उद्योगीकरण की दौड़ में झाँसी मण्डल के बुनकर उनका मुकाबला न कर सके। जिससे हस्तकरघा उद्योग का धन्धा चौपट होता गया और बेकारी बढ़ती गई।

5. **पूँजी का अभाव** –

झाँसी मण्डल में हस्तकरघा के कर्मियों के पास पूँजी का अभाव होने के कारण वे गरीब हो गये।

6. **अकुशल बुनकर** –

गरीबी के कारण झाँसी मण्डल में अकुशल बुनकरों की अधिकता है, फलस्वरुप उनकी उत्पादन क्षमता घट जाती है। और आय कम हो जाती हैं जिससे वे निर्धन बने रहते हैं।

विगत वर्षों में निर्धनता की स्थिति में परिवर्तन

श्रीमती वीरा ए–सरे ने अपनी पुस्तक 'भारत में आर्थिक विकास में लिखा है।'' भारत एक धनी देश है जहाँ के निवासी निर्धन है'' यह भी कहा जाता है कि ''इसकी मिट्टी धनी है, किन्तु निवासी निर्धन है। इस प्रकार के विरोधाभासी कथन भारत की उस स्थिति की ओर संकेत करते हैं जिसमें प्रचुर प्राकृतिक साधन होने के बाबजूद भी उनका विदोहन न होने के करण भारतवासियों की दरिद्रता का जीवन व्यतीत करना पढ़ रहा है। भारत में गरीबी रेखा से नीच जीवन व्यतीत करने वाले लोगों का प्रतिशत निम्न प्रकार है।

वर्ष	प्रतिशत
1987 – 88	36.86
1993 – 94	35.97

'सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस समय देश में 32 करोड़ व्यक्ति गरीबी की रेखा के नीचे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं जो कुल जनसंख्या का 36 प्रतिशत है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे अधिक गरीब उत्तर प्रदेश में है जिनकी संख्या 6.04 करोड़ है।'[2]

स्त्रोत 2– The Economic time : 23 Feb. 1998.

विश्व विकास रिपोर्ट 1997 में बताया गया है कि भारत में प्रति व्यक्ति आय केवल 340 अमेरिकन डालर है। अमरीका में यह 26,980 , जापान में 39,640 तथा स्विट्जरलैण्ड में आंका जाये तो 1980.81 के मूल्य पर भारत में 1996–97 में प्रति व्यक्ति आय केवल 2,761 रुपये है। विश्व के कुपोषण के शिकार 19 करोड़ बच्चों में से अकेले भारत में 7.2 करोड़ (36 प्रतिशत) बच्चे हैं। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में निर्धनता अति विकराल रुप में पायी जाती है।

बुनकरों की कार्य दशाएं

(क) संगठित क्षेत्र :-

परिसर का आकार, प्रति बुनकर स्थान उपलब्धता विकास की व्यवस्था, शौचालय, स्नानागार, कैन्टीन आरामघर मनोरंजन कक्ष की उपलब्धता, कार्य करने के घण्टे , सवेतन अवकाश , मशीनो आदि से सुरक्षा

(ख) असंगठित क्षेत्र :-

कार्यस्थल कच्चा/पक्का/झोपड़ी/कार्यस्थल स्वायित्व, कार्य के घन्टे प्रकाश वायु आदि की उपलब्धता

बुनकर की कार्य दशायें

रोटी और कपड़ा के उपरान्त मानव की तीसरी प्राथमिक आवश्यकता आवास की है। देश में मकानों की समस्या, विशेषतया औद्योगिक केन्द्रो में भंयकर रुप ग्रहण करती जा रही हैं नगरों में जनसंख्या की लगातार वृद्धि तथा गृह निर्माण की मन्द गति इसके लिये उत्तरदायी हैं सस्ती एवं समुचित आवास व्यवस्था का महत्व सबसे अधिक है। अच्छे आवास से श्रमिकों का जीवन सुखमय एवं स्वास्थ्य पूर्ण व्यतीत होता हैं अनेक अमेरिका निवासियों तथा यूरोप निवासियों के द्वारा मकानों के आर्थिक तथा सामाजिक महत्व पर गम्भीरपूर्वक विचार किया गया हैं अन्य देशों में औद्योगिक श्रमिकों की गृह समस्या प्रकाश में आ गयी है तथा वहां इस दृष्टि से विशेष ध्यान दिया गया हैं भारत वर्ष इस दृष्टि से बहुत पीछे है। क्योंकि यहां पर कुछ स्थानों को छोड़कर शेष मकान केवल ईंट , मिट्टी का एक व्यवस्थित रुप है, जिनकों कि मकान की संज्ञा देना भी लज्जाजनक हैं। उन्हे मनुष्य के रहने योग्य स्वीकार किया ही नहीं जा सकता।

भारत के प्रथम प्रधानमंत्री स्व0 पं0 जवाहरलाल नेहरु ने जब सन् 1952 में कानपुर की श्रमिकों की गन्दी वस्तियों को देखा तो उन्हे बहुत दुख हुआ। उन्होने इसे मनुष्यता का 'नरक–कुण्ड' कहते हुये कहा था कि यह वस्तियाँ मनुष्यता का अपमान करती है, जो व्यक्ति इन मामलों के लिये उत्तरदायी है उन्हे फाँसी पर लटका देना चाहिए। उन्होने यह विचार प्रकट किये थे कि इन गन्दी वस्तियों को शीघ्र ही नष्ट कराकर इनके स्थान पर अधिक स्वास्थ्यप्रद दशाओं वाले मकान निर्माण किये जाये।

कार्य स्थल की दशाओं का महत्व –

बुनकर श्रमिक झाँसी मण्डल के जिन क्षेत्रों में निवास करते हैं शोधकर्ता ने जाकर सम्पर्क किया तो पाया कि वहाँ जाने के रास्ते बहुत ही खराब है। पानी, बिजली एवं सफाई की व्यवस्था नाममात्र की है। वहां पर रहने वाले बुनकर श्रमिकों के मकानों की शोचनीय दशा है। मकानों में सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता, वहाँ नाना प्रकार की बीमारियों के कीटाणु उत्पन्न हो जाते हैं। इन मकानों में सदैव शीलन बनी रहती है। बहुत सी सड़ी गली बस्तुयें पड़ी रहती है। इनसे दुर्गन्ध ही नहीं उड़ती वरन् उनमें भयानक बीमारियाँ के कीटाणु उत्पन्न हो जाते हैं। 'भारत के औद्योगिक केन्द्रो की श्रम बस्तियों की दशा इतनी भयंकर है कि वहां मानवता का विध्वंश होता है, स्त्रियों का सतीत्व नष्ट हो जाता है तथा देश के भावी आधार स्तम्भ शिशुओं का गला छोटा जाता है।

" In the thousand slums of Indian industrial contres manhood is is, unquestimably brutalised womanhood dishonowed and childhood hoisoned at its very source"

Dr. Radha Kamal MookerJee
Indian Social Problems, Page 18

व्यक्ति सर्वेक्षण के द्वारा ज्ञात हुआ है कि अब भी डा0 राधाकमल मुखर्जी के कथनानुसार ही बुनकर श्रमिकों की पुरानी जैसी स्थिति है। हथकरघा में विभिन्न प्रक्रियाओं में संलग्न श्रमिकों की दशा इस प्रकार है –

1. **कपास की छटाई करने वाले श्रमिक –**

कपास की छटाई करने वाले श्रमिक सदैव ठेके पर कार्य करते हैं। ठेके पर कार्य करते हैं। ठेक पर कार्य करने के कारण वह अधिक से अधिक कार्य करने की कोशिश करते है। ऐसे श्रमिक दिन भर कच्चे कपास की छंटाई करते है। जिसके फलस्वरूप निकलने वाली घूल व रूई के रेशे आंखों में बैठ जाते है और आंखों से आंसू बहने लगते है। इस प्रकार श्रमिक अनुकूल वातावरण के अभाव में रोगों के शिकार हो जाते है।

2. **धुनाई करने वाले श्रमिक –**

धुनाई करने वाले श्रमिक जहाँ धुनाई करते है उस कक्ष का आकार 25 वर्ग फुट के लगभग होता है। धुनाई धनुष व गेंदा के सहारे की जाती है। छोटे कमरे होने के कारण रूई के बादल पूरे कमरे में छाये रहते हैं। जिसकें परिणाम स्वरूप यह श्रमिक फेफड़ों व हृदय की बीमीरियों से पीड़ित रहते है। धुनाई करने वाले श्रमिक फेफड़े व हृदय की बीमारी से पीड़ित रहते है। धुनाई करने वाले श्रमिक की जल्दी मृत्यु होने से उसके परिवार की आर्थिक स्थिति दयनीय हो जाती है। उत्तर प्रदेश में सरकार द्वारा विभिन्न उत्पादक समितियाँ को निर्देश दिये गये हैं कि वह सम्बन्धित श्रमिको की चिकित्सा व्यवस्था करें।

कताई करने वाले श्रमिक –

जब रुई की धुनाई हो जाती है तब सूत बनाने के लिये कताई प्रारम्भ की जाती है। कताई का कार्य अधिकतर घर पर ही स्त्रियों द्वारा किया जाता है। कताई का कार्य अवरुद्ध हो जाने पर प्रायः उन्हे भूखा मरना पड़ता है। इस प्रकार के कार्य में मुस्लिम परिवार हिन्दुओं की अपेक्षा अधिक लगे हुये हैं। हिन्दुओं में कोरी परिवार इसमें अधिक लगा हुआ है। सूत की कताई

चरखे एवं तकुयें के सहारे की जाती है। इस प्रक्रिया में लगे श्रमिकों की आर्थिक दशा तथा शारीरिक दशा शोचनीय है।

तागा खोलने तथा लच्छी बनाने वाले श्रमिक –

तागा खोलने व उसकी लच्छी बनाने का कार्य खुले स्थान पर किया जाता है। जिससे लच्छी बनाने में असानी हो तथा कार्य जल्दी हो सकें। इस प्रकार का कार्य अधिकतर ठेके पर किया जाता हैं लच्छी बनाने वाले श्रमिकों को बड़ी सावधानी से कार्य करना पड़ता है। क्योंकि थोड़ी सी असावधानी से तागा उलझ जाता है और लच्छी खराब हो सकती है।

रंगाई करने वाले श्रमिक –

रंगाई करने का कार्य रंगराज द्वारा किया जाता है। इसकी सहायता के लिये कुछ और श्रमिकों को रखा जाता है। इनकों सहायक रंगसाज कहते हैं। मुख्य रंगसात रंगाई की कला में विशेषज्ञ होता है। इनकी नियुक्ति स्थाई तौर पर की जाती है तथा इनके एक निश्चित राशि वेतन के रूप में दी जाती है। यह सूत को पानी घुमाते है, भट्ठी में कोयला झोंकते है, रंग देना, रंगाई करना तथा फैलाकर सुखाना आदि कार्य करते है।

इन सभी कार्यो को करने के लिये सहायक रंगराजों को समय–समय पर खौलते पानी का तापक्रम नोट करना पड़ता है। कभी–कभी यह आग से जख्मी हो जाते है। अधिकांश रंगाई कक्ष खुले होते है। जिससे इन्हें सर्दी, गर्मी, बरसात को भी सहन करना पड़ता है। हथकरघा उद्योग की प्रक्रियाओं में रंगाई का कार्य अत्याधिक महत्वपूर्ण है।

बुनकर श्रमिक की दशा –

उत्तर प्रदेश में लगभग 15 लाख बुनकर श्रमिक हथकरघा में लगे है तथा झाँसी मण्डल में (86–87) के सर्वेक्षण के अनुसार 28,690 इस क्रिया में लगे हुये है। हथकरघा उद्योग में बुनकर वर्ग महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता

है। सूत की रंगाई पश्चात् बुनाई का कार्य किया जाता हैं बुनकरों को धागे की आपूर्ति करने हेतु प्रदेश में 24 कताई मिलों की स्थापना की गयी है जो कि प्रदेश के विभिन्न अंचलों में स्थापित हैं इन मिलों द्वारा वर्ष में लगभग 400 करोड़ रूपये के सूत का उत्पादन किया जा रहा है। सूत वितरण हेतु राज्य करघा निगम द्वारा लगभग 190 केन्द्र स्थापित किये गये है और इसी प्रकार यूपिका द्वारा भी लगभग 13 स्थानों पर सूत विक्रय केन्द्र चलाये जा रहे है।

हथकरघा वस्त्र का उत्पादन कुशल बुनकरों द्वारा तथा इनकी देखरेख में साधारण बुनकरों द्वारा करघे पर किया जाता है। जब करघे पर ताना चढ़ाया जाता है तब दो तीन दिन तक बुनाई कार्य नहीं किया जाता है। जिन बुनकरों की आर्थिक स्थिति ठीक होती है। वे कुछ करघे स्थापित करके ठेके पर कार्य करवाते हैं। जो बुनकर बुनाई कार्य महीने में लगभग 5–6 दिन तक परिश्रमिक नहीं मिलता है। प्रदेश में हथकरघा वस्त्र उत्पादन में निरन्तर वृद्धि हो रही है।

हथकरघा वस्त्र उद्योग में लगे अधिकांश बुनकरों की आर्थिक स्थिति बहुत अधिक दयनीय हैं यह बुनकर ठेकेदारों तथा व्यापारियों के हाथो सदैव शिकार बने रहते हें उनके उत्पादन में कोई न कोई कमी निकाल कर कम मजदूरी देते हैं। जिसके फलस्वरुप वह अपने परिवार का भरण पोषण बड़ी कठिनाई से कर पाते हैं। लगभग 15 प्रतिशत बुनकर श्रमिक पेट एवं खाँसी के रोगी है। सामाजिक अवसरों पर बुनकर श्रमिकों को ऋण लेना पड़ता है। यह ऋण वह महाजनों , ठेकेदारों तथा व्यापारियो से लेता है। बाद में उन्हे न्यूनतम मजदूरी ग्रहण करने के लिये वाध्य करते हैं तथा श्रमिकों को अपने पंजे का शिकार बनाये रखते हैं।

कार्य दिवस –

हथकरघा उद्योग में लगे बुनकरों को वर्ष में 250 दिन के लगभग कार्य मिलता है और शेष दिनों में उनकी बैठकर खाना पड़ता हैं इस कारण उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अधिक दयनीय रहती है। बुनकर श्रमिकों को कार्य तब ही मिल पाता है जब देश व विदेश के व्यापारी निर्माण के लिये आदेश व नमूने भेजते हैं। हथकरघा उद्योग में लगे अन्य प्रकार के श्रमिकों द्वारा कार्य प्राय ठेके पर किया जाता है। जाड़े के समय में बुनकर 8 बजे तथा गर्मी में 7 बजे ही करघे पर बुनाई के लिये आ जाते हैं। और वही पर भोजन कर लेते हैं।

निजी घर तथा कार्य की अलग स्थानो की दशाओं का विश्लेषण

हथकरघा उद्योग में लगे अधिकांश श्रमिक ठेके पर कार्य करते हैं। इनकी मजदूरी इतनी कम होती है कि यह अपने परिवार का भी भरण पोषण बड़ी मुश्किल से कर पाते हैं । सेवायोजकों द्वारा बुनाई का कार्य उन्ही को दिया जाता है जो कम मजदूरी पर कार्य करें। धन की आवश्यकता होने के कारण इन्हे मजबूरन कम मजदूरी पर कार्य करने के लिये विवश होना पड़ता है। बुनकर वस्तु को बुनकर समिति के सभापति, व्यापारी या ठेकेदार को देता है तथा निश्चित मजदूरी प्राप्त करता हैं आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण यह अपना इलाज भी ठीक प्रकार से नहीं करवा पाते हैं। हथकरघा उद्योग का अन्तर्राष्ट्रीय रुप होते हुये भी इस उद्योग में संलग्न श्रमिक की आवास व्यवस्था एवं रहन सहन का निम्न स्तर है।

छपाई –

छपाई का कार्य अधिकतर टीन सेट की कार्यशाला के अन्दर किया जाता है। छपाई का कार्य अधिकांशता ठेके पर करवाया जाता है। कुछ

व्यापारी छपाई का कार्य मासिक वेतन पर व्यक्ति रखकर करवाते हैं। छपाई का कार्य करवाने से पहले डिजाइनर, डिजाइन केन्द्र द्वारा मान्य डिजाइनों को बनाकर उन्हे सांचे पर कटवाकर छपाई व कार्य सम्पन्न करते हैं। झॉसी मण्डल में अभी भी समितियो के पास छपाई घरों की कमी है। यह लोग ठेके पर दूसरी जगह जो समिति से दूर होता है छपाई का कार्य करवाते हैं और बाद में छपी हुयी वस्तु अपने पास मंगा लेते हैं।

शौचालय –

झाँसी मण्डल में हथकरघा समितियों की कार्यशालाओं का सर्वेक्षण करने पर ज्ञात हुआ कि किसी भी कार्यशाला में जहाँ पर बुनकर कार्य कर रहे हैं उचित शौचालयों की व्यवस्था प्राप्त नहीं हुयी। अगर उसे कार्य करते समय शौच जाना पड़े तो फिर उसे खुले स्थान में या फिर अपने घर पर ही शौच के लिये जाना पड़ता है। जिससे कार्य पूरा करने में उसे अधिक समय लगाना पड़ता है। जिसके फलस्वरुप उसकी आय में कमी आती है। बाहर से आने वाला व्यक्ति भी यह हालत देखकर परेशान हो जाता है। समिति के सभापति कार्यालय में पंखे के नीचे स्वच्छ स्थान पर बैठते हैं। उनके ऊपर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। सर्वेक्षण द्वारा ज्ञात हुआ है कि 40 कार्यशालाओं में ही शौचालय स्थापित है।

मूत्रालय –

झाँसी मण्डल की हथकरघा समितियों की कार्यशालाओं को सर्वेक्षण करने पर ज्ञात हुआ कि 120 कार्यकर्ताओं में ही मूत्रालय की व्यवस्था देखने को मिली। यह मूत्रालय बिलकुल ही खुले स्थानों पर स्थिति है, जिसमें आढ़ आदि की कोई भी व्यवस्था नहीं तथा मूत्रालय के नाम पर केवल दो ईटे ही रक्खी मिली बुनकर या अन्य श्रमिक जो इसमें कार्य करते हैं वह अधिकतर

बाहर की पेशाव करने के लिये जाते है। बुनकरों व अन्य प्रकार के श्रमिकों को उचित मूत्रालय व्यवस्था न होने के कारण अनेक रोगों का शिकार होना पड़ता है। जिसका वह उचित इलाज भी नहीं कर पाता है, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति दयनीय होती है।

रोशनदान –

हथकरघा उद्योग की कार्यशालाओं के सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ कि रोशनदान के नाम पर केवल टीन की छत में तीन चार जाली बना दी जाती है। जो अन्दर की तरफ होती हैं । झाँसी मण्डल की 200 कार्यशालाओं के सर्वेक्षण से पता चला कि इस तरह के रोशनदान केवल 170 जगह पर है। प्रायः कार्यशाला एक मंजिल की होती हैं दूसरे मकान इन कार्यस्थलों से ऊंचे होते हैं। जिससे वहां पर शुद्ध हवा व प्रकाश का अभाव रहता है।

पेयजल की सुविधा –

झाँसी मण्डल में हथकरघा समितियों का सर्वेक्षण करने से ज्ञात हुआ है कि जिस कार्यशालाओं में श्रमिक कार्य करते हैं वहीं पर पेयजल के नाम पर कोई समुचित प्रबन्ध नहीं है, केवल सरकारी नल ही कार्यशालाओं में लगे हैं जिससे पानी समय समय पर ही आता है तथा कभी कभी आता भी नहीं हैं सर्वेक्षण से पता चला कि केवल 160 स्थानों पर पेयजल की सुविधा थी। सेवा-योजकों तथा समिति के पदाधिकारियों द्वारा श्रमिकों के लिये पेयजल की समुचित व्यवस्था नहीं हो पा रही है।

विश्राम व्यवस्था –

सर्वेक्षण तथा व्यक्तिगत आधार पर ज्ञात हुआ है कि सेवायोजकों ने विश्राम स्थल की ओर बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया हैं । अधिकतर श्रमिक सुबह काम करने के लिये आते हैं तथा शाम को घर वापस जाते हैं। उनके लिये मध्यान्तर में विश्राम करने के लिये उचित स्थाल की व्यवस्था नहीं है। विश्राम स्थल की व्यवस्था केवल आठ–दस समितियों में ही पायी गयी। विश्राम न करने के कारण श्रमिक बेचारे परेशान रहते हैं तथा थकान महसूस करते हैं जिसके परिणाम स्वरुप उनकी कार्य क्षमता में भी गिरावट आती है।

निम्नांकित सारिणी में विभिन्न प्रकार की सुविधाओं को दर्शाया गया हैं यह सर्वेक्षण 200 कार्य शालाओं को आधार मानकर किया गया है –

तालिका 7 (1)

अन्य मदें की संख्या एवं प्रतिशत

मद का नाम	संख्या	प्रतिशत
शौचालय	40	20
मूत्रालय	120	60
रोशनदान	170	85
पेयजल की सुविधा	160	80
विश्राम स्थल	20	10

उपरोक्त सारिणी से अवगत होता है कि इस उद्योग में कार्यरत अधिकांश श्रमिकों को अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना स्वयं करना पड़ता है।

स्त्रोत – सर्वेक्षण तथा व्यक्तिगत आधार मानकर

ग्राफ क्रमांक – 7
अन्य मदें की संख्या
संख्या
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
शौचालय
मूत्रालय
रोशनदान
पेयजल
की सुविधा
विश्राम स्थल
मद का नाम

मकानों की स्थिति तथा मकान निर्माण की सरकारी योजनाओं का विश्लेषण एवं प्रगति

मनुष्य की जीवन रक्षक अनिवार्य आवश्यकताओं में मकान भी है। देश में मकानों की समस्या, विशेषतया औद्योगिक केन्द्रो में भयंकर रुप ग्रहरण करती जा रही है। नगरों में जनसंख्या की लगातार वृद्धि गृहनिर्माण की मन्दगति इसके लिये मुख्य उत्तरदायी है।

रोटी और कपड़ा के उपरान्त मानव की तीसरी प्राथमिक आवश्यकता आवास की हैं बुरी आवास व्यवस्था का अर्थ है गन्दगी, शराबखोरी, चोरी, बीमारी, व्यभिचार और अपराध। उचित आवास व्यवस्था न होने से श्रमिकों का शारीरिक, नैतिक व सामाजिक पतन होता है, जिसके परिणामस्वरुप उनकी कार्यक्षमता का निरन्तर ह्रास होता जाता है।

डा० राधाकमल मुखर्जी के शब्दों में भारतीय औद्योगिक केन्द्रो की श्रम बस्तियॉं की दशा इतनी भयंकर है कि वहां मानवता का विध्वंस होता हैं महिलाओं के सतीत्व का नाश होता है एवं देश के भावी आधार स्तम्भ शिशुओं का गला घोंटा जाता है। अतएव यह आवश्यक है कि श्रमिकों की उचित आवास व्यवस्था हो।

अतः आवास व्यवस्था जीवन की एक ऐसी आवश्यकता है जिस पर राष्ट्रीय नियोजन के अभिन्न एवं अनिवार्य अंग के रुप में ध्यान देना चाहिए। आवास व्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपयोगिता एवं सामाजिक सेवाओं मे से एक है। आधुनिक आवास व्यवस्था हर घर के लिये कुछ न्यूनतम सुविधाओं की व्यवस्था करती है। साथ ही आवास एक ऐसी कीमत पर मिलने चाहिए जो कि औसत आय या कम आय के नागरिक दे सकें।

झाँसी मण्डल में 500 बुनकरों की आवास स्थिति को निम्नांकित सारिणी में दर्शाया गया है –

तालिका 7 (ii)
आवास स्थिति

क्रम सं.	आवास का प्रकार	संख्या
1-	पक्के मकान	75
2	कच्चे मकान	300
3	किराये के मकान	125

स्रोत:- सर्वेक्षण तथा व्यक्तिगत साक्षात्कार के आधार पर ।

खराब आवास व्यवस्था को देखते हुये आवास व्यवस्था में अविलम्ब सुधार एवं विस्तार करने की आवश्यकता है। केवल सरकार , सेवायोजकों एवं श्रमिकों के संयुक्त प्रयास से ही इन्हे दूर किया जा सकता है।

श्रम जांच समिति 1946 के अनुसार 'वर्तमान दशायें ,जिनमें मकान बनवाने की जिम्मेदारी किसी भी एजेन्सी पर वैद्यानिक रुप से नहीं है, जारी रहने की इजाजत नहीं दी जा सकती । सेवायोजक सब पक्षों के लिये , यदि उनहे वैद्यानिक रुप से मकान अच्छे स्तर के बनाने को कहा गया तो अपने कर्तव्य सन्तोषप्रद ढ़ंग से पूरे नहीं करेंगें, क्योंकि इससे उनके संसाधनों पर भारी बोझ पड़ेगा आवश्यक किराया भी प्राप्त न कर सकेगें। नगरपालिकायें भी अकेले आवासों के निर्माण हेतु वित्त की व्यवस्था नहीं कर सकती, क्योंकि उनके संसाधन प्रायः कम होते हैं।

भारत सरकार ने अप्रैल 1948 में श्रमिकों के लिये 10 वर्ष के अन्दर 10 लाख मकान बनवाने का निर्णय लिया इसके लिए एक हाउसिंग बोर्ड स्थापित किया गया। इन मकानों को बनवाने में जो पूँजी लगेगी उसे केन्द्र सरकार व राज्य सरकार के अनुपात में देगें। केन्द्र सरकार द्वारा दिया गया धन के ऋण के रुप में होगा जिसे राज्य सरकार द्वारा बिना ब्याज के 25 वर्ष के अन्दर अदा कर देना होगा।

ग्राफ क्रमांक – 8
आवास स्थिति

विभिन्न आवास योजना –

स्वतंन्त्रता प्राप्ति के पश्चात,हमारे देश में सरकार का ध्यान गृह समस्या की ओर आकर्षित हुआ। फलस्वरुप, केन्द्रीय सरकार के साथ – साथ राज्य सरकारों ने गृह निर्माण के लिये कई योजनायें बनाई। प्रमुख योजनायें निम्नांकित है –

1. सहायता प्राप्त आवास योजना।
2. अल्प आय वर्गीय योजना।
3. ग्रामीण आवासीय योजना।
4. बुनकर कालोनियाँ की स्थापना।

योजना क्रियान्वयन तथा भौतिक सत्यापन –

आवासयुक्त कार्यशाला निर्माण योजना का क्रियान्वयन परिक्षेत्रीय सहायक उद्योग निदेशक (हथकरघा) एवं परियोजनाधिकारी/उप परियोजनाधिकारी/यूपिका के एक प्रतिनिधि की एक संयुक्त समिति द्वारा किया जायेगा। यह समिति बुनकरों के पहिचान करने ,निर्धारित प्रारुप पर प्रार्थना पत्र तैयार कराने, निर्माण कार्य सुनिश्चित करने तथा सदुपयोगिता प्रमाण पत्र मुख्यालय को समयानुसार भेजने एवं स्वीकृत धनराशि को नियमानुसार सदुपयोग करने के लिए उत्तरदायी होगें और परिक्षेत्रीय स0उ0नि0 इस कार्य के लिये स्वयं जिम्मेदार होगें और परिक्षेत्रीय स0उ0नि0 इस कार्य के लिये स्वयं जिम्मेदार होगें।

उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये। यदि योजना के क्रियान्वयन में किसी स्तर पर कोई शिथिलता पायी जायेगी तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

निष्कर्ष –

सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ है कि झाँसी मण्डल में आवासीय योजना का उचित क्रियान्वयन नहीं किया गया है। बुनकर श्रमिकों के लिये अभी हथकरघा उद्योग में समुचित व्यवसथा नहीं है। आवास की समुचित व्यवस्था न होने से अधिकांश श्रमिक कच्चे मकानों तथा किराये के मकानों में निवास कर रहे हैं। जहाँ का वातावरण दूषित एवं गन्दा होता है जब तक कोई उचित एवं सशक्त कदम उठाया नहीं जायेगा। जब तक हथकरघा में लगे श्रमिकों को इसी दूषित वातावरण में रहना होगा। जिसका उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। आशा की जाती है कि सरकार इस ओर ध्यान देगी एवं उचित कदम उठायेगी। जिससे इस उद्योग में लगे श्रमिक का जीवन दूषित वातावरण से दूर हो सके एवं उनका आर्थिक जीवन सुखमय हो सके।

अष्टम अध्याय

हथकरघा क्षेत्र में औद्योगिक सम्बन्ध

१. संगठित क्षेत्र में श्रम विवाद और उनके कारण,

२. श्रम विवादों की अवधि तथा निपटारा

३. बुनकरों के संगठन-अदभुत विकास वर्तमान स्थिति

औद्योगिक सम्बन्धों की स्थिति –

'संकीर्ण अर्थ में औद्योगिक सम्बन्धों से आशय किसी औद्योगिक संगठन में सेवानियोजकों एवं कर्मचारियों के मध्य विद्यमान सम्बन्ध. से है। किन्तु विस्तृत अर्थ में औद्योगिक सम्बन्धों से आशय श्रम प्रबन्ध सम्बन्धों एवं संघ सम्बन्धों से हैं । यदि शीघ्र राष्ट्रीय विकास एवं सामाजिक न्याय से जुड़ते उद्देश्यों की पूर्ति करता हैं तो सेवायोजक एवं श्रमिकों के मध्य सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध होने चाहिए और ऐसे सम्बन्ध तब ही बन सकते हैं जबकि दोनों पक्ष एक दूसरे के प्रति अपने कर्तव्य को समझे। दुर्भाग्यवश विभिन्न कारणों को लेकर दोनों पक्षो के मध्य तनाव की स्थिति बनी रहती है। जो औद्योगिक वातावरण को दूषित किये रहते हैं। ऐसे वातावरण में उत्पादन व्यय बढ़ते है, श्रमिकों की आय में कमी आती है, जिससे श्रमिकों को भारी आर्थिक कठिनाई झेलनी पड़ती है। राष्ट्रीय आय में कमी होती है तथा राष्ट्र के आर्थिक विकास में बाधा पड़ती है। औद्योगिक सम्बन्धों को ठीक रखने की समस्या औद्योगिक संघर्षों से घनिष्ठ रुप से सम्बन्धित है।' [1]

श्रम विवाद एवं उसके कारण –

19वी शताब्दी के अन्तिम वर्षो मे औद्योगिक विकास के साथ ही साथ सेवायोजकों द्वारा श्रमिकों का शोषण हुआ तथा श्रमिकों की दशा बड़ी ही दयनीय हो गई। श्रमिक उस समय तक संगठित भी न हो पाये थे, जिससे कोई विशेष संघर्ष भी नहीं कर पायें ।

इग्लैण्ड में हुयी औद्योगिक क्रान्ति के पश्चात जब से मार्क्सवादी विचारधारा का जोर हुआ है तब से औद्योगिक समाज में निम्न दो वर्ग उत्पन्न हो गये हैं –

1. पूँजी पतियों का वर्ग
2. श्रमिकों का वर्ग

औद्योगिक झगड़े पूँजीवादी अर्थव्यवस्था की देन हे , इन संघर्षो के अनेक कारण है जिनमें से कुछ आर्थिक है , कुछ मनोवैज्ञानिक है , कुछ राजनैतिक है, कुछ सामाजिक है तथा कुछ प्रबन्धकीय हैं उदा0 के लिये कर्मचारियों का अपनी कार्य की दशाओं एवं जीवनयापन की दशाओं से संन्तुष्ट न होना, मजदूरी का अपर्याप्त होना, बोनस की मांग करना , कार्य के घंण्टो में कमी की मांग करना , आवास समस्या, कल्याण कार्यो की अपर्याप्तता आदि अनेक ऐसे कारण है तो औद्योगिक संघर्षो को जन्म देते है। इसके अतिरिक्त राजनैतिक हस्तक्षेप आदि भी इन संघर्षो को बढ़ाते है। स्वतन्त्रता के पश्चात औद्योगिक सम्बन्ध और भी खराब हुये। भारतवर्ष में सन् 1979 में सभी श्रमिकों ने 2829 संघर्ष किये।

भारत में औद्योगिक सघर्षो के कारण ? –

भारत में औद्योगिक संघर्षो के कारणों को निम्नलिखित तालिका द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है।

तालिका 8 (i)

कारण	1981	1985	1986
1. मजदूरी एवं भत्ते	28.1	22.5	21.9
2. बोनस	8.0	7.3	5.3
3. कार्मिक एवं छटनी	21.2	23.1	24.1
4. छुट्टी एवं कार्य के घण्टे	1.7	1.8	1.1
5. अनुशासनहीनता एवं हिंसा	9.4	16.1	16.1
6. अन्य	31.6	29.2	31.5
योग	100.0	100.0	100.0

स्त्रोत1– श्रम अर्थशास्त्र ,के0के0 रस्तोगी , पृष्ठ सं0 249

औद्योगिक संघर्ष के प्रमुख कारण निम्नांकित है –

1. आर्थिक कारण –

औद्योगिक संघर्ष के मूल कारणे में आर्थिक कारणों का स्थान प्रथम है। इन आर्थिक कारणों के अन्तर्गत निम्नलिखित घटकों का समावेश किया जा सकता है।

1. **मजदूरी** – औद्योगिक सघर्ष का मुख्य कारण कम तथा अपर्याप्त वेतन एवं मजदूरियों का होना है।

2. **मंहगाई भत्ता** – कर्मचारियों के जीवन निर्वाह की बढ़ती हुयी लागत ने उनकों अधिक मंहगाई भत्ते की मॉंग करने को मजबूर किया है।

3. **औद्योगिक लाभ** – बढ़ते हुये औद्योगिक लाभों ने इस सघर्षो को बढ़ावा दिया हैं आज कर्मचारी उद्योग के बढ़ते हुये लाभों को साहसी एवं समूहिक प्रयत्नों का परिणाम मनाते है। और स्वयं भी उद्योग के सक्रिय सांझेदार की हैसियत से इन लाभो में से उचित हिस्से की मांग करते है।

4 **कार्य के घण्टे** – कुछ औद्योगिक संघर्ष का कारण काम करने के अधिक घण्टे से है कार्य के बीच विश्राम नहीं दिया जाता है । वे आठ घण्टों से भी थोड़ा कम समय चाहते हैं। अतएव कार्य के घण्टो में कमी एवं विश्राम व्यवस्था आदि की मांगों ने इन संघर्षो को तीव्रता प्रदान की है।

5. **कार्य की दशायें** – कार्य की दशाओं का खराब होना, सुरक्षा के प्रावधानों का न होना , दोषपूर्ण यन्त्र , पर्याप्त दवा , पानी एवं स्थान का न होना स्वास्थ्यप्रद वातावरण आदि के अभाव ने उद्योगों को नरक की स्थिति में ला दिया है। परन्तु इनका प्रतिशत कम हो रहा है।

6. **विवेकीकरण** – विवेकीकरण की योजना कार्यशील होने से श्रमिकों की छँटनी होती हे और उनमें बेरोजगारी फैलती है।

7. **दोषपूर्ण भर्ती पद्धति** – ठेकेदारों द्वारा भर्ती प्रणाली ने श्रमिकों का शोषण किया हैं इसके अतिरिक्त पक्षपातपूर्ण नीति को अपनाया , पूर्ण प्रशिक्षण व्यवसाय का न होना आदि कुछ ऐसे कारण रहे हैं जिन्होने कर्मचारियों के असन्तोष को बढ़ाया है और औद्योगिक विवाद को बढ़ाने में योगदान दिया है।

8. **अन्य सुविधाओं की मांग** – अधिकांश औद्योगिक संघर्ष बहुत सारी सुविधाओं की मांग के कारण हुये। इन सुविधाओं में मकान , चिकित्सा , यातायात , फैशन आदि को सम्मिलित किया जा सकता है।

2. प्रबन्ध सम्बंधी कारण –

जब सेवायोजक श्रमिक के यथार्थ समुचित रुप से प्रबन्ध नहीं कर पाता तब ही सेवा नियोजक तथा श्रमिक के बीच संघर्ष होते है। इन कारणों में त्रुटिपूर्ण प्रबन्धकीय व्यवहारों एवं गलत श्रम नीतियों को सम्मिलित किया गया हैं इनका संक्षिप्त वर्णन निम्नांकित प्रकार है।

1. निरीक्षकों द्वारा दुव्यहार
2. श्रम संघों को मान्यता न देना।
3. स्वीकृत व्यवहार एवं अनुशासन सहिताओं का उल्लंघन।
4. समझौतो का उल्लंघन अयोग्य एवं दोषपूर्ण नेतृत्व

3. राजनैतिक कारण –

राजनैतिक कारणों ने भी औद्योगिक संघर्षो को प्रोत्साहन दिया हैं इनके अन्तर्गत उन कारणों का समावेश किया जाता है, जो देश की स्वतन्त्रता के लिये चलाये गये राष्ट्रीय आन्दोलन से सम्बन्धित रहे हैं। ब्रिटिश शासन काल में जब हमारे राष्ट्र नेता पकड़कर कारागार में डाल दिये गये तब उनकी सहानुभूति स्वरुप हमारे श्रमिकों ने हड़ताल की । आपातकालीन अवधि के बाद सन् 1977 में अनेक हड़ताले राजनीतिक कारणों से हुयी।

भारतीय श्रम संघवाद का विकास स्वयं श्रमिक नेताओं द्वारा नहीं अपितु राजनैतिक नेताओं द्वारा हुआ है। आज भी यह राजनैतिक नेता अपने राजनीतिक स्वार्थो की पूर्ति के लिये निर्बल कर्मचारियों एवं उनके संघो को अपना औजार बनाते हैं। इस स्थिति के कारण औद्योगिक संघर्षो की स्थिति काफी दयनीय हो चुकी है।

औद्योगिक विवादों अथवा संघर्षो की रोकथाम एवं निपटारे की व्यवस्था –

औद्योगिक विवाद देश के किसी एक वर्ग के लिये अहितकर नहीं है, वरन् इससे सम्पूर्ण देश अथवा समाज को क्षति पहुँचाती है। हमकों तो वास्तव में ऐसे प्रयास करने चाहिए जिससे कि संघर्षो की रोकथाम एवं निबटारे की व्यवस्था को दो भागों में बांटा जा सकता है।

क. औद्योगिक विवादों में रोकथाम की व्यवस्था –

बीमारी की रोकथाम को बीमारी के इलाज से ज्यादा आवश्यक एवं महत्वपूर्ण समझा गया है। औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने,कर्मचारियों की आर्थिक

स्थिति सुधारने और राष्ट्र को आर्थिक दृष्टि से समृद्धशाली बनाने हेतु औद्योगिक शान्ति का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है। औद्योगिक विवादों को निम्नांकित व्यवस्थाओं से रोका जा सकता है।

1. **मजदूरी मण्डल –**

सन् 1957 से ही भारत में मजदूरी मण्डलों की स्थापना का काम शुरु हुआ। मजदूरी मण्डल समानता के सिद्धान्त पर स्थापित किये जाते हैं। इनमें कुल 7 सदस्य होते हैं जिनमें से 2 कर्मचारियों के प्रतिनिधि, 2 सेवानियोजकों के प्रतिनिधि तथा 2 स्वतंत्र सदस्य होते हैं। मजदूरी मण्डल का एक सदस्य अध्यक्ष अर्थात चैयरमैन होता है। अब तक ऐसे लगभग 19 मजदूर मण्डल की स्थापना की जा चुकी है।

2. **लाभांश भगिता योजनाए –**

लाभ विभाजन एक ऐसी योजना है जिनके अनुसार लाभ का एक निश्चित प्रतिशत, निश्चित समयान्तर से साधारणतया वार्षिक अर्द्धवार्षिक , उस अवधि मे लगे हुये समस्त श्रमिकों को एक निश्चित अनुपात में बांटा जाता है।

3. **सामूहिक सौदेबाजी –**

सामूहिक सौदेबाजी कर्मचारियों के संगठनों एवं सेवानियोजकों के विद्यमान या भावी औद्योगिक मतभेदों को सामूहिक तौर पर बिना तीसरे पक्षकारों को सहयता के लिये ही निपटाने की एक व्यवस्था है। इसके माध्यम से सेवा नियोजक और कर्मचारी द्वारा कार्य की दशाओं एवं मजदूरी दरों का निर्धारण किया जाता है।

4. व्यापार मण्डल –

औद्योगिक विवाद की रोकथाम के लिये व्यापारमण्डल की विशेष भूमिका है। व्यापारमण्डल श्रमिकों तथा प्रबन्धकों के बीच अच्छे सम्बन्ध स्थापित करवाता है।

5 परिवेदना पद्धति –

परिवेदना पद्धति के द्वारा भी औद्योगिक विवाद की रोकथाम की जा सकती है। जिससे इसके द्वारा उत्पन्न कठिनाइयों से बचा जा सकता है एवं मधुर सम्बन्ध स्थापित होते हैं।

ख. औद्योगिक विवाद के निपटारे की व्यवस्था –

औद्योगिक संघर्ष के प्रभावों से स्पष्ट है कि इनका आर्थिक, सामाजिक तथा नैतिक प्रभाव पड़ता है। इन कुप्रभावों को देखने से पता चलता है कि मजदूरों के शस्त्रालय में अन्तिम शस्त्र नहीं होना चाहिए। सरकार का यह परम कर्तव्य हैं कि ऐसे समय में हड़ताल तथा तालाबन्दी को कानून द्वारा समाप्त कर दें।

औद्योगिक संघर्ष के परिणाम से स्पष्ट है कि औद्योगिक विवादों के निपटारे की व्यवस्था होनी चाहिए। जिससे औद्योगिक शॉन्ति स्थापित हो सके और देश का औद्योगिक विकास हो सके। औद्योगिक विवादों को रोकने तथा निबटाने के लिये भारत में निम्नांकित व्यवस्था विद्यमान है।

1. कार्य समितियाँ –

ये कार्य समितियों प्रत्येक ऐसे औद्योगिक प्रतिष्ठान में जहाँ 100 या इससे अधिक श्रमिक कार्य करते हैं। नियुक्ति की जाती है। यह द्विपक्षीय संस्था होती है। इनके सदस्यों को कुल संख्या 20 होती है।

2. श्रम कल्याण अधिकारी –

सन 1948 के कारखाना अधिनियम के आदेशानुसार प्रत्येक 500 य इससे अधिक श्रमिक वाले कारखानों में एक 'श्रम कल्याण अधिकारी' नियुक्त होना अनिवार्य है। ये अधिकारी औद्योगिक विवाद को रोकने तथा श्रमिकों को शिकायतों के आन्तरिक निवारण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं।

3. श्रम संघ –

एक स्वस्थ एवं सशक्त श्रम संघ औद्योगिक विवाद को रोकने व निपटारे में आन्तरिक व्यवस्था की सफलता के लिये दृणभका आधार काम देता हैं परन्तु कई कारणों से भारत में ऐसे श्रम सघों का विकास नहीं हो सका।

4. श्रम न्यायालय –

इन न्यायालयों को श्रमिकों को हटाने से सम्बन्धित उद्योगपतियो के आदेशों के औचित्य या अनौचित्य तथा हड़तालों की वैज्ञानिकता पर निर्णय देने का अधिकार हैं केन्द्रीय क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार के अलावा राज्यों में राज्य सरकारों ने भी श्रम न्यायालय स्थापित किये हैं।

5. पंच निर्णय –

औद्योगिक विवादों का निबटारा पंच निर्णय द्वारा किया जाता है। पंच निर्णय भी दो प्रकार का होता हैं अनिवार्य पंच निर्णय की व्यवस्था उन देशें में लागू होती है। जहां कर्मचारी अपने हितों की रक्षा करने में असमर्थ होते हैं। ऐसे कर्मचारी के विवादों को अनिवार्य रुप से पंच निर्णय के सामने रख

दिया जाता है तथा इस निर्णय को अनिवार्य रुप से दोनों पक्षों को मानना पड़ता है। इस निर्णय को मानना दोनों पक्षों की इच्छा पर निर्भर करता है।

राष्ट्रीय श्रम आयोग का सुझाव –

राष्ट्रीय श्रम आयोग ने सन् 1969 में भारत औद्योगिक सम्बन्धों पर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया । इस आयोग की अध्यक्षता डा0 पी0बी0 गजेन्द्र गड़कर ने की थी। इस आयोग ने औद्योगिक विवादों को रोकने एवं निपटाने के सम्बन्ध में कई महत्वपूर्ण सुझाव दिये। सुविधा की दृष्टि से उन्हे निम्नांकित भागों में बांटा जा सकता है।

1. औद्योगिक सम्बन्ध आयोगों की स्थापना –

केन्द्रीय सरकार को अपने क्षेत्र के उद्योगों के लिये एक राष्ट्रीय श्रम सम्बन्ध आयोग की स्थापना करनी चाहिए। यह आयोग राष्ट्रीय महत्व के उद्यागों में अथवा ऐसे उद्योगों में जिनमें एक से अधिक राज्य प्रभावित होते हों, होने वाले विवादों को सुलझायेगा।

2. औद्योगिक विवाद निवारण हेतु सुझाव –

आयोग की सम्पत्ति में औद्योगिक विवाद निवारण का सबसे अच्छा ढ़ंग दोनो पक्षकारों द्वारा अपने मतभेद एवं विवाद के बिन्दुओं पर बातचीत करना है।

3. हड़ताल/तालाबन्दी के सम्बन्ध में सुझाव –

उद्योगों की आवश्यक गैर आवश्यक श्रेणियो में विभक्त कर देना चाहिए। आवश्यक उद्योगों पर हड़ताल एवं तालाबन्दी पर पूर्ण रोकथाम लगा

देनी चाहिए तथा गैर आवश्यक उद्योगों में इसकी अवधि एक माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि हड़ताल एवं तालाबन्दी अवैधनिक घोषित कर दी जाये तो उक्त स्थिति में श्रमिकों को मजदूरी नहीं दी जानी चाहिए।

हथकरघा उद्योग मे मालिक एवं मजदूरों के संगठन –

आधुनिक युग में जीवन संघर्ष प्रत्येक क्षेत्र में अत्यधिक जटिल हो गया हैं श्रमिकों एवं पूँजीपतियों में श्रमिकों का पक्ष अपेक्षाकृत कम शक्तिशाली होने से श्रमिकों का सदैव पूँजीपतियों द्वारा शोषण होता हैं श्रमिकों की इस निर्बलता के कारण ही उनमें संगठन की आवश्यकता सरल शब्दो में श्रमिक संघ मजदूरी एवं वेतन अर्जित करने वालों का वह ऐच्छिक सतत संगठन हैं जो उनकी कार्य की दशाओं के नियमन अधिकारों के संरक्षण,हितों के सर्वद्धन एवं उद्योग तथा समाज में उत्तम स्थान दिलाने हेतु निर्मित किया जाता है।

अतः उद्योग में श्रम संघ की स्थापना करना ही उद्देश्य नहीं है बल्कि संघ के सिद्धान्तो का पालन करना सभी सदस्यों का कर्तव्य है। फिर भी हमारे देश में श्रम संघ अपनी शैशवस्था में ही है। श्रम नेता तथा भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री वी.वी.गिरि ने भी स्पष्ट कहा है कि भारत में श्रम संघ आन्दोलन अभी अपनी प्रारम्भिक अवस्था में है।

अतः जब तक भारत के बड़े उद्योगों में श्रम संघों का विकास पूर्ण रुप से नहीं हो सका है। तब तक कुटीर उद्योगों में इसका विकास न होना स्वाभाविक बात हैं फिर भी श्रमिकों की समस्याओं को हल करने के लिए एवं कल्याण कार्य के लिये एक ठोस श्रम संघ की स्थापना अपेक्षित है।

श्रमिकों संघों के उद्देश्य –

साधाणतया किसी भी श्रमसंघ के निम्नांकित उद्देश्य होते हैं –

1. श्रमिकों को उचित मजदूरी, मंहगाई भत्ता, बोनस आदि उपलब्ध कराना।
2. सेवा दशाओं में सुधार करना और सेवा अवधि को सुरक्षित करना।
3. कार्य करने की दशाओं तथा आवास व्यवस्था में सुधार करना।
4. प्रशिक्षण एवं पदोन्नति के अवसरों का विस्तार करना।
5. श्रमिकों में सामान्य ज्ञान और समझदारी बढ़ाकर तकनीकी उन्नति के विकास में सुविधा प्रदान करना।
6. श्रमिकों एवं मालिकों के बीच मेत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करना।
7. आंकड़े एकत्रित करना।
8. उद्योग तथा समाज के प्रति समाज में उत्तरदायित्व की भावना जागृत करना।
9. श्रमिकों के लिये सांस्कृतिक मनोरंजन एवं शैक्षणिक सुविधाओं की व्यवस्था करना।
10. उत्पादकता, अनुशासन उच्च स्तरीय उत्पादन की वृद्धि के लिये सहयोग।
11. विभिन्न स्तरों पर नीति निर्धारण में सक्रिय भाग लेकर समाज की सामाजिक तथा आर्थिक नीतियों को प्रभावित करना।
12. राष्ट्रीय एकीकरण को प्रोत्साहित करना।
13. वैद्यानिक सलाह देना।
14. एकता की भावना का निर्माण करना।

15. औद्योगिक शाँन्ति स्थापित करना।

श्रमिक संघों के राजनीतिक दलों से भी सम्बन्ध स्थापित हो जाते है। श्रम संघों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य श्रमिकों की शक्ति को संगठित करना है ताकि वे अपने हितों के लिये उद्योगपतियों से बातचीत कर सके।

श्रमिक संघों के कार्य –

ब्राउटन के अनुसार:-श्रमिक संघों द्वारा किये जाने वाले कार्यो को निम्नलिखित तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है।

1 **आन्तरिक कार्य –**

श्रमिक संघौं के ये कार्य जो कि कर्मचारियों की कार्य की दशाओं को अच्छा बनाने में सम्बन्ध रखते हैं और औद्योगिक संस्थाओं के भीतर किये जाते हैं, उन्हे आन्तरिक कार्य कहा जाता है।

2 **बाहरी कार्य –**

श्रमिक संघों के वे कार्य जो कि कर्मचारियों को उनकी कार्यक्षमता को बनाये रखने एवं उसे ऊँचा उठाने में सहायता पहुँचाते हैं। बाहरी कार्य कहलाते हैं।

3. **राजनैतिक कार्य –**

श्रमिक संघों के वे कार्य जिनके जरिये श्रमिक एक श्रम दल का संगठन करके या अन्य राजनैतिक दलों का संरक्षण प्राप्त करके चुनाव लड़ते हैं और देश की शासन व्यवस्था में भाग लेते है, राजनीतिक कार्य कहलाते हैं।

श्रमिक संघों के विकास में बाधायें –

भारतीय श्रम संघ आन्दोलन के इतिहास के अध्ययन से यह स्पष्ट पता लगता है कि कुछ उन्नतिशील पाश्चात्‍ देशों का अपेक्षा हमारे यहाँ आन्दोलन की गति उतनी तेज नहीं रही जितनी की होनी चाहिए । सच बात तो यह है कि भारतीय श्रम संघ आन्दोलन के तीन विकास में प्रारम्भ से ही अनेक कठिनाइयों व बाधायें रही हैं। इन बाधाओं को हम दो शीर्षकों के अन्तर्गत अध्ययनकर सकते हैं।

1. **आन्तरिक बाधायें –**

आन्तरिक बाधाओं के अन्तर्गत हम प्रायः निम्नलिखित घटकों का समावेश कर सकते हैं –

1. शिक्षा का निम्न स्तर
2. धन की कमी
3. श्रमिक वर्ग की विभिन्नता
4. श्रमिकों की प्रवासी प्रवृत्ति
5. श्रमिको में नेतृत्व में कमी
6. श्रम संघों में संयुक्त प्रवर्तन व एकता का अभाव
7. पारस्परिक सहयोग एवं कल्याणकारी कार्यो की भली प्रकार से न समझना।
8. निम्न जीवन स्तर तथा काम करने की असन्तोषजनक दशायें।
9. श्रम नेताओं के प्रति द्वेष

10. श्रमिकों में अनुशासनहीनता

11. सीमित प्रतिनिधित्व

12. श्रम संघों की बहुलता

13. बेरोजगारी

14. विषम विकास, आदि।

2. बाहरी बाधायें –

बाहरी बाधाओं के अन्तर्गत हम प्रायः निम्नलिखित घटकों का समावेश कर सकते हैं –

1. मध्यस्थों का विरोध

2. नियोक्ताओं का असहानुभूतिपूर्ण व्यवहार

3. सरकार का दृष्टिकोण , आदि

श्रमिक संघों की बाधाओं को दूर करने के सुझाव –

श्रमिकों के हितों की रक्षा करने तथा उत्पादक के लक्ष्य को पूरा करने के लिये दृढ़ श्रम संघ आन्दोलन नितान्त आवश्यक है। आधुनिक श्रम संघवाद को दूर करने के लिये हमारे निम्नांकित सुझाव है।

1. एकता पैदा करना।

2. राजनीतिक दलों से आन्दोलन को स्वतंत्र रखना।

3. जाति भेद को दूर करना।

4. एक उद्योग में एक संगठन

5. लाभ कोषों की स्थापना

6. हड़ताल कोषों की स्थापना

7. वित्त व्यवस्था

8. शत प्रतिशत सदस्यता होनी चाहिए।

9. वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति

10. तन्त्रिक विशेषज्ञों की नियुक्ति

11. श्रमिकों को उत्तरदायित्व की भावना भरना।

12. कार्य धीरे करने की प्रवत्ति को रोकना।

13. औद्योगिक प्रबन्ध में श्रम संघ के प्रतिनिधियों को भाग लेने की सुविधा देना।

14. जनमत का समर्थन

15. उचित नेतृत्व

16. श्रम संघों के कार्यो की उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था।

17. श्रम पत्रिका

सेवायोजकों के संगठनों का विकास विस्तार –

भारत में अन्य राष्ट्रो की भाँति व्यवसाय तथा उद्योग सम्बन्ध क्षेत्रों में एक सी नीतियाँ , पद्धतियां एवं दृष्टिकोण को जहां तक सम्भव हो अपने हेतु मलिकों ने भी अपने संगठन क्षेत्रीय, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किये है। इन संगठनो को प्रारम्भिक एवं प्रचलित रुप चेम्बर ऑफ कॉमर्स तथा उद्योग व व्यापार पार्षदों के रुप में विकसित हुआ है। बढ़ता हुआ श्रम संघ

आन्दोलन सेवा नियोजकों के लिए एक खतरा ही बना रहा और उनकी अधिक शक्तिशाली केन्द्रीय स्तरीय तथा व्यापक प्रभाव वाले सेवायोजकों संगठनों की स्थापना की आवश्यकता होने लगी ताकि वे श्रम संघों के साथ स्थायी समझौते कर सके।

वर्तमान में , राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख सेवा–नियोजक–संगठनों में निम्नलिखित सम्मिलित किया जा सकता है –

1. एम्प्लायर्स फेडरेशन ऑफ इण्डिया (ई.एफ.आई.)
2. ऑल इण्डिया आगनाइजेशन आफ इण्डस्ट्रियल एमप्लायर्स (ए.आई.ओ.ई)
3. ऑल इण्डिया मैन्यूफैक्चर्स आर्गेनाइजेशन (ए.आई.एम.ओ.)

प्रथम दो संगठनोंने काउन्सिल ऑफ इण्डिया एमप्लायर्स (आई.ओ.ई.) का निर्माण किया है जो कि सेवायोजकों के अन्तर्राष्ट्रीय संगठन (आई.ओ.ई.) से सम्बद्ध है। यह काउन्सिल अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आई.एल.ओ.) में भी अपना प्रतिनिधि नामजद करती है।

देश में एक द्विपाक्षीय संगठन की स्थापित किया जाता हैं जिसे ज्वाइन्ट कान्सलटेटिव बोर्ड ऑफ इण्डस्ट्री एवं लेवर के नाम से जाना जाता हैं यह बोर्ड आयोजना मन्त्री के समापतित्व में श्रम प्रबन्ध सम्बन्धों से सम्बद्ध जटिल समस्याओं का समाधान करता है।

सेवा नियोजकों के संगठनों के विकास – विस्तार को देखकर बहुधा यह आंशका प्रकट की जाती हैं कि इन संगठनों का विकास श्रम संघ आन्दोलन के विस्तार एवं औद्योगिक जनतंत्र की स्थापना में बाधा डाल सकता हैं वस्तुतः यह निर्मूल आशंका और धन है। आवश्यकता तो इस बात की है कि एक पारस्परिक सद्भावपूर्ण हितकारी दृष्टिकोण एवं सहकारी

भावना पैदा की जाये। ऐसा होने पर ही इन सगठनों की विद्यमानता के औचित्य का मूल्यांकन हम सही तौर पर वास्तविक अर्थो में कर सकेगें।

मालिक एवं मजदूरों के मध्य समान पारस्परिक सम्बन्धों का विश्लेषण –

समस्त उन्नतिशील औद्योगिक राष्ट्रो में जहॉं समागम, साहचर्य एवं संगठन की स्वतन्त्रता एक वास्तविकता है, वहीं सामूहिक सौदेवाजी को एक महत्वपूर्ण व्यवस्था माना गया हैं वास्तव में सामूहिक सौदेबाजी एक पद्धति है।, जिसके माध्यम से सेवा नियेाजक और कर्मचारी द्वारा कार्य की दशाओं एवं मजदूरी दरें का निर्धारण किया जाता हैं जिससे कर्मचारियों केहितों एवं सेवायोजकों के हितों को संरक्षण प्राप्त होता है।

मालिक एवं मजदूरों के मध्य पारस्परिक सम्बन्धों को अच्छा बनाने के लिये सामूहिक सौदेबाजी की स्थापना की गयी। सामूहिक सौदेबाजी का प्रचलन औद्योगिक जगत में सामान्य हो गया हैं । भरत में सामूहिक सौदेबाजी एक नवीन विचार हैं किन्तु यह बिचार भारतीय हाथकरघा उद्योग में अधिक सफलता प्राप्त न कर सकी। वर्तमान समभ में हथकरघा उद्योग के विकास एवं श्रमिकों की संख्या में अधिक वृद्धि के फलस्वरुप सामूहिक सौदेबाजी को सफलता मिल रही हैं यह सौदेबाजी की व्यवस्था भारत में श्रम प्रबंध सम्बन्धों एक आवश्यक अंग बन गयी है।

सामूहिक सौदेबाजी का क्षेत्र –

सामूहिक सौदेबाजी का क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है। भारतीय सन्दर्भ में सामूहिक सौदेबाजी के क्षेत्र में सम्मिलित की जाने वाली मदों में निम्नांकित मुख्य हैं ।

1. कर्मचारी संघ की स्थापना
2. कार्य के घण्टे , अवकाश और त्यौहार की छुट्टी के दिन।
3. मजदूरी एवं भत्ते
4. वरिष्ठता
5. बोनस एवं लाभांश–भागिता योजनायें
6. प्रमाणिक श्रम शक्ति के स्थिरीकरण या स्थिरता सम्बन्धी मामलें
7. विवेकीकरण एवं कार्यभार स्थिरीकरण या स्थिरता सम्बन्धी मामलें
8. छंटनी एंव ले–ऑफ से सम्बन्धित मामलें।
9. कर्मचारियों को प्रभावित करने वाले नियोजन का विकास कार्यक्रम
10. जीवन सुरक्षा निधि, सेवोपहार एवं अन्य अवकाश प्राप्त लाभ योजनायें।
11. परिवेदना पद्धति
12. अनुशासन एवं अनुशासन संहिता
13. प्रेरणा – योजनायें।
14. कार्य की दशायें , सुरक्षा एवं दुर्घटना की रोकथाम हेतु मामलें
15. व्यावसायिक रोग एवं संरक्षणात्मक वस्त्र ।
16. भवन एवं यातायात सुविधायें।
17. कर्मचारी सुविधायें जैसे – विश्राम कक्ष, चिकित्सा सेवा, शिशुगृह आदि।
18. कर्मचारियों की आर्थिक सहायता हेतु ऋण समितियों तथा साख समितियाँ
19. शैक्षणिक प्रशिक्षण सम्बन्धी एवं मनोरंजन सुवधाये आदि।

भारत में सामूहिक सौदेबाजी की प्रगति अधिक नहीं हुयी हैं इसके प्रमुख कारण निम्नांकित है –

1. यहाँ के औद्योगिक विवाद अधिनियम में सामूहिक सौदेबाजी की कोई महत्व नहीं दिया गया है।
2. भारत के उद्योगपतियों ने सामूहिक सौदे में अपनी कोई रुचि नहीं दिखलायी ।
3. यही पर अशिक्षा, निर्धनता तथा विभाजनों के कारण से श्रमिक संघ शक्तिशाली नहीं हो सके हैं।
4. भारत के बहुत से श्रम संघों को मान्यता प्राप्त नहीं हुयी है। जिससे श्रमसंघ का उचित विकास नहीं हो पाया है और सामूहिक सौदेबाजी की अधिक प्रगति नहीं हो पायी है।

उपयुक्त वर्णन से स्पष्ट है कि भारत में सामूहिक सौदेबाजी के अनुबन्धों में पर्याप्त लोच हैं आज श्रम संघ एवं प्रबन्ध दोनों ही बाहुल्य हस्तक्षेत्र के विरोध में हैं और अपने विवादों को सामूहिक सौदेबाजी के माध्यम से निपटाना चाहते हैं। भारत [illegible] मुकदमेंबाजी एवं शक्ति परीक्ष्ण की न्याय प्रणाली पर लम्बे समय तक आश्रित नहीं रह सकता है। उसका कल्याण तो शीघ्र स्वैच्छिक समझौते में निहित है ताकि उत्पादकता में कमी न आ सके। देश की औद्योगिक शान्ति स्थापित होगी तथा हथकरघा उद्योग के सेवायोजकों और श्रमिकों में मधुर सम्बन्ध स्थापित होगी।

नवम अध्याय

श्रम कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा

१. हथकरधा उद्योग में विभिन्न श्रम अधिनियम कारखाना अधि० १९४८, मजदूरी भुगतान अधिनियम १९३६

२. उद्योग में किए गये श्रम कल्याण

३. सामाजिक सुरक्षा से सम्बन्धित अधिनियमों का प्रतिवादन,

४. श्रम कल्याण तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यो का श्रमिकों पर प्रभाव

श्रम कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा

श्रम कल्याण शब्द का प्रयोग परिस्थितियों तथा आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विभिन्न अर्थो में किया जाता है। विस्तार रूप में इसके अन्तर्गत ऐसी सभी बातों का समावेश होता है जोकि श्रमिकों के स्वास्थ्य सुरक्षा आराम तथा सामान्य कल्याण को प्रभावित करने वाली है और जिससे शिक्षा मनोंरजन तथा स्वास्थ्य प्रद गृहों का प्रावधान होता हैं। सामान्यता श्रम कल्याण उन क्रियाओं को कहत्ते हैं जिनसे किसी उद्योग के आस–पास अथवा उद्योग के क्षेत्र मे एवं स्वास्थ्य कर वातावरण में काम करते हुए श्रमिक अपने स्वास्थ्य तथा नैतिक स्तर को अच्छा रख सके। श्रम कल्याण कार्य का महत्व होते हुए भी यह भारतीय उद्योगो के अभी प्रारम्भिक अवस्था में हैं। हथकरघा उद्योग मैं भी इसका श्री गणेश हुआ है। भारत मैं सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता के बारे मे जो कुछ भी कहा जाय, कम ही होगा भारतीय श्रमिकों की दशा अत्यन्त शोचनीय है। इसलिए श्रमिकों के कल्याण हेतु सामाजिक सुरक्षा की भी व्यवस्था होनी चाहिये । इस कार्य मै नियोक्ता सरकार तथा श्रम संघों का सहयोग अपेक्षित है। इसके अन्तर्गत आवास, स्वास्थ्य , शिक्षा, मनोरंजन, विश्राम की सुविधायें परिश्रमिक सहित छुट्टियाँ, सामाजिक बीमा, प्रसूति लाभ योजनाएँ, प्रॉवीडेन्ट फण्ड तथा आदि को सम्मिलित करते हैं। श्रमिकों द्वारा कल्याण कोष की स्थापना होनी चाहिये जिससे श्रमिकों की आर्थिक सहायता प्रदान की जा सके। श्रमिकों के लिए शिक्षा , प्रशिक्षण तथा औषधियों की व्यवस्था का भार केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा वहन करना चाहिये। यह कार्य अन्य वर्गो द्वारा नहीं हो सकता।

हथकरघा उद्योग में विविध श्रम अधिनियमों का परिपालन :-

हथकरघा उद्योग मै अनेक श्रम अधिनियमों का परिपालन हो रहा हैं। प्रमुख अधिनियमों को , निम्नांकित प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता हैं।

कारखाना अधिनियम 1948 :-

भारतीय कारखाना अधिनियम 1948 स्वतन्त्रता के बाद पारित एक प्रमुख श्रम विधान है। धारा 1 से 20 तक विभिन्न प्रावधानों की विस्तृत व्याख्या की गयी है जो श्रमिकों उद्योग और उद्योगपतियॉ के हितो की रक्षा के लिये बनाये गये है।

यह अधिनियम सारे भारत पर (जम्मू एवं कश्मीर को छोड़कर) लागू होता हैं। 1970 के संशोधन पर यह जम्मू और कश्मीर पर भी लागू कर दिया गया। जहाँ निर्माण प्रक्रिया शक्ति की सहायता से होती है वहां 10या अधिक श्रमिक और जहाँ बिना शक्ति की सहायता के निर्माण प्रक्रिया होती है। वहाँ 20या अधिक श्रमिक नियुक्तहोने पर यह अधिनियम लागू हो जाता है। कारखाने की स्थापना के पूर्व उसके प्लान तथा ले आऊट प्रस्तुत करना अनिवार्य है। 500या इससे अधिक श्रमिकों वाले उद्योगों में श्रम कल्याण अधिकारी की नियुक्ति अनिवार्य कर दी गयी है।

कारखाने में कार्यरत श्रमिकों को किसी प्रकार की दुर्घटना , चोट रोग आदि का सामना न करना पड़े । इसके लिये सुरक्षा सम्बन्धी व्यापक व्यवस्था इस अधिनियम में की गयी है। श्रमिकों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिये पर्याप्त प्रावधान बनाये गये हैं। श्रमिकों के कल्याणार्थ अनेक बातों की व्यवस्था की गयी है। श्रमिकोंके उपयोग के लिये नहाने धोने की सुविधा वस्तु रखने व सुखाने की व्यवस्था प्राथमिक उपचार के उपकरण आदि प्रावधानों का समावेश इस अधिनियम में किया गया है। स्त्री श्रमिकों को 12 सप्ताह का प्रसूति

अवकाश दिया जाये। किसी श्रमिक से सामान्यता प्रति सप्ताह 4—8 घण्टे और प्रतिदिन 9 घण्टे से अधिक काम न लिया जाये। लगातार 5 घंटे काम के बाद 1/2 घटे का विश्राम मध्यान्तर देना आवश्यक है। श्रमिकों को मजदूरी सहित वार्षिक अवकाश प्रदान करने की व्यवस्था की गयी है। मजदूरी सहित वार्षिक अवकाश प्रदान करने की व्यवस्था की गयी है। मजदूरी सहित वार्षिक अवकाश के लिये आवश्यक है कि श्रमिक कैलेण्डर वर्ष में 240 दिन या अधिक दिन काम किया हो।

यदि इस अधिनियम के प्रावधानों का परिपालन नहीं किया जाता है तो उल्लंघन के लिये पर्याप्त दण्ड की व्यवस्था की गयी है। जुर्माना अथवा सजा या दोनों की एक साथ व्यवस्था है।

मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 –

श्रमिकों की कार्यकुशलता पर ही उत्पादन की किस्म व मात्रा निर्भर करती है। कार्यकुशलता बहुत कुछ श्रमिकों को दी जाने वाली मजदूरी पर निर्भर करती है। मजदूरी भुगतान के सम्बन्ध में कोई विशेष विधान न होने से नियोक्ता हाथ श्रमिकों को कम मजदूरी का भुगतान करना, विलम्ब से भुगतान करना तथा अनेक प्रकार की कटौतियाँ व जर्माना करना एक साधारण बात थी। पर्याप्त मजदूरी का भुगतान न करना एक ऐसी समस्या है जो औद्योगिक अशान्ति को जन्म देती है। विभिन्न उद्योगों में मजदूरी व भुगतान की अविधियों में एक रुपता नहीं थी।

उपर्युक्त सभी बातों को ध्यान मे रखकर राजकीय श्रम आयोग ने भी मजदूरी भुगतान के सम्बन्ध में विधान बनाने की सिफारिश की जिसमें मजदूरी के तुरन्त भुगतान कटौती के नियमन तथा मजदूरी अवधि को छोटा करने पर बल दिया गया। उक्त सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये फरवरी 1933

में भारत सरकार ने विधान सभा में मजदूरी भुगतान बिल पेश किया । यह बिल 1936 में पास हो गया। जिसे मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 कहा जाता है। यह अधिनियम जम्मू और कश्मीर सारे भारत पर लागू होता है।

यद्यपि अधिकांश बड़ी बड़ी औद्योगिक संस्थाओं द्वारा मजदूरी के भुगतान सम्बन्धी अधिनियम के उपबन्धों का विधिवत पालन किया जाता है प्रायः देखा जाता है कि कटौती, मजदूरी की समयानुसार अदायगी लाभांश मँहगाई भत्ता आदि से सम्बन्धित अधिनियमों के प्रावधानों का परिपालन भली प्रकार नहीं किया जाता और न रजिस्टर ही रखे जाते हैं।

हथकरघा उद्योग में अन्य उद्योगों की अपेक्षा बहुत ही कम मजदूरी दी जाती है। कम मजदूरी से वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नही कर पाते हैं, जिससे उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है। उनका जीवन स्तर निम्न रहता हैं तथा उनकी कार्यक्षमता कम हो जाती है। इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि इस उद्योग में न्यूनतम मजदूरी निश्चित की जाये। जिससे वह अपना सुखमय जीवन व्यतीत कर सके तथा स्वच्छ वातावरण में रहकर समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त कर सके।

उद्योग में किये गये श्रम कल्याण कार्य –

श्रमिकों के शारीरिक , नैतिक, सामाजिक तथा आर्थिक उत्थान के लिये श्रम कल्याण आवश्यक है। कार्यक्षमता तथा श्रम कल्याण में प्रत्यक्ष सम्बन्ध है। इससे औद्योगिक शान्ति का वातावरण बनता है। श्रमिक यह विचार करने लगता है कि सरकार एवं नियोक्तागण उसकों सुखी बनाने के लिये प्रयत्नशील और वे उन सुविधाओं को प्रदान करने के लिये कार्य करते हैं जो सामान्यतः श्रमिक अपनी अल्प आय में पूरा नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार श्रमिक व नियोक्ता के बीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित होते हैं। श्रम कल्याण

कार्यो से श्रमिकों के स्वास्थ्य में सुधार होता है। उनकी कार्य क्षमता तथा उत्पादकता में वृद्धि होती है।

औद्योगिक श्रमिकों को उचित सुविधायें प्रदान करने की आवश्यकता का समय समय पर समान रुप से अनुभव किया गया है। श्रमिकों सेवायोजकों तथा श्रम संगठनों ने श्रमिकों और उनके परिवारों को स्वास्थ्य प्रद एवं अनुकूल वातावरण प्रदान करने के कार्य किये हैं। जैसे – चिकित्सा, आवास मनोरंजन, जलपानगृह,शिक्षा, प्रशिक्षण सस्ते मूल्य की दुकानें खोलना आदि। लगभग प्रत्येक प्रादेशिक सरकार ने कल्याण सम्बन्धी कार्यो के लिये औद्योगिक क्षेत्रों में कल्याण कैन्द्र खोले रखे हैं। श्रम कल्याण का प्रयोंग विभिन्न अर्थो में किया जा सकता है। प्रत्येक राष्ट्र को श्रम कल्याण क्रियाओं को श्रमिकों की शिक्षा और सामाजिक रीति रिवाजों के अनुरुप संयोजित करना चाहिए।

बोनस भुगतान अधिनियम 1965 :– बोनस के औचित्य पर विचार करने के उद्देश्य से मार्च 1960 में स्थायी श्रम समिति ने एक बोनस आयोग की स्थापना की सिफारिश की थी। दिसम्बर 1961 में श्री एम.आर. मिहिर की अध्यक्षता में बोनस आयोग की नियुक्ति की गयी जिसने अपनी रिपोर्ट 1964 में पेश की स्वीकार करके बोनस भुगतान भारत सरकार ने अपनी रिपोर्ट को स्वीकार करके बोनस भुगतान अधिनियम 1965 बनाया जो 29 मई 1965 से लागू हुआ।

यह अधिनियम उन सम्पूर्ण कारखानों व संस्थानों पर लागू होता है, जिसमें 20 या इससे अधिक श्रमिक कार्य करते है। यह अधिनियम सार्वजनिक क्षेत्र के उन संस्थानो पर लागू होता है जो विभाग द्वारा नहीं चलाये जाते तथा निजी क्षेत्र के संस्थानों से स्पर्धा करते हैं। बोनस केवल उन कर्मचारियों को दिया जायेगा जिनका वेतन या मजदूरी 1600 रूपये मासिक तक है तथा जो वर्ष भर सभी कार्य दिनों में कार्य करते हैं। यदि कर्मचारी को जालसाजी,

हिंसक व्यवहार, चोरी या तोड़फोड़ के कारण पद से अलग कर दिया गया हो तो उसे बोनस के आयोग्य समझा जायेगा।

इस अधिनियम के अन्तर्गत भारतीय श्रमिकों को एक वर्ष में मजदूरी का 4 प्रतिशत बोनस के रूप में देना पड़ेगा चाहे सेवायोजक को लाभ हो अथवा हानि। परन्तु जनता सरकार ने 8.33 प्रतिशत बोनस का भुगतान अनिवार्य कर दिया है। बोनस की अधिकतम दर 20 प्रतिशत होगी। बोनस का भुगतान हिसाब का वर्ष समाप्त होने पर आठ माह के भीतर दिया जायेगा, यह अवधि सरकार द्वारा बढ़ाई जा सकती है। अधिनियम के आदेशो को विधिवत पालन करने के लिये निरीक्षकों की नियुक्ति की भी व्यवस्था है तथा उल्लंधन की दशा में 6 माह का कारावास या 1000 रूपये अर्थदण्ड या दोनो किये जा सकते है।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णयानुसार :- इसमें कोई सन्देह नही कि आधुनिक समय में 'बोनस' को स्पष्ट रूप में एक ऐसी स्थगित मजदूरी समझा जाता है। जो श्रमिको को अदा की जाती है तथा श्रमिको द्वारा रोजगार की शर्तो के अनुसार अपने अधिकार के रूप में माँगी जा सकती है। जिन परिस्थितियों के अन्तर्गत वर्तमान उधोग कार्य करते है, उनमें बोनस श्रमजीवियों का एक वैधानिक अधिकार समझा जाने लगा है, जिसमें कि वे कुछ परिस्थितियो में मालिको के दावे के रूप में माँग सकते है।

हथकरधा उधोग में कार्यरत श्रमिको को मजदूरी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाती है तब वहाँ पर बोनस मिलना एक स्वप्न की तरह है। वैसे सरकार ने इस ओर ध्यान दिया है। लेकिन खेद के साथ कहना पड़ता है कि झाँसी मण्डल के हथकरधा उधोग के बुनकरो को इस सुविधा से वंचित रहना पड़ता है।

भारत में श्रम कल्याण कार्य –

भारत में अभी तक जितना भी श्रम कल्याण कार्य किया गया है। उसका श्रेय मुख्यतः निम्नलिखित संस्थाओं को है :–

1. केन्द्रीय सरकार द्वारा श्रम कल्याण कार्य –

केन्द्रीय सरकार ने द्वितीय महायुद्ध के पश्चात ही श्रम कल्याण के कार्यो में भाग लेना प्रारम्भ कर दिया है। यह कार्य मुख्य रुप से वैद्यानिक अनिवार्यता से सम्बन्धित है। भारत सरकार ने एक ऐसी योजना भी प्रारम्भ की है जिसके अनुसार श्रमिकों की काम करने की दशाओं का सर्वेक्षण किया जायेगा। इसका उद्देश्य भी सही स्थिति की जानकारी करके कल्याण कार्य की व्यवस्था करना है।

2. राज्य सरकार द्वारा श्रम कल्याण कार्य –

केन्द्रीय सरकार के अतिरिक्त राज्य सरकार ने भी श्रमिकों के कल्याण के लिये सराहनीय कार्य किये है। इसमें व्यायामशाला, स्त्री पुरुषों के लिये पृथक , स्नानगृह, बच्चों के खेलों का प्रबन्ध, मूत्रालय, शौचालय, वाचनालय , नाटक संगीत, स्कूल तथा डाक्टरी सुविधाओं की भी व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त श्रम कार्यकर्ताओं को शिक्षा देने और नागरिकता की शिक्षा के भी स्कूल खोले गये हैं।

3. उद्योगपतियों द्वारा श्रम कल्याण कार्य –

अतीत में भारतीय उद्योगपति श्रम कल्याण कार्यो के प्रति उदासीन रहे है। इसका कारण यह है कि वे बहुत समय तक श्रम कल्याण कार्यो को अनार्थिक विनियोग समझते रहे , वे श्रमिकों का अधिक से अधिक शोषण

करना चाहते थे। आशा है कि नियोक्ताओं द्वारा इस तरफ आवश्यक ध्यान दिया जायेगा।

4. श्रमिक संघो द्वारा श्रम कल्याण कार्य –

भारतीय श्रम संघों की शक्ति अभी तक अधिकाशतः अपने वेतन तथा काम करने की दशाओं के सम्बन्ध में उद्योगपतियों से संघर्ष करने में लगी रही, अतः कल्याण कार्य की दशा में रचनात्मक कार्य करने के लिये उन्हे कम सुअवसर मिला। यही नही दयनीय आर्थिक परिस्थितियों के कारण भी वे इस दिशा में कुछ करने में असमर्थ रहे। हथकरघा उद्योग के श्रम संघ अपनी सीमित आय होने के कारण कोई भी श्रम कल्याण सम्बन्धी कार्य नहीं कर पाये हैं। यह बुनकर श्रमिकों के लिये बड़ी दुखत बात है।

सामाजिक सुरक्षा –

सामाजिक सुरक्षा से तात्पर्य उस सुरक्षा से है जिसके अन्तर्गत उपयुक्त संगठन के माध्यम से समाज अपने सदस्यों की विभिन्न प्रकार की जोखिमों से रक्षा करता है। ये जोखिम प्राकृतिक (जैसे मृत्यु या बीमारी), सामाजिक (जैसे दोषपूर्ण आवास व्यवस्था), व्यक्तिगत (जैसे कार्यक्षमता का कम होना) तथा वित्तीय (जैसे कम मजदूरी व बेरोजगारी) कारणों से उत्पन्न हो सकती है। भारत में सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता के बारे में जो कुछ भी कहा जाये, कम ही होगा।

भारतीय हथकरघा उद्योग के श्रमिकों की दशा अत्यन्त शोचनीय है। बेकारी, भुखमरी, अज्ञानता, दरिद्रता और विभिन्न प्रकार की बीमारियों का बोलवाला है। हथकरघा उद्योग का श्रमिक अकुशल कहलाता है क्योंकि उसकी न्यूनतम आवश्यकतायें भी पूरी नहीं हो पातीं, यदि हम चाहते है कि भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो , राष्ट्र प्रगति करें और हथकरघा

उद्योग के श्रमिकों की अकुशलता दूर हो, तो देश में सामाजिक सुरक्षा का विकास किया जाना परम आवश्यक है।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार –

"सामाजिक सुरक्षा वह सुरक्षा है जो कि समाज के किसी उचित संगठन के द्वारा सदस्यों को किन्ही खतरों में प्रदान की जाती है, जो खतरे उन पर कभी भी आक्रमण कर सकते हैं। सुरक्षा, गुण तथा परिणाम में सन्तोषजनक भी होनी चाहिए"।

भारत का प्राचीन इतिहास इस बात का साक्षी है कि प्राचीन भारत में सामाजिक सुरक्षा जैसी महत्वपूर्ण एवं पुनीत व्यवस्था प्रचलित थी। ऋग्वेद एवं उपनिषद ऐसे व्यवसायिक संघों का उल्लेख करते हैं जो व्यवसाय में कार्य करने वाले श्रमिकों को सुरक्षा प्रदान करते थे। मनुस्मृति , नारद स्मृति , शुकनीति एवं कौटिल्य के अर्थशास्त्र जैसे प्राचीन तथा प्रमाणिक ग्रन्थों में भी इस बात का उल्लेख प्राप्त होता है कि सामान्यतः सभी लोगों एवं विशेषतः श्रमिकों के लिये सुरक्षा की उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था की जाती थी। किन्तु आधुनिक भारत में सामाजिक सुरक्षा जैसी व्यवस्था का श्री गणेश व्यापक पैमाने पर वर्तमान शताब्दी में ही हो सकता है।

सामाजिक सुरक्षा से सम्बन्धित अधिनियमों का परिपालन –

भारतीय हथकरघा उद्योग में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से अभी बहुत पीछे है। स्वतंन्त्रता प्राप्ति के पहले भारत में सामाजिक सुरक्षा के लिये बहुत ही कम काम किया गया। जो नियम बनाये गये वे दुर्घटनाओं के लिये क्षतिपूर्ण एवं महिलाओं को प्रसूति लाभ प्रदान किये जाने की व्यवस्था से सम्बन्धित थे। भारत में सामाजिक सुरक्षा के लिये निम्नांकित अधिनियम लागू किये जा रहे हैं।

१. श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम १९२३ –

श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 सम्पूर्ण भारत पर लागू होता है तथा 1 जुलाई 1924 से प्रभावशाली हुआ। यह अधिनियम उन संस्थाओं पर लागू नहीं होता जो कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की सीमा में आते हैं। इस अधिनियम के अधीन 1000 रुपये मासिक तक की मजदूरी पाने वाले श्रमिक या उसके आश्रित लोग लाभ प्राप्ति के अधिकारी माने गये हैं। इस अधिनियम में मृत्यु, स्थायी एवं विकलांगता स्थायी एवं आशिंक विकलांगता तथा अस्थायी विकलांगता की क्षतिपूर्ति हेतु भिन्न–भिन्न दरें निश्चित की गयी हैं। इस प्रकार यह अधिनियम सामाजिक सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण पग है।

२. कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम १९४८ –

सामाजिक सुरक्षा की दिशा में सन् 1948 में पारित और फरवरी 1952 से लागू कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम एक महत्वपूर्ण कदम है। इस बीमा योजना को 1000 रुपये मासिक पाने वाले कर्मचारी तक विस्तृत कर दिया है।

इस अधिनियम के अनुसार कर्मचारियों के बीमार हो जाने , प्रसूति, चोट लगने पर उनक इलाज की व्यवस्था करने और उन्हे नकद भत्ता की व्यवस्था है। कार्य करते समय चोट लगने से यदि किसी श्रमिक की मृत्यु हो जाती है तो उसके आश्रितों को पेन्शन देने की व्यवस्था भी इस अधिनियम द्वारा की गयी है।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना का ~~प्रबन्ध~~ संचालन कर्मचारी राज्य बीमा निगम करता है, जिसमें 40 सदस्य है। यह निगम स्वशासी है तथा इसमें मालिकों , श्रमिकों, केन्द्र एवं राज्य सरकारों, तथा सांसद सदस्यों के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं।

३. कर्मचारी प्रोवीडेन्ट फण्ड अधिनियम १९५२ –

सन 1952 के कर्मचारी प्रोवीडेन्ट फण्ड अधिनियम औद्योगिक कर्मचारियों को अवकाश प्राप्ति पर कई प्रकार के लाभ पहुँचाये जाने की व्यवस्था की गयी है। यह अधिनियम 30 जून 1978 को समस्त भारत में (केवल जम्मू–कश्मीर को छोड़कर) 154 उद्योगों पर लागू होती थी। सन् 1952 के सहकारी समिति के अधीन पंजीकृत होने वाले संस्थाओं पर अधिनियम लागू नहीं होता है। यह अधिनियम उन कारखानों पर लागू होता है जो कम से कम 3 वर्ष पुराने हो तथा जिसमें 50 या अधिक कर्मचारी कार्य करते हों।

४. मातृत्व लाभ अधिनियम या प्रसूति लाभ अधिनियम १९६१–

प्रसूति सम्बन्धी लाभों को उपलब्ध कराने हेतु प्रसूति लाभ अधिनियम 1961 बनाया गया है। प्रायः सभी राज्यों में इस तरह के कानून लागू कर दिये गये हैं, जो प्रसव से पहले एवं बाद में प्रसूति सम्बन्धी लाभ एवं राशि के भुगतान के सम्बन्ध में व्यवस्थायें उपलब्ध कराते हैं। जब तक बच्चा 15 महीनें का न हो जाये, महिला श्रमिकों को दिन में दो बार बच्चे की देख रेख के लिये कुछ समय की छुट्टी मिलती है।

५. पारिवारिक पेन्शन –

औद्योगिक मजदूरों या कर्मचारियों की असामाजिक मृत्यु होने पर उनके परिवारों के लिये लम्बी अवधि तक धन सम्बन्धी सुरक्षा देने की दृष्टि से कर्मचारी परिवार पेन्शन योजना 1971 शुरु की गयी।

६. मृत्यु होने पर सहायता –

जनवरी 1964 में एक मृत्यु सहायता निधि स्थापित की गयी जिसका उद्देश्य गैर छूट प्राप्त संस्थाओं के मृतक के उत्तराधिकारियों या नामजद

व्यक्तियों को कम से कम 500 रुपये की सहायता देना था। अगस्त 1969 से यह सीमा 500 रुपये से बढ़कर 750 रुपये कर दी गयी और उसका लाभ अब उन व्यक्तियों के उत्तराधिकारियों या नामजद व्यक्तियों को मिलता है जिनका मासिक वेतन मृत्यु के समय 500 रुपये से अधिक नहीं था।

उपयुक्त सामाजिक सुरक्षा से सम्बन्धित सभी अधिनियम झाँसी मण्डल के अन्तर्गत हथकरघा उद्योग में न के बराबर प्रयोग हुये हैं। इन योजनाओं से अभी तक किसी भी बुनकर श्रमिक को कोई भी सुविधा प्राप्त नहीं हो पा रही है। सरकार को चाहिए कि योजना इस प्रकार निर्धारित की जाये, जिससे इस उद्योग में लगे श्रमिकों को लाभ प्राप्त हो सके एवं उनका आर्थिक जीवन स्तर ऊँचा उठ सके।

श्रम कल्याण तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यो का श्रमिकों पर प्रभाव –

श्रम कल्याण तथा सामाजिक कार्यो के द्वारा श्रमिकों की कार्य क्षमता बढ़ गयी है जिससे उत्पादन में वृद्धि होती है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती हे तथा श्रमिकों के रहन सहन के स्तर में वृद्धि होती है। जलपान गृह, मातृत्व लाभ, मनोरंजन गृह होने से श्रमिकों का जीवन सुखमय और आनन्दमय बन जाता है। अतः श्रम कल्याण व सामाजिक सुरक्षा के कार्यो के लिये उत्पादक और सरकार द्वारा कार्य किया जाना चाहिए। श्रमिकों की शिक्षा, प्रशिक्षण और उनके बच्चों को निःशुल्क शिक्षा व छात्रवृत्ति देना राज्य व केन्द्र सरकार का कर्तव्य होता है। चिकित्सालय, उचित मजदूरी आदि की व्यवस्था उत्पादकों द्वारा होनी चाहिए। श्रम संगठनों को चाहिए कि अपने पास धनराशि एकत्रित करके श्रमिकों की लम्बी बीमारी में आर्थिक सहायता देकर उनके जीवन निर्वाह में सहयोग करेंगें। इस प्रकार उत्पादक, सरकार और श्रमिक तीनों का आपसी सहयोग हथकरघा उद्योग के श्रमिकों की दशा ठीक करने में सहायक

होगा। परन्तु झाँसी मण्डल में बुनकर श्रमिकों के लिये न के बराबर श्रम कल्याण व सामाजिक सुरक्षा के लिये कार्य किये गये हैं। जबकि इस उद्योग में समस्या को कोई एक वर्ग नहीं सुलझा सकता। बल्कि आर्थिक क्षमता के अनुसार सभी वर्गो को लौटकर सुलझानी चाहिए। जिससे इस उद्योग में लगे हुये श्रमिकों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सके और वह अपने कार्य को रुचि पूर्वक व जिम्मेदारी से पूरा कर सके।

दशम अध्याय

बुनकरों के उत्थान हेतु संगठित समूहगत प्रयास

१. बुनकरों की सहकारी समितियाँ

२. बुनकरों को केन्द्र सरकार से सहायता

३. बुनकरों को राज्य सरकार से सहायता

बुनकरों के उत्थान हेतु संगठित एवं समूहगत प्रयास –

1. बुनकरों की सहकारी समितियाँ :–

सहकारी समितियाँ उन बुनकरों , कारीगरों, व दस्त कारों की बनाई जाती है जो सहकारी सिद्धान्तों के अनुसार कार्य करने को तैयार हो। इन सिद्धान्तों मै निहित महत्वपूर्ण सिद्धान्त यह है कि समिति के सभी सदस्यों को ईमानदार होना चाहिए। सदस्यो की योग्यता का वर्णन उ0प्र0 सहकारी समिति नियमावली 1968 की धारा– (बी) मै दिया हुआ है कि समिति मैं शामिल होने वाले व्यक्तियो को उन वस्तुओ का उत्पादन होना चाहिए जिसका समिति प्रयोग करती है या बेचती हैं।

सहकारिता का एक सिद्धान्त है कि संगठन को लोक तान्त्रिक होना चाहिए। यह मात्र परिवरिक संस्था नहीं होनी चाहिये। इसलिए पंजीकरण के प्रस्ताव मैं यह ध्यान रखने की बात है कि समिति में शामिल होने वाले सदस्यों में एक परिवार से एक व्यक्ति से अधिक न हो। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि यदि एक परिवार के सदस्य अलग – अलग रहते है और स्वतंत्र रूप से काम करते है। तो वे समिति के सदस्य नहीं हो सकते है। यह प्रतिबन्ध केवल पंजीकरण के प्रस्ताव के लिए है और पंजीकरण के पश्चात ऐसे व्यक्ति सदस्य बनाये जा सकते है, परन्तु लोक तान्त्रिक ढांचा बनाये रखने के लिए यह आव यक है कि प्रबन्ध समिति मैं एक परिवार का एक ही सदस्य हो। यह सब प्रावधान इसी उदेश्य से किया गया है कि समिति मैं किसी एक व्यक्ति या परिवार का प्रभाव न हो और सदस्यों के भरण की सम्भावना समाप्त हो जाय।

सहकारिता आन्दोलन स्वंय शक्ति तथा ईमानदारी पर आधारित है इसलिए संगठन के समय सदस्यों को किसी प्रकार का प्रलोभन नहीं दिया

जाना चाहिए । सर्वप्रथम ऐसे व्यक्तियो की बैठक बुलाकर उनको सहकारिता सिद्धान्त एवं सहकारिता प्रणाली से अवगत कराना चाहिए । जब वे इसको अच्छी तरह समझ जाये और उसके अनुसार कार्य करने को राजी हो तभी समितियो को संगठित करना चाहिए। और जिला उद्योग अधिकारी को भी उनमें हिस्सा लेना चाहिए जिससे वे कारीगरो की समस्याएं समझ सके और साथ–साथ अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को मार्ग दर्शन दे सकें।

सदस्यता –

सहकारी समितियाँ के सदस्य वही होने चाहिए जिन्हें स्वंय आरोपित अनुशासन, निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रति आज्ञा कारिता का भाव हो तथा सहकारी सिद्धान्तों के प्रति आज्ञा हो। इसके लिए आवश्यक नहीं है कि सदस्य पड़े लिखे ही हो । अनपढ़ और पिछड़े हुए लोग भी व्यवहार से सहकारिता को समझ लेते है और वे सामान्यता अधिक अनुभव वाले सदस्य होते है।

एक हथकरघा समिति की आर्दश नियमावली के अनुसार एक सदस्य में निम्न लिखित योग्यतायें होनी चाहिए ।

1. वह 18 वर्ष से अधिक आयु का हो।
2. उसका नैतिक चरित्र अच्छा हो।
3. वह समिति के कार्यक्षेत्र में रहता हो।
4. वह उस व्यवसाय को लगातार कर रहा हो।

हथकरघा सहकारी समितियों के कार्यशील पूँजीकरण –

नावार्ड योजना के अन्तर्गत हथकरघा सहकारी समितियो को कार्यशील पूँजी जिला सहकारी बैकों के माध्यम से उपलब्ध करायी जाती है जोकि हाइयोथिकेटेड अनुबन्ध के आधार पर है क्योकि हथकरघा सहकारी समितियाँ

कमजोर वर्ग में आती हैं। अतएव प्रदेश शासन द्वारा 90 प्रतिशत लास – आफ गारन्टी उपलब्ध करायी जाती है बुनकर समितियाँ इस कार्यशील पूंजी से कच्चा माल, रंग, तथा रसायन आदि का कार्य बुनकरों को बांटती है। इसके अतिरिक्त समितियो को कार्यशील पूंजी ''साख सीमा'' का न्यूनतम ठाई गुना सत्पादन करना होता है तथा विकी की धनराशि का 50 प्रतिशत बैंक मै जमा करना होता हैं।

समितियाँ अपनी दयनीय अर्थिक स्थिति के कारण सामान्य ब्याज दर ऋण लेने मे सक्षम नहीं होती है। अतः बैंक ब्याज दर से ढाई प्रतिशत कम दर पर कार्यशील पूँजी ऋण समितियाँ को अनुमन्य है। ब्याज दर मैं इस दूर की प्रतिपूर्ति उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक को शासन द्वारा 3 प्रतिशत ब्याज ऊपादान योजना के अन्तर्गत की जाती है।

2. बुनकरो को केन्द्र सरकार से सहायता –

केन्द्रीय सरकार ने द्वितीय महायुद्ध के पश्चात ही बुनकरों के कार्यो में भाग लेना प्रारम्भ किया है। यह कार्य मुख्य रूप से वैधनिक अनिवार्यता से सम्बन्धित है। इस सम्बन्ध में सरकार नें कई विधान पास किये जिसके अन्तर्गत उद्योगपतियाँ के लिए बुनकरो के कार्यो की व्यवस्था करना अनिवार्य कर दिया गया । इसके अन्तर्गत आवास सुविधा प्रदान करने की व्यवस्था की गयी है। एसे उद्योग जहाँ 500 अथवा अधिक बुनकरो कार्य करते हो, वहाँ बुनकर अधिकारी की नियुक्ति अनिवार्य कर दी गयी है। जो बुनकरो के कल्याण के लिए किये जाने वाले कार्यो की देखरेख करते है। भारत सरकार ने एक ऐसी योजना भी प्रारम्भ की है जिसके अनुसार बुनकरो की काम करने की दशाओं का सर्वेक्षण किया जायेगा । इसका उद्देश्य भी सही स्थिति की जानकारी प्राप्त करके कल्याण – कार्य की व्यवस्था करना हैं।

3. बुनकरों को राज्य सरकार से सहायता –

केन्द्रीय सरकार के अतिरिक्त राज्य सरकार ने भी बुनकरों के कल्याण के लिये सराहनीय कार्य किये है। इसमें व्यायामशाला स्त्री पुरूषो के लिये पृथक स्नान गृह , बच्चो के खेलो का प्रबन्ध मूत्रालय , शौचालय , वाचनालय , नाटक , संगीत , स्कूल तथा डाक्टरी सुविधाओं की भी वयवस्था है। इसके अतिरिक्त बुनकर कार्यकर्त्ताओं को शिक्षा देने और नागरिकता की शिक्षा के भी स्कूल खोले गये हैं।

उत्तर प्रदेश के लगभग सभी औधैागिक नगरों में बुनकर हितकारी केन्द्रों की स्थापना हो चुकी है। विशेष रूप से झाँसी मण्डल में इस प्रकार के कई केन्द्रो की स्थापना हो चुकी है प्रत्येक केन्द्र का संचालन एक योग्य सरकारी कर्मचारियों के हाथों में होता है, जो समय–समय पर शिक्षा सम्बनधी अथवा मनोरंजन के हेतु विभिन्न प्रकार के आयोजन करता है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने सन् 1937 मे एक बुनकर आयुक्त के अधीन एक पृथक बुनकर विभाग की स्थापना की । इस विभाग द्वारा सन् 1972 तक 74 बुनकर कल्याण केन्द्र स्थापित किये जा चुके है।

उपरोक्त व्यवस्था के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश की सरकार ने बुनकरों की आवास व्यवस्था पर काफी व्यय किया है बुनकर को राज्य बीमा योजना से भी लाखों बुनकर को लाभ पहुँचता है। कल्याण कार्यो के प्रशासन हेतु विभाग में एक कल्याण प्रभाग स्थापित किया गया है जो अतिरिक्त बुनकरयुक्त (कल्याण) के अधीन कार्य करता है।

निष्कर्ष एवं सुझाव

१. प्रमुख निष्कर्ष

२. सुझाव

३. भावी शोध सम्भावनाएं

निष्कर्ष एवं सुझाव

हथकरघा उद्योग बहुत समय से संचालित होते हुए भी प्रारम्भिक अवस्था में हैं। हथकरघा उद्याोग से सम्बन्धित पूँजी पतियो में लाभ की भावना अधिक होने के कारण वह उचित व्यवस्था में अपना सहयोग भरपूर नहीं दे रहें हैं। जिसके परिणाम स्वरूप श्रमिकों का निम्न स्तर उठ़ाने और उनके कल्याण से सम्बन्धित बातों पर उचित कार्य नहीं हो पाता । उत्तर प्रदेश में हथकरघा उद्योग से सम्बन्धित समितियों की संस्था 4634 हैं। इसमें झाँसी मण्डल की समितियों की संख़्या 189 हैं।

प्रथम अध्याय में हथकरघा उद्योग का उद्‌भव एवं विकास पर प्रकाश डाला गया है। साथ ही भारत में हथकरघा उद्योग का इतिहास का भी विस्तृत रूप जानकारी दी गई हैं। हथकरघा उद्योग का हमारे राज्य की अर्थ व्यवस्था कराने में हथकरधा उद्योग का सबसे बड़ा क्षेत्र है। हथकरधा एवं वस्त्रोद्योग निर्देशालय द्वारा पंजीकृत बुनकर सहकारी समितियों एवं उनके सदस्यों को सहायताये प्रदान की जाती हैं।

द्वितीय अध्याय में अध्ययन का उदेश्य, अनुसंधान समस्या एवं अनुसंधान विधि का गहन अध्ययन किया गया है। झाँसी मंडल के बुनकरो की आर्थिक स्थिति, रोजगारकी स्थिति निर्धनता की स्थिति आदि कारणों का पता लगाना बुनकरो की कमजोर आर्थिक स्थिति के लिये उत्तरदायी ही हथकरघा उद्योग की अनेको समस्याये है। बुनकरो के सम[illegible] अपनी वस्तुओं के विपणन की भी भावी समस्या है।

तृतीय अध्याय में झाँसी मंडल की भौगोलिक एवं आर्थिक स्थिति के बारे में गहन अध्ययन किया गया हैं। झाँसी मण्डल का मुख्यालय झाँसी में ही हैं। झाँसी मंण्डल में 13तहसीलें व 23 विकास खण्ड हैं। झाँसी मण्डल में झाँसी

नगर , ललितपुर ,जालौन जिले आते हैं।इस मण्डल की प्रशासनिक व्यवस्था के लिये 98–99 तक 13 तहसीले तथा 23 विकास खण्ड स्थापित हो चुके थे। भारतवर्ष में हथकरघा तथा कलात्मक धरोहर को जीवित रखने और साकार रूप प्रदान करने में जिस श्रम शक्ति एवं हाथों का योगदान है, वह बुनकर का है। जो इस देश मैं लगभग 1,00 करोड़ है ।

चतुर्थ अध्याय में हथकरघा उद्योग के बुनकर को सामान्य विशेषतायें पर बल दिया गया है श्रम ही सृष्टि का मूल हैं। प्रत्येक देश के अर्थिक विकास में श्रम की एक महत्त्वपूर्ण भूमिका रहता है आजकल प्रायः देखा जाता है कि समाचार पत्रों में हथकरघा बुनकर श्रम सम्बन्धी सूचनाओं को प्रमुखता दी जाती हैं। भारत सरकार के श्रम मन्त्रालय द्वारा 'इण्डिन नेबर जर्नल' नाम की विशिष्ट पत्रिका भी निकलती हैं। यदि श्रम आज मुख दृष्टि की सूचना है तो इसका क्षेय श्रम के आर्थिक महत्व को जाता हैं।

पचंम अध्याय में बुनकरों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति का वास्तविकता का वर्णन किया गया हैं। हथकरघा उद्योग सम्पूर्ण भारत में फैला हुआ हैं। ग्रामीण रोजगार एवं आय पर पड़ने वाले अर्थिक प्रभाव की दृष्टि से कृषि के पश्चात् इस उद्योग में लगे बुनकरों की कारीगरी की ख्यति देश–विदेशों में फैली हुयी थी । कृषि के बाद हथकरघा उद्योग में सबसे अधिक श्रमिकों को रोजगार मिलता हैं। लेकिन इसमें लगे हुये श्रमिको की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं हैं। इनकी आवास व्यवस्था एवं रहन सहन का स्तर निम्न हैं। यह श्रमिक अनेको समस्याओ से ग्रसित हैं। इनकी समस्याओं को इस करने में सरकार का सहयोग आपेक्षित हैं।

षष्ठम् अध्याय में बुनकरों में निर्धनता की समस्या का वर्णन किया गया हैं। निर्धनता एक सामजिक एवं अर्थिक समस्या हैं। इसकी उत्पत्ति और स्वरूप

बड़ी जटिल है। विश्व में सच्चमुच गरीबो की समस्या एक सामाजिक नैतिक और वैश्विक चुनाती हैं।

सप्तम् अध्याय में बुनकरों की कार्य दशाएँ पर प्रकाश डाला गया बुनकर श्रमिक झाँसी मण्डल के जिन क्षेत्रों में निवास करते हैं। शोधकर्त्ता ने जाकर सम्पर्क किया तो पाया कि वहां जाने के रास्ते बहुत ही खराब है। पानी बिजली एवं सफाई की व्यवस्था नाम मात्र की है। वहाँ पर रहने रहने वाले बुनकर श्रमिकों की शोचनीय दशा हैं।

अष्टम अध्याय में औद्योगिक सम्बन्धों की स्थिति के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया हैं। औद्योगिक सम्बन्धों से आशय किसी औद्योगिक संगठन में सेवा नियोजको एवं कर्मचरियो के मध्य विधमान सम्बन्धों से हैं। किन्तु विस्तृत अर्थ मैं औद्योगिक सम्बन्धों से आशय श्रम प्रबन्ध सम्बन्धों एवं प्रबन्ध संघ सम्बन्धों से हैं।

नवम् अध्याय मै श्रम कल्याण एवं सामजिक सुरक्षा सम्बन्धी श्रम कल्याण शब्द का प्रयोग परिस्थितियों तथा आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विभिन्न अर्थो में किया जाता हैं।

दशम् अध्याय में बुनकरों के अत्थान हेतु संगठित एवं समूहगत प्रयास किये गये हो कल्याण कार्यो के प्रशासन हेतु बुनकर विभाग में एक कल्याण प्रभाग स्थापित किया गया है जो अतिरिक्त बुनकर युक्त (कल्याण) के अधीन कार्य करता हैं।

उत्पादन और बिक्री बढ़ाने सम्बन्धी कार्यक्रम भी चलाये जाते हैं। जोकि कुछ निम्नांकित हैं।

1. जनता वस्त्र उत्पादन योजना :-

इस योजना का मुख्य उद्देश्य निर्धन वर्ग के लोगो की रियायती दरों पर वस्त्र उपलब्ध कराना तथा दूसरी और जनता वस्त्र उत्पादन के माध्यम से बुनकरो को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है जिसके अन्तर्गत जनता धोती, गददा क्लाथ वेडशीट गमछा,लुंगी आदि का उत्पादन किया जाता है।जनता वस्त्रों का वितरण सस्ते दरों पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत सहकारी संघ खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम तथा एन.सी.सी. एफआंदि के माध्यम द्वारा कराया जाता हैं।

2. हथकरघा आधुनिकीकरण योजना :-

इस योजना का मुख्य उदेश्य समिति के सदस्यों को पुराने करघे के स्थान पर नई तकनीक के विकसित करघे व उपकरणों को उपलब्ध कराना है ताकि बुनकर नई तकनीक से नवीन डिजाइयों के साथ–साथ अधिक से अधिक उत्पादन कर सके और अपनी आय को बड़ा सके।

हथकरघा उद्योग में रुई की घटाई,साफाई, कताई , लच्छा बनाना, रंगाई बुनाई, छपाई आदि प्रकियाये जुड़ी हुयी होती हैं। रूई की सफाई हाथ के द्वारा और मशीनों के द्वारा की जाती है। रूई की सफाई का कार्य जो धुनकरों के द्वारा सम्पन्न होता हैं उन्हें मजदूरी कम दी जाती है। जिसके कारण उनकी कार्यक्षमता कम हो जाती हैं।

बुनकरों के द्वारा जिन यन्त्रो पर कार्य किया जाता है वह करघे आधुनिक तकनीक से जुड़े हुये नहीं होते हैं। जिनके कारण वह बुनाई का कार्य नवीनतम तकनीक से अधिकतम नहीं कर पाते। परिणामस्वरुप उनकी कार्यक्षमताकम रहती है। अतः उन्हे विभिन्न शैलियों में नवीनतम प्रकार से तकुयें, पंजा, केंची कतरनी छपाई की सजावट आदि की सामग्री उपलब्ध

करायी जाये। ऐसा होने से बुनकरों में इस कार्य के कराने के प्रति अभिरुचि पैदा होगी और उत्पादन में वृद्धि होगी। परिणामस्वरुप उनकी आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होगीं झाँसी मण्डल में श्रम का बाहुल्य हं और नयूनतम परिश्रमिक से कम उपलब्ध हो पाता हैं। अतः सस्ता श्रम होने के कारण लागत में अन्य केन्द्रो की अपेक्षा कमी आती है।

हथकरघा उद्योगसे उत्पादन माल देश विदेश में विक्रय किया जाता है किन्तु यह उद्योग अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में विज्ञापन , प्रदर्शनी आदि का प्रदर्शन उचित प्रकार से नहीं कर पाता है क्योंकि इसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर है। आज विश्व के अनेक देश जो हस्त निर्मित वस्तुओं का निर्यात करते हैं वह अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में विज्ञापनों के आधार पर ख्याति अर्जित कर चुके हैं, लेकिन भारत के हथकरघा उद्योग के विकास के लिए कोई ठोस कार्य नहीं किया गया है।

10 अप्रैल 1991 को आगरा से प्रकाशित ''आज'' में इसके भविष्य को उज्जवल मानते हुये लिखा है कि 'आठवी पंचवर्षीय योजना के अन्त , अर्थात 1994–1995 तक देश में ढ़ाई अरब रुपये के कपड़े सिले –सिलाये परिधानों के निर्यात की सम्भावना हो गयी है। कुछ निर्यात में यन्त्र निर्मित कपड़ों का ही प्रमुख हिस्सा है। अभी मानव निर्मित हथकरघा के कपड़ों का निर्यात मात्र सात सौ करोड़ रुपये के आस पास है। योजनाकारों की कोशिश है कि योजना के अन्त तक इसे भी बढ़ाकर पांच हजार करोड़ रुपये तक पहुँचा दिया जाये। इसके विस्तार के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा यह है कि निर्यातकों को अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों पर घरेलू कच्चा माल नहीं मिल पाता निर्माताओं को कच्चे माल की अवधि आपूर्ति भी एक जरुरी चीज हैं एक बड़ी कठिनाई यह भी है कि अनेक राज्य सरकारें हस्तनिर्मित कपड़े के उत्पादकों सम्बन्धी नियम

– कानूनों के तार्किक बनाने के प्रति तनिक भी दिलचस्पी नहीं ले रही है। यदि इन कठिनाइयों का निवारण किया जाये तो उम्मीद की जाती है कि हथकरघा उद्योग आने वाले दिनों में बेहतर प्रदर्शन करेगा।

हथकरघा उद्योग में बुनकरों के पास वित्तीय समस्या एक विकराल रुप धारण किये हुये खड़ी रहती हैं जिसके कारण व्यापारियों को, बुनकरों को हमेशा वित्तीय सहायता देने वाली सस्थाओं से सम्पर्क रखना पड़ता है। दूसरी तरफ निर्मित वस्त्रों को आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण शीघ्रता पूर्व सस्त पर बेचना पड़ता है। अतः आवश्यक है कि बुनकरों के सरकार द्वारा वित्तीय संस्थाओं द्वारा रिजर्व बैंक की संस्तुति पर सस्ते ब्याज की दर पर चल पूँजी उपलब्ध करायी जाये।

हथकरघा उद्योग में श्रम का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इन श्रमिकों के द्वारा विभिन्न प्रकार की प्रक्रियायें हथकरघा उद्योग के अन्तर्गत सम्पादित करायी जाती हं इस समय लगभग 15 लाख बुनकर है। इसके बाद कताई करने वाले श्रमिक ,छटाई वाले श्रमिक, रंगराज छपाई वाले एवं अन्य प्रकार के श्रमिक है। इस कार्य में लगे हुये अधिकांश बुनकरों की उम्र लगभग 15 से 25 वर्ष के बीच होती है यह लोग अधिकतर अशिक्षित होते हैं। और इनकी मातृभाषा हिन्दी होती है।

प्राचीनकाल से ही देश के कुटीर उद्योगों में हथकरघा उद्योग का महत्वूपर्ण स्थान रहा है। यह उद्योग सम्पूर्ण भारत में फैला हुआ है कृषि के पश्चात इस उद्योग का महत्वपूर्ण स्थान हैं विदेशी शासकों की दुनीति के कारण इन उद्यागों का पतन हो गया तो भारत विदेशों को अपना माल भेजने वाला निर्यातक देश था। वहीं ब्रिटिश निमित माल का आयातक बन गया। लेकिन भारत स्वतंत्र होने के पश्चात देश के हथकरघा उद्योग ने काफी

विकास किया। वैसे सरकार ने बुनकरों के कल्याण के लिये वर्ष 1991–92 और चालू वित्त वर्ष में कई नयी योजनायें शुरु की है। इनमें मुख्य है – सामूहिक बीमा येजना , तेजी से विकास के लिये परियोजना, पैकेज योजना और बेहद गरीब बुनकरों के लिये मार्जिन मनी योजना , सरकार स्थायी रोजगार ,आधुनिकीकरण और निर्यातोन्मुख उत्पादों के विकास के जरिए हथकरघा क्षेत्र को महत्व देती रहेगी। प्रशिक्षक तथा कौशल में सुधार पर भी सरकार जोर देती रहेगी। हथकरघा क्षेत्र में कल्याण कार्यो को बढ़ाने के लिये नयी योजनायें शुरु की हैं केन्द्र सरकार ऐसे प्रभावित क्षेत्र में दुबारा उद्योग लगाने से सम्बन्धित प्रस्तावो और परियोजनाओं को आर्थिक सहायता देगी।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा प्रसारित संदेश में उत्तर प्रदेश के 70,000 बुनकरों की राहत की घोषणा की गयी है , गैर ग्रामीण क्षेत्रों के बुनकरों पर विभिन्न वित्तीय संस्थओं के बकाया 46.15 करोड़ रुपये की धनराशि के ऋण को माफ किया गया हैं। जिसके फलस्वरुप बुनकर परिवार के लगभग 3 लाख सदस्यों को राहत मिलगी। बुनकरों को ऋण माफी योजना वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री नरसिंहराव जी के प्रयासो के फलस्वरुप प्राप्त हुयी है।

सरकार ने देश के सबसे पुराने हथकरघा क्षेत्र के विकास की रफ्तार बढ़ाने के लिए तीन सूत्री नीति तैयार की है। कपड़ा राज्यमंत्री श्री वेकट स्वामी जी ने नई दिल्ली मैं 14 वें निर्यात पुरुष्कार समारोह मैं यह जानकारी दी। उन्होने बताया कि इस नीति में 3 अरब रूपये खर्चा करके हथकरघा क्षेत्र की विभन्न योजनाओं का दायरा बढ़ाने और हथकरघा बुनकरों के कल्याण पर अधिक ध्यान देने पर जो दिया गया है। इसके अलावा ग्रामीण विकास के लिए उपलब्ध संसाधनों और बुनियादी ढँचे के अधिकतम इस्तेमाल और

हथकरघा आरक्षण कानून एवं इस बारे मैं समय–समय पर जारी किये गये आदेशों को कारगर ढंग से लागू करने की बात कही गयी हैं।

उपयुक्त कल्याणमयी योजनाओं के होते हुये भी शोधकर्ता ने सर्वेक्षण करते समय पाया कि हथकरघा उद्योग में लगे श्रमिकों की आर्थिक दशा, आवास व्यवस्था, मासिक आय, नियमित रोजगार की उपलब्धि अदि शोचनीय हैं। आवास की व्यवस्था सहकारी समितियों द्वारा सुलझाई जा सकती है। श्रमिकों का शिक्षा, प्रशिक्षण छात्रवृति देने का कार्य राज्य तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाना चाहिये। इस प्रकार हथकरघा उद्योग मैं लगे हुये श्रमिको की समस्याओं का निराकरण हो जाने पर विदेशी मुद्रा की प्राप्ति मैं वृद्धि होगी। , बड़े पैमाने पर लघु उद्योग का विकास होगा, बेरोजगारी की समस्या का अन्त होगा और विश्व मैं भारतीय हथकरघा की ख्यति अवकाश को छुयेगी।

–: सुझाव :–

केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के द्वारा हथकरघा उद्योग को बहुत सी सहायतायें प्रदान की गयी है। लेकिन उनका विकास उस गति से नहीं हुआ है जितना कि होना चाहिये था। इस उद्योग के विकास के माध्यम से देश की बेरोजगारी की समस्या का निराकरण सम्भव है और निर्यात के द्वारा विदेशी मुद्रा प्राप्त की जा सकती है।, जिससे देश की आर्थिक स्थिति सुढ़द हो सकती है। इसके विकास के लिये सरकार ने 11 वस्तुये उत्पादन के लिए आरक्षित कर दी हैं। इस प्रकार का आशय 6 फरवरी 1991 के दैनिक 'आज' मै प्रमाणित हुआ था। हथकरघा उद्योग के विकास के लिए निम्नलिखित सुझाव प्रषित हैं।–

कच्चे माल की आपूर्ति :-

हथकरघा उद्योग से सम्बन्धित उत्पादनों की आर्थिक स्थिति शोचनीय हैं। पूँजी के अभाव के कारण वह कच्चे माल को भण्डार के रूप मैं रखने मैं असमर्थ होते हैं। अतः सरकार को हथकरघा उद्योग की क्षमता को ध्यान मैं रखकर कच्चे माल का भण्डार अपने पास सुरक्षित रखना चाहिए और कच्चे माल के मूल्य पर भी नियन्त्रण रखना चाकिए। सरकार को हथकरघा सम्बन्धित कच्चे माल के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा देना चाहिये। जिससे बुनकरों को कच्चे माल की आपूर्ति सुविधा से मिल सके।

प्रशिक्षण की व्यवस्थाः-

बुनकरों के प्रशिक्षण के लिए राज्य सरकारों को चाहियें कि वह प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करे। इस प्रशिक्षण केन्द्रो से जो बुनकर ज्ञान प्राप्त करेगे उनसे उनकी कार्यक्षमता मैं वृद्धि होगी और उनके द्वारा निर्मित हथकरघा वस्त्र अन्य देशो की तुलना मैं सर्वक्षेष्ठ होगे।

कम ब्याज पर ऋण की सुविधा :-

हथकरघा वस्त्र के विकास के लिए उत्पादकों को लघुकालीन व दीर्घकालीन ऋण कम ब्याज पर उपलब्ध कराया जाये। उन्हे आधुनिक उपकरणों को खरीदने के लिए दीर्घकालीन ऋण कम ब्याज पर और किश्तों की सुविधा के सहित दिलाया जाये।

आधुनिकीकरण की व्यवस्था :-

हथकरघा उद्योग में पुरानी तकनीक के स्थान पर नई तकनीक नये-नये यन्त्रों एवं सयन्त्रों का प्रयोग किया जाना चाहिये। इनकी उपलब्धि के लिए सरकार को समुचित व्यवस्था करनी चाहीये। इन आधुनिक यन्त्रों के

प्रयोग से बुनकरों की कार्य क्षमता में वृद्धि होगी और उनका उत्पादन भी बढ़ेगा।

सरकार की निर्यात नीति में सुधार :-

हथकरघा उद्योग को विदेशी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है। अतः सरकार का कर्तव्य है कि इसे सरकारी संरक्षण प्रदान करें । इसे निर्यात सहायता देनी चाहिए एवं इससे निर्यात कर सदैव मुक्त रखना चाहिए। इस प्रकार की नीति का निर्धारण सरकार को हथकरघा उद्योग के विकास के लिये करना आवश्यक है।

प्रशासन सम्बन्धी व्यवस्था में सुधार :-

जो माल विदेशों में निर्यात किया जाता है। उसका भुगतान पाने के लिये सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे उत्पादकों को बिक्री मूल्य आसानी से और शीघ्रतापूर्वक मिल सके। जिससे उत्पादक अपनी सुविधानुसार माल को ऊँचे मूल्य पर बेचकर अधिक लाभ प्राप्त कर सके।

विज्ञापन तथा प्रचार :-

विदेशों में हथकरघा वस्त्र के प्रचार एवं विज्ञापन में सरकार को रुचि लेनी चाहिए क्योंकि विदेशों में विज्ञापन पर व्यय करना , हथकरघा वस्त्र के निर्माता के लिये आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण कठिन होता हैं यही कारण है कि हथकरघा वस्त्र निर्माता विदेशो में अपना प्रचार विधिवत नहीं कर पाते है। पत्र – पत्रिकाओं में प्रकाशन , कलात्मक कपड़ों के सैम्पल, आदि के विज्ञापन में सरकार को व्यय करना चाहिए अथवा वित्तीय आर्थिक सहयता देनी चाहिए।

समुचित निवास व्यवस्था :-

अधिकतर श्रमिकों को रहने के लिये अच्छे निवासों का अभाव है। यह निवास सीलनमुक्त, गन्दे नाले कूचों के समीप, अशुद्ध हवा से घिरे हुये होते हैं। जिसके कारण यह लोग मलरिया, क्षय, पीलिया आदि रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। सरकार को चाहिए कि इनके लिये बुनकर कालोनी का निर्माण कराये, जिससे यह लोग बीमारी, नशा अनैतिकता आदि अपराधों से दूर रह सके।

जीवन यापन के लिये पर्याप्त मजदूरी :-

हथकरघा उद्योग में लगे हये श्रमिकों को अधिकतर मजदूरी ठेके पर दी जाती हे। और कुछ श्रमिकों को मासिक वेतन दिया जाता है। इन बुनकरों का जीवन यापन के लिये पर्याप्त नहीं हैं। अतः राज्य सरकारों को चाहिए कि बुनकरों का मनोबल ऊँचा उठाने के लिये उचित मजदूरी को निर्धारित करें।

अवकाश की व्यवस्था :-

बुनकरों को अपने जीवन को आनन्दमय बनाने के लिये अवकाशों की आवश्यकता होती है। अतः उसे आकस्मिक अवकाश , चिकित्सा अवकाश और उपार्जित अवकाश की सुविधा प्रदान की जानी चाहिएं कभी कभी देखने में यह आता है कि मालिक छुट्टी तो दे देते हैं लेकिन उस दिन का वेतन नहीं देते। अतः वेतन सहित अवकश दिलाने की व्यवस्था सरकार की ओर से की जानी चाहिए।

बाल श्रमिक की दशा में सुधार :-

हस्तकरघा उद्योग में बाल श्रमिकों की संख्या काफी है। इन बच्चों के द्वारा हस्तकरघा उद्योग के छोटे छोटे कार्य जैसे छटनी, सूत खोलना फैलाना

आदि कार्य लिया जाता है। अतः सरकार को चाहिए कि जिस प्रकार अनुसूचित व पिछड़ी जाति के बच्चों को चाहिए कि जिस प्रकार अनुसूचित जाति के बच्चों को निशुल्क शिक्षा एवं छात्रवृत्ति की सुविधा दी जाती है। इसी प्रकार इन श्रमिकों के बच्चों को भी निःशुल्क शिक्षा की सुविधा दी जायें। बाल श्रमिकों के कार्य करने की दशा को सुधारा जाये और कार्य के घण्टे निश्चित किये जायें।

महिला श्रमिकों के कल्याण की व्यवस्था :-

हस्तकरघा उद्योग में स्त्री श्रमिकों का भी बाहुल्य हैं यह स्त्रियॉं अपने परिवार की आय को बढ़ाने के लिये कार्य करती हैं अधिकतर स्त्रियॉं सूत खोलने , लच्छा बनाने का कार्य करती है। अतः सरकार को चाहिए कि समान कार्य के लिये समान वेतन दिलवाने की व्यवस्था करें। जिससे कि महिलाओं को कार्य करने में कोई व्यवधान पैदा न हो और उनके बच्चों की देखरेख भी होती रहे।

सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था :-

हस्तकरघा उद्योग में लगे हुये श्रमिकों की मजदूरी कम होती है और उन्हे महीने में कुछ दिन बेकार भी बैठना पड़ता है। अतः उनके जीवन स्तर की दशा सोचनीय रहती है। अतः सरकार एवं उत्पादकों को चाहिए कि उनके लिये सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी कार्य किय जाये। सरकार उत्पादक वर्ग व श्रमिक तीनों का सामान रुप से कोष में अंशदान होना चाहिए। सरकार को श्रम कल्याण व सामाजिक सुरक्षा से सम्बन्धित सभी नियमों का परिपालन अनिवार्य रुप से उत्पादकों द्वारा कराना चाहिए।

सरकार और उत्पादक वर्ग उपरोक्त सुझावों को यदि मानकर कार्य करते हैं तब श्रमिकों के रहन सहन में सुधार होना उनकी कार्य क्षमता बढ़ेगी

और श्रमिक स्वस्थ वातावरण का आनन्द ले सकेगा। सरकार को इस उद्योग से सम्बन्धित बिचौलियों के कार्यो पर भी अंकुश लगाना होगा। तभी भारत इस उद्योग से सम्बन्धित खोई हुयी पुरानी प्रतिष्ठा को अर्जित कर सकेगा।

प्रश्न तालिका (सेवायोजकों के लिये)

झाँसी मण्डल के हथकरघा उद्योग सेवायोजको की आर्थिक दशा का अध्ययन

क्रमांक .... साक्षात्कार तालिका

केवल सेवायोजकों के लिये (गोपनीय)

1. ईकाई का नाम : ....
2. ईकाई का आकार : ....लघु / मध्यम / बड़ा
3. ईकाई का नाम : मालिक / मालिकान.......................................
4. पता : ....

   ....
5. जाति : ....
6. धर्म : ....
7. राष्ट्रीयता : ....
8. आयु : ....
9. परिवार का स्तर : ....
10. परिवार का आकार : ....
11. परिवार में बालिगो की सं0: ....
12. ईकाई मालिक की शैक्षिक योग्यता : ....
13. अ. क्या आपने कोई प्रशिक्षण प्राप्त किया हैं ? हाँ / नहीं

    ब. यदि हाँ तो उसका विवरण

    (1) (2)

    (3) (4)
14. ईकाई के आप कितने समय से मालिक है ?
15. अ. क्या आपका बुनाई के कार्य में सक्रिय योगदान है ? हाँ/नहीं

ब. यदि हाँ तो आप कार्यशाला में कितनी अवधि तक कार्य करते हैं

16. अ. क्या आप अपने परिवार की बालिग सदस्यों की सक्रिय सहायता प्राप्त करते हैं? (स्त्रियों सहित) हाँ/नहीं

ब. यदि हाँ तो उस कार्य के विस्तृत विवरण का उल्लेख करें जो कार्य सामान्यता आप उनके करने को देते हैं

(1) (2) (3)

(4) (5) (6)

17. अ. क्या आप ईकाई में सक्रिय सहयोग प्रदान करने वाले अपने परिवार के सदस्यों को कोई भुगतान नकद अथवा समान के रुप में करते हैं ? हाँ/नहीं

ब. यदिं हाँ तो कृपया निम्नलिखित के स्पष्ट उत्तर दें।

क. क्या उनकां ईकाई में किसी प्रकार का अंश प्राप्त होता है ? हाँ/नहीं

ख. क्या वे ईकाई की आय में से कोई अंश प्राप्त करते हैं ? हाँ/नहीं

ग. क्या परिवार में उनकों कोई विशेष सुविधायें प्राप्त हैं ? हाँ/नहीं

घ. क्या वे आपसे किसी प्रकार की विशेष सुविधा प्राप्त करने की आशा रखते हैं ? हाँ/नहीं

18. आप अपने बच्चों की कितनी शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करते हैं ?

19. क्या आप स्त्रियों को शिक्षित करना पसन्द करते हैं ?

अ. हाँ/नहीं

ब. यदि हाँ तो कृपया इसके कारणों का उल्लेख करें और इस सम्बन्ध में अपने

समुदाय का कोई सन्दर्भ भी प्रस्तुत करें।

क. ख.

ग. घ.

20. ईकाई की स्थापना वर्ष क्या है ?

21. ईकाई की कार्यशाला कहां स्थिति है ?

22. क्या यह ईकाई कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत आती है ?

23. क्या यह ईकाई निर्यात भी करती है ?

24. क्या यह ईकाई आदेश प्राप्त होने पर ही बुनाई का कार्य करती है ? अथवा आदेश प्राप्त न करने पर भी बुनाई करती है।

25. इकाई में किस प्रकार की वस्तुओं की बुनायी होती है ?

क. ख.

ग. घ.

ड़ च.

26. इकाई में किस प्रकार की वस्त्रों की छपाई होती है ?

क. ख.

ग. घ.

ड़ च.

27. इकाई के कार्य के लिये किस प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है ?

क. ख.

ग. घ.

ड़ च.

28. अ. क्या आप किसी प्रकार के कच्चे माल का आयात भी करते हैं ?

हां / नहीं

ब. यदि हां, तो कृपया निम्न तालिका के अनुसार विवरण दें –

कच्चे माल का प्रकार	निर्यात ईकाई का नाम	किस माध्यम से निर्यात किया जाता है।

29. अ. क्या सरकार कच्चे माल की खरीद के लिये कोई सहायता करती है

ब. यदि हो तो कृपया उस सहायता का उल्लेख करें।

क. ख.

ग. घ.

30. कच्चे माल की पूर्ति हेतु व्ययकौन वहन करना है ? विक्रेता / खरीददार

31. अ. क्या कच्चे माल की पूर्ति के लिये सरकार कोई सहायता प्रदान करती है?हॉं / नहीं

ब. यदि हॉं तो वह सहायता किस प्रकार की है ?

32. अ. क्या आपको कच्चा माल सरलतापूर्व और नियमित रुप से प्राप्त हो जाता है? हॉं / नहीं

ब. यदि हॉं तो कृपया कारणों का उल्लेख करें ?

क. ख.

ग. घ.

33. कौन सा कच्चा माल आपकों सरलतापूर्व और वरीयता के आधार पर मिल जाता है?

----

34. सूती वस्त्रों को आप कहां से क्रय करते हैं ?

क. मिल　　　　ख. पावरलूम　　　　ग. हथकरघा

35. किस प्रकार का वस्त्र आप खरीदने और छपाई कार्य के लिये अधिक पसन्द करते हैं?

----

36. उपरोक्त वस्त्रों को आप अधिक पसन्द क्यों करते हैं ? कृपया कारणों का उल्लेख करें।

क.　　　　ख.

ग.　　　　घ.

37. कृपया वस्त्र के प्रमुख पूर्तिकर्ताओं का उल्लेख करें तथा निम्नलिखित तालिका की पूर्ति करें –

वस्त्र की किस्म	निर्माणक ईकाई का नाम	पूर्ति की शर्ते	पूर्ति का प्रकार
1. सूती वस्त्र			
2. रेशमी वस्त्र			
3. ऊनी वस्त्र			

38. अ. क्या आपकी ईकाई में वस्त्रों की खरीद से सम्बन्धित कोई विशेष कठिनाईयां महसूस होती है ? हाँ / नहीं

ब. यदि हाँ तो कृपया उनका विवरण दें ?

क. ख.
ग. घ.

39. अ. आप किस प्रतिष्ठान से वस्त्रों का क्रय करते हैं, क्या वहाँ से आपको किसी प्रकार की प्रेरणा प्राप्त होती है ?

ब. यदि हाँ तो वह प्रेरणा क्या है ?

क. ख.
ग. घ.

40. अ. क्या आपकों वस्त्रों के क्रय हेतु कोई सरकारी सहायता प्राप्त है ? हाँ/नहीं

ब. यदि हाँ तो कृपया उस पर प्रकाश डाले

----

41. कच्चे माल में आपके द्वारा सामान्यतः प्रयुक्त कुल जमा पूँजी का अनुमानित प्रतिशत क्या है ?

42. अ. अपने व्यवसाय में लगी हुयी जमा पूँजी क्या आप स्वयं अपनी जब से लगाते हैं ? हाँ/नही

ब. यदि हाँ तो आप अपना काम कैसे चलाते हैं ?

क. क्या आप दूसरों के अंशों को क्रय करते हैं ?

ख. क्या आप अपने सम्न्धियों से ऋण लेते हैं ?

ग. क्या आप अन्य किसी महाजन इत्यादि से ऋण लेते हैं ?

घ. क्या आप किसी बाहरी साधनों से धन संग्रह करते हैं ?

43. आपको पूँजी जुटाने का कौन सा साधन सबसे अधिक प्रिय है ?

44. उपरोक्त साधन को आप क्यों अधिक पसन्द करते हैं ?

क. ख.

ग. घ.

45. अ. क्या आप यह मानते हैं कि कुटीरउद्योगों के लिये ऋण एंव अनुदान की सरकारी सुविधायें उपलब्ध होने के बाद आपकी बहुत सी कठिनाइयों का समाधान हो जाता है। हॉं/नही

ब. यदि हॉं , तो कैसे

क.

ख.

स. यदि नहीं तो क्यों नहीं

क.

ख.

46. आप अपनी पूॅंजी का उपयोग कैसे करते हैं।

क. अस्थायी रुप से तैयार किये गये बजट के आधार पर।

ख. आवश्यकताओं के सामान्य अनुमान के आधार पर।

ग. ईकाई की आर्थिक आवश्यकताओं के अधार पर।

47. आप सबसे अधिंक पूॅंजी कहां लगाते हैं और क्यों ?

48. सबसे कम पूॅंजी का प्रयोग आप कहां करना चाहते हैं और क्यों ?

49. आप अपनी वस्तुओं का विपणन कैसे करते हैं ?

क. सीधे तौर पर

ख. व्यक्तिगत अभिकत्ताओं द्वारा

ग. मध्यस्थ अभिकत्ताओं द्वारा

50. विपणन के व्यय की दृष्टि से विपणन का कौन सा साधन सर्वोत्तम है

51. विपणन व्यय का उत्पादन व्यय पर किस सीमा तक प्रभाव पड़ता है। और किस प्रकार से ?

52. अ. क्या आप अपने निर्मित माल का निर्यात करते हैं ? हॉं/नहीं

ब. यदि हॉं तो आप अपने कुल उतपादन का कौन सा अंश विदेशी बाजार को भेजते हैं ?

53. विदेशी बाजार के आदेश आपका कैसे प्राप्त होते हैं ?

54. आपके निर्यात व्यापार की दिशा में गुण चिन्हॉंकन योजना कितनी सहायक है ?

55. अ.क्या आपकी वर्तमान निर्यात क्षमता विगत वर्षो की तुलना में अधिक है?हॉं/नहीं

ब. यदि हॉं तो पसन्दगी के कारण बताइयें ?

क. ख.

ग. घ.

स. यदि नहीं , तो अपने उधार के आधार का उल्लेख कीजिये ।

क. ख.

ग. घ.

56. अ. क्या आप अनुभव करते हैं कि आपकी ईकाई ने हाल के कुछ वर्षो में विकास किया है ? हॉं / नहीं

ब. यदि हॉं तो क्या आप अनुभव करते हैं कि इस विकास में शासन ने प्रतयक्ष या अप्रत्यक्ष रुप में कोई योगदान किया है ? हॉं/नहीं

स. यदि 57 व का उत्तर हॉं में है तो कृपया अपनी ईकाई के विकास में शासकीय योगदान पर प्रकाश डालिए।

----

57. आप अपने कर्मचारियों को परिश्रमिक का भुगतान कैसे करते हैं ?
प्रतिदिन/एक सप्ताह में / एक माह में / नकद रुप में / वस्तु के रुप में

58. अ. क्या आप किसी भी प्रकार से सहकारी समितियों का उपयोग करना चाहते हैं ? हॉं / नहीं
ब. यदि हॉं तो कैसे ?
स. यदि नहीं तो क्यों नही ?

59. अ. क्या आपने कभी विदेश यात्रा की है ?
ब. यदि हॉं तो कहां और कितनी बार ?
स. यदि प्रश्न संख्या 60 का उतर हॉं मैं है तो क्या आपने किसी अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी अथवा मेला इत्यादि में कभी भाग लिया है ? हां/नहीं
द. यदि प्रश्न संख्या 60 का उत्तर हॉं में है तो उसका नाम बताओं
य. यदि प्रश्न संख्या 60 का उत्तर हॉं में है तो क्या आपने कभी किसी ऐतिहासिक महत्व के व्यक्ति या व्यक्तियों से भेंट की है ? हॉं / नहीं

60. अ. क्या आपकी वर्तमान निर्यात क्षमता विगत वर्षो की तुलना में अधिक है ? हाँ/नही
ब. यदि हाँ, तो किस सीमा तक अधिक है ?

61. अ. क्या आप शासन से किसी प्रकार की सहायता लेना चाहते है ? हाँ/नही
ब. यदि हाँ, तो किस तिथि से और कितनी ?
स. यदि नहीं, तो क्या ?

क.	ख.
ग.	घ.

62. अ. क्या आपे शासकीय संसाधनो से कभी कोई ऋण प्राप्त किया है ?
हाँ/नही

ब. यदि हाँ तो कितना और किस स्त्रोत से ?

स. यदि नही, तो क्यो नही

63. क्या आपको यह अच्छा लगता है कि आपके संसर्ग में उत्सुक ज्ञान प्राप्त करने के लिये व्यग्र और प्रश्न करने के लिये अभ्यस्त व्यक्ति रहा हैं? हाँ/नही

64. अ. क्या आप समझते है कि आपके पुत्र आपके व्यवसाय को सफलता पूर्वक चलाने के लिये समर्थ है ? हाँ/नही

ब. यदि नही तो आप अपनी इकाई के भविष्य के विषय में क्या सोचते हैं?

65. अ. क्या आप मानते है कि आपकी ईकाई के कर्मचारी दक्ष है ?
हाँ/नही

ब. यदि नही तो आप अपनी इकाई के भविष्य के विषम मे क्या करना चाहेगें ?

66. क्या आपका विचार है कि आपके कर्मचारियो को सही ढ़ग से काम दिया गया हैं ?

67. अ. क्या आप छोटे यन्त्रो का प्रयोग करना पसन्द करते है ?
हाँ/नही

ब. यदि नही, तो क्यो ?

68. अ. क्या आपकी इकाई पंजीकृत हुयी ?

ब. यदि हाँ, तो कब पंजीकृत हुयी ?

स. यदि नहीं, तो क्यो नहीं हुयी ?

69. आप अपने कर्मचारियों को परिश्रमिक का भुगतान कैसे करते है ?
प्रतिदिन/एक सप्ताह में/एक माह में/नकद रूप में/वस्तु के रूप में

✡✡✡✡✡

स्त्रोत – साक्षात्कार/व्यक्तिगत सर्वेक्षण के आधार पर

प्रश्न तालिका उत्तर प्रदेश के हथकरघा उद्योग के बुनकरों , श्रमिकों के लिये

(झाँसी मण्डल के विशेष सन्दर्भ में)

इसकी समस्यायें एवं सम्भावनायें

क्रमांक .... साक्षात्कार तालिका

केवल कर्मचारियों के लिये

1. नाम : ....
2. पता : ....

   ....
3. आयु : ....
4. शैक्षिक योग्यता : ....
5. वैवाहिक स्थिति : विवाहित / अविवाहित / विधुर / तलाकशुदा
6. निवासी : ग्रामीण / शहरी
7. परिवार का प्रकार : सम्मिलत / एकांकी
8. परिवार का आकार : ....

क्र.	बुनकर से सम्बन्ध	लिंग	शिक्षा	पेशा	मासिक आय

9. बुनकर की आय : दैनिक / साप्ताहिक / मासिक
10. अतिरिक्त आय का साधन यदि कोई हो ? हाँ / नहीं

अ. यदि अतिरिक्त आय है तो उसका साधन क्या है ?

ब. इससे कितनी अतिरिक्त आय हो जाती है ?

स. इसके लिये कितना समय व्यतीत करते हैं ?

11. आपकी आय पर परिवार के कितने सदस्य आधारित हैं ?

12. निम्नलिखित संगठनों की एक सूची में आप किस संगठन में सम्मलित हैं ?

(1) श्रम संघ

(2) व्यवहारिक संगठन

(3) जाति/धर्म/संगठन

(4) सरकारी समिति

(5) राजनैतिक पार्टी

(6) अन्य संगठन

13. क्या आप कार्य अकेले करते हैं या अन्य लोगों के साथ? अकेले/अन्य लोगों के साथ

अ. यदि अन्य लोगों के साथ कार्य करते हैं तो उसकी संख्या क्या है ?

14. ईकाई में आप किस प्रकार का कार्य करते हैं

----

15. आप इस ईकाई में कब सम्मानित हुये ?

16. क्या आपको किसी अन्य ईकाई में भी कार्य किया है ? हाँ/नहीं

अ. यदि हों तो उस ईकाई को कब छोड़ा ?

ब. विभिन्न प्रकार की ईकाइयों में अभी तक किस प्रकार का कार्य किया ?

----

17. क्या सेवायोजक ने कभी दण्डित किया है ? हाँ/नहीं

18. प्रतिदिन की मजदूरी के अतिरिक्त क्या कभी सेवायोजक ने कोई अन्य सुविधा प्रदान की है ? हाँ/नहीं

अ. यदि हाँ तो किस प्रकार की सुविधा प्रदान की है ?

क. वेतन सहित छुट्टी

ख. बोनस

ग. ऋण

घ. निवास सम्बन्धी

ड़ बच्चों के लिये शैक्षिक योग्यता

च. चिकित्सा समबन्धी

छ. अन्य सुविधायें

19. क्या सेवायोजक के प्रति अपकी कोई शिकायत है ? हाँ/नहीं

अ. यदि हाँ तो उसका विस्तत विवरण

20.ईकाई के अन्य बुनकरों के साथ आपने अपनी समस्याओं के सम्बन्ध में कितनी बार वार्ता की है।

अ. प्रतिदिन

ब. सप्ताह में एक या दो बार

स. महीने में एक या दो बार

द. कभी नहीं

21. अ. किस सम्बन्ध में बार्ता की है

    क. मजदूरी की अदायगी न होने के सम्बन्ध में।

    ख. मजदूरी एवं कार्य के घंटे के सम्बन्ध में।

    ग. छुट्टी

    घ. ऋण

    ड़ ईकाई के मालिक एवं बुनकर के सम्बन्ध में।

    च. कार्य करने की शर्ते

    छ. बोनस

    ज. अतिरिक्त कार्य

    झ. अन्य कार्य

    ब. इस सम्बन्ध में आप वार्ता किस स्थान पर करते हैं ?

    क. कार्य करने के स्थान

    ख. घर

    ग. सार्वजनिक स्थान

    घ. ईकाई में आते समय रास्ते में अथवा घर वापस जाते समय

    ड. अन्य

22. क्या अपनी समस्याओं के समाधान के लिये आपने से सेवायोजक से सामूहिक रुप से सम्पर्क किया ? हाँ / नहीं

अ. यदि हाँ तो समस्याओं का विवरण दें

....

....

ब. इस प्रकार आपकी समस्याओं का निदान हो सका है ?

क. समस्त

ख. केवल कुछ समस्यायें

ग. केवल आश्वासन

घ. रुचि प्रदर्शित नहीं की ।

स. यदि बुनकर क्रमांक 22 का उत्तर नकात्मक देता है तो उसके कारण का उल्लेख करें ?

क. श्रमिकों का संगठित न होना।

ख. नौकरी से पृथक कर देने का भय

ग. कार्य करने की अयोग्यता होना

घ. आलस्य

ड़ अन्य उत्तर

च. कोई समस्यायें नहीं

छ. कोई उत्तर नहीं

23. लोगों की यह आम धारणा है कि सेवायोजक हमेशा श्रमिकों की समस्याओं के प्रति रुचि प्रदर्शित नहीं करते हैं । इस सम्बन्ध में आपका क्या कथन है । हाँ/नहीं

....

....

24. यदि आप बच्चों का भविष्य आर्दश बनाना चाहते हैं तो बच्चों को किस प्रकार का पेशा कराना चाहेगें ?

अ. सरकारी सेवा

क. उच्च प्रशासनिक सेवा

ख. सामान्य प्रशासनिक सेवा

ग. लिपिक

घ. चपरासी

ड़ सैनिक अधिकारी सैनिक

च. कोई अन्य पद

ब. पेशा का प्रकार

क. प्रोफेसर / अध्यापक

ख. डाक्टर

ग. इंजीनियर

घ. वकील

स. व्यापार

क. छोटा ख. बड़ा व्यापार

द. कृषि सम्बन्धी पेशा

क. कृषक ख. पट्टे पर

य. स्वतः रोजगार

क. छोटी दुकान ख. कारीगर

ग. कुशल श्रमिक घ. अकुशल श्रमिक

25. 10 वर्ष की तुलना में आपकी वर्तमान आर्थिक स्थिति कैसी है ?

अ. पहले से अच्छी

ब. लगभग वैसी ही

स. पहले की तुलना में खराब

26. क्या आप अनुभव करते है कि आपकी समस्यायें आपके संगठित पयास से हल हो सकती है ? हाँ/नही

अ. यदि हाँ, तो क्या आप झाँसी मण्डल में श्रमिको के संगठन की आवश्यकता अनुभव करते है ? हाँ/नही

ब. यदि हाँ, तो क्या आपके कभी हथकरघा उधोग की इकाई के श्रमिकों को संगठित करने का प्रयास किया है ? हाँ/नही

स. यदि हाँ, तो उसके परिणामो का उल्लेख करे ?

27. क्या आपको ज्ञात है कि आपकी इकाई का उत्पदित माल कहाँ बेचा जाता है ?

अ. झाँसी मण्डल में

ब. उत्तर प्रदेश के अन्य कस्बा या नगरो में

स. भारत के अन्य कस्बा या नगरो में

द. ज्ञात नही

28. अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं पर आपकों कितना सन्तोष एवं असन्तोष है ?

वर्तमान आय	निवास स्थान	वर्तमान कार्य का प्रकार	ग्राम मुहल्ला	शिक्षा	बच्चे

अ. अव्यधिक सन्तुष्टि
ब. सन्तुष्टि
स. लगभग सामान्य
द. असन्तुष्टि
य. अत्याधिक असन्तुष्टि
र. ज्ञात नहीं
ल. कोई उत्तर नहीं

29. क्या आप वर्तमान कार्य छोड़ने के इच्छुक है ? हाँ/नही

30. क्या आप सिनेमा देखते है ? हाँ/नही
अ. यदि हाँ तो कितनी बार
अ. लगभग प्रतिदिन
ब. सप्ताह में एक या दो बार
स. महीने में एक या दो बार
द. बहुत ही कम
य. कभी नहीं

31. क्या आप शराब पीते है ?
अ. लगभग प्रतिदिन
ब. सप्ताह में एक या दो बार
स. महीने में एक या दो बार
द. त्यौहार के अवसर पर या वैवाहिक समारोहो पर
य. कभी नहीं

शोधकर्ता

श्रवण कुमार अग्रवाल
श्रवण कुमार अग्रवाल

सन्दर्भ ग्रंथ सूची (BIBLIOGRAPHY)

1. Aunstey Vera : Economic Development of India.
2. Bose. Atindranath : Social and Rural Economy of Northern India.
3. Banner Ji A.R. : An Indian. Pthtinder.
4. Cole C.D.H. : The world of Labour.
5. Channa S.N. : The Indian Cotten mill Industry.
6. Chirdi S.B. : Industrial Labour in Bombay.
7. Das R.K. : Labour Movement in Indian Berlin (1923)
8. Das R.K. : Factory Labour in India (1924)
9. Das R.K. : Child Labour in India (1934).
10. Das R.K. : Women Labour in India, Cenava (1931).
11. Dange S.A. : The Indian Trade Union Movement (1952).
12. Dealalber P.V. : Taxtile Industry in India.
13. Gandhi M.P. : Indian Cotton Textile Industry (1930).
14. Gandhi M.P. : Indian Cotton Textile Industry Centenansy Volume - 1851 - 1957.
15. Gandhi D.R. : Women in Working torces in India (1965).
16. Habsbawn E.S. : Labouring Men. Studies in the History of Labour.
17. Pandey C.D. : Cotton Mill Labour in India (1968).
18. Patel Kunj : Rural Labour in India (1968).
19. Padmini Sen Gupta : Women workers of India.
20. Piramal M.L. : Social condition of Textitle Labour in Bombay.
21. Shah P.G. : History of Indian Cotten Industry.
22. Takker G.K. : Labour problems of Textile industry.
23. के.के. रस्तोगी : श्रम समस्याए सभार , समाज कल्याण
24. के.के. रस्तोगी : श्रम अर्थशास्त्र
25. आर.सी.सक्सेना : श्रम समस्यायें, समाज कल्याण तथा सुरक्षा
26. डा.टी.एन.भगोलीबाल : श्रम अर्थशास्त्र एवं औद्योगिक सम्बन्ध
27. डा.आर.एस.कुलश्रेष्ठ : भारत में उद्योगों का संगठन प्रबन्ध एवं वित्त

समाचार पत्र

1. Economic Times
2. Financial Express
3. Indian Express
4. Indian Labour Journal.
5. दैनिक आज
6. दैनिक जागरण
7. नवभारत टाइम्स
8. दैनिक हिन्दुस्तान
9. दैनिक दिनरात
10. दैनिक सवेरा

जर्नल तथा मैगजीन

1. योजना
2. इणडिया टुडे
3. बिजनिश टुडे
4. बिजनिश बर्ल्ड
5. बिजनिश इण्डिया
6. कुरुक्षेत्र
7. आउट लुक
8. इकोनोमिक एण्ड फेल्टीकल बीकली
9. ग्रामोद्योग